# निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

# DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION

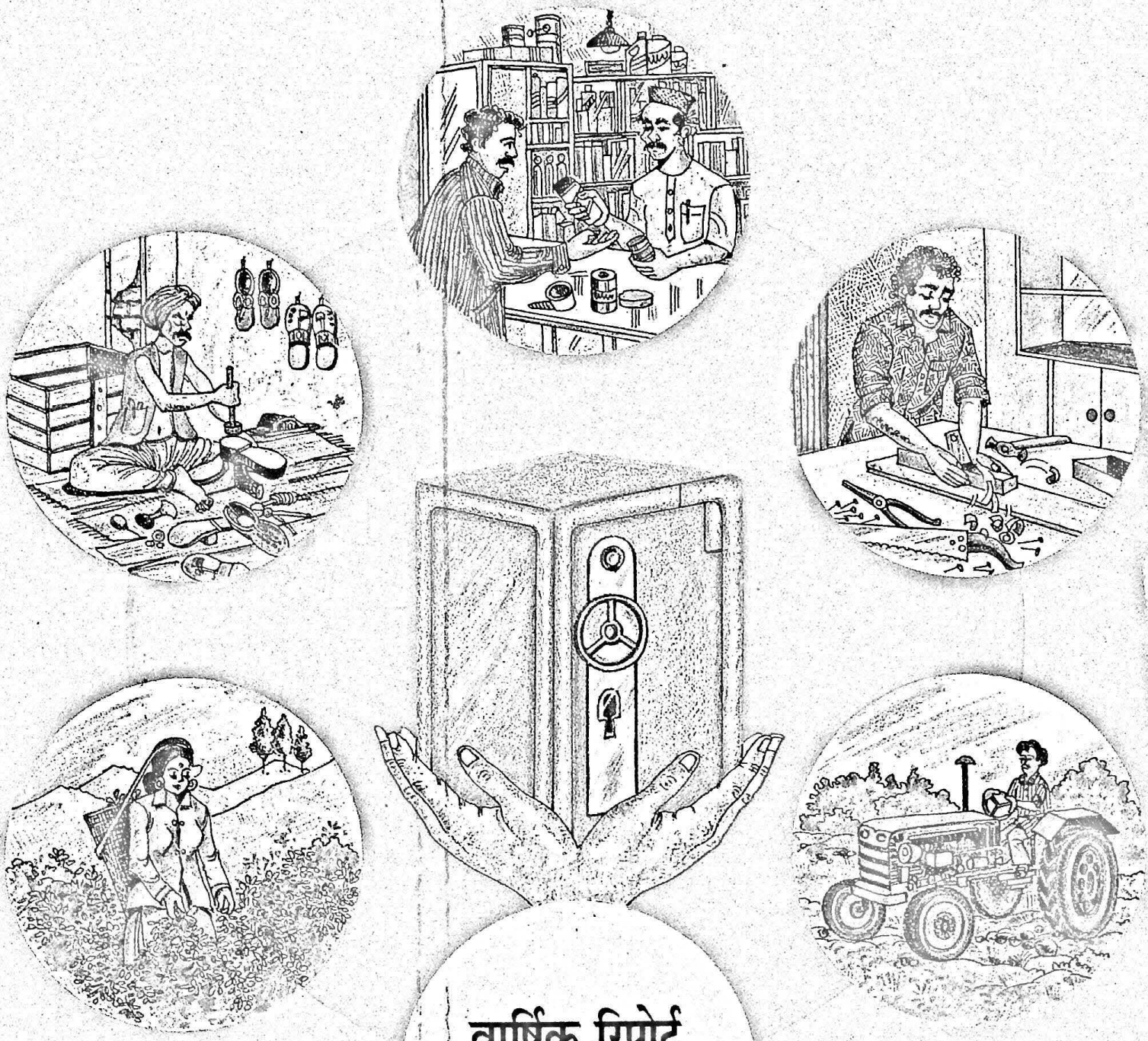

## वार्षिक रिपोर्ट
## ANNUAL REPORT
## 1992-93

*शुभेच्छा के साथ*

**पी. कृष्णमूर्ति**
**महाप्रबंधक**

**निक्षेप बीमा और**
**प्रत्यय गारंटी निगम**
न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
बम्बई - 400039

# निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

**प्रधान कार्यालय : छठी मंजिल, न्यू इंडिया सेंटर,**

**17, कूपरेज रोड़, बंबई - 400 039**

*शुभेच्छा के साथ*

**एस. के. कपूर**

*महा प्रबंधक*

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर, 17, कूपरेज रोड, बम्बई - 400039.

## निदेशक बोर्ड की 31 वीं वार्षिक रिपोर्ट,

## 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के लिए

## तुलन पत्र और लेखे

# विषय सूची


| | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रेषण पत्र | iii और iv |
| 2. | निदेशक बोर्ड | v |
| 3. | संगठन तालिका | vi |
| 4. | निगम के कार्यालय | vii |
| 5. | निगम के प्रमुख अधिकारी | viii |
| 6. | निगम का स्वरूप | ix |
| 7. | विशिष्टता-प्रगति एक दृष्टि में | x |
| 8. | निदेशकों की रिपोर्ट | 1 |
| 9. | निदेशकों की रिपोर्ट के विषय में अनुबंध | 11 |
| 10. | तुलन-पत्र और लेखे | 32 |
| 11. | कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा<br>तालिका I से X (Charts I to X) | 40 |

# प्रेषण पत्र

(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

**निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम**
न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड़,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बंबई - 400039.

डीआइसीजीसी/110/06.02/015/93-94

28 जून 1993
7 आषाढ़ 1915 (शक)

सचिव,
भारतीय रिज़र्व बैंक,.
सचिव विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय,
केन्द्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगतसिंह मार्ग,
बंबई - 400023.

प्रिय महोदय,

**वर्ष 1992-93 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट**

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है:

(i) 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रति सहित निगम के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लेखे की एक प्रति, और

(ii) 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

भवदीय,

ह/.-

**(एस. के. कपूर)**
महा प्रबंधक

प्रेषण पत्र

(भारत सरकार को)

**निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम**
न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड़,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बंबई - 400039.

डीआइसीजीसी/111/06.02/016/93-94

28 जून 1993
7 आषाढ़ 1915 (शक)

सचिव,
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
(बैंकिंग प्रभाग),
"जीवनदीप", संसद मार्ग,
नयी दिल्ली - 110001.

प्रिय महोदय,

**वर्ष 1992-93 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट**

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है:

(i) 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. तुलन पत्रों की प्रतियाँ और निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी है। उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें।

भवदीय,

ह/.-

**(एस. के. कपूर)**
महा प्रबंधक

## निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

**डी. आर. मेहता**
उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

**सुश्री आई. टी. वाज़**
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित

**टी. एस. लस्चर** (18 जनवरी 1993 तक)
**सुश्री मोना शर्मा** (8 अप्रैल 1993 से)
संयुक्त निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(घ) के अंतर्गत नामित

**एस. एच. खान**
प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बंबई

**यू. महेश राव**
प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एस्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बंबई

**एन. पी. सारड़ा**
सनदी लेखाकार, बंबई

**पी. डब्ल्यू. रेगे**
भूतपूर्व अध्यक्ष, सारस्वत सहकारी बैंक लि., बंबई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ङ) के अंतर्गत नामित

**गंगाधर गाडगिल**
अर्थशास्त्री, बंबई

**वी. महादेवन** (25 जून 1993 तक)
प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, बंबई

**पी. एन. जोशी** (14 जून 1993 से)
अध्यक्ष, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि., सातारा, महाराष्ट्र

**आर. एल. वधवा** (24 जून 1992 तक)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता

# संगठन तालिका

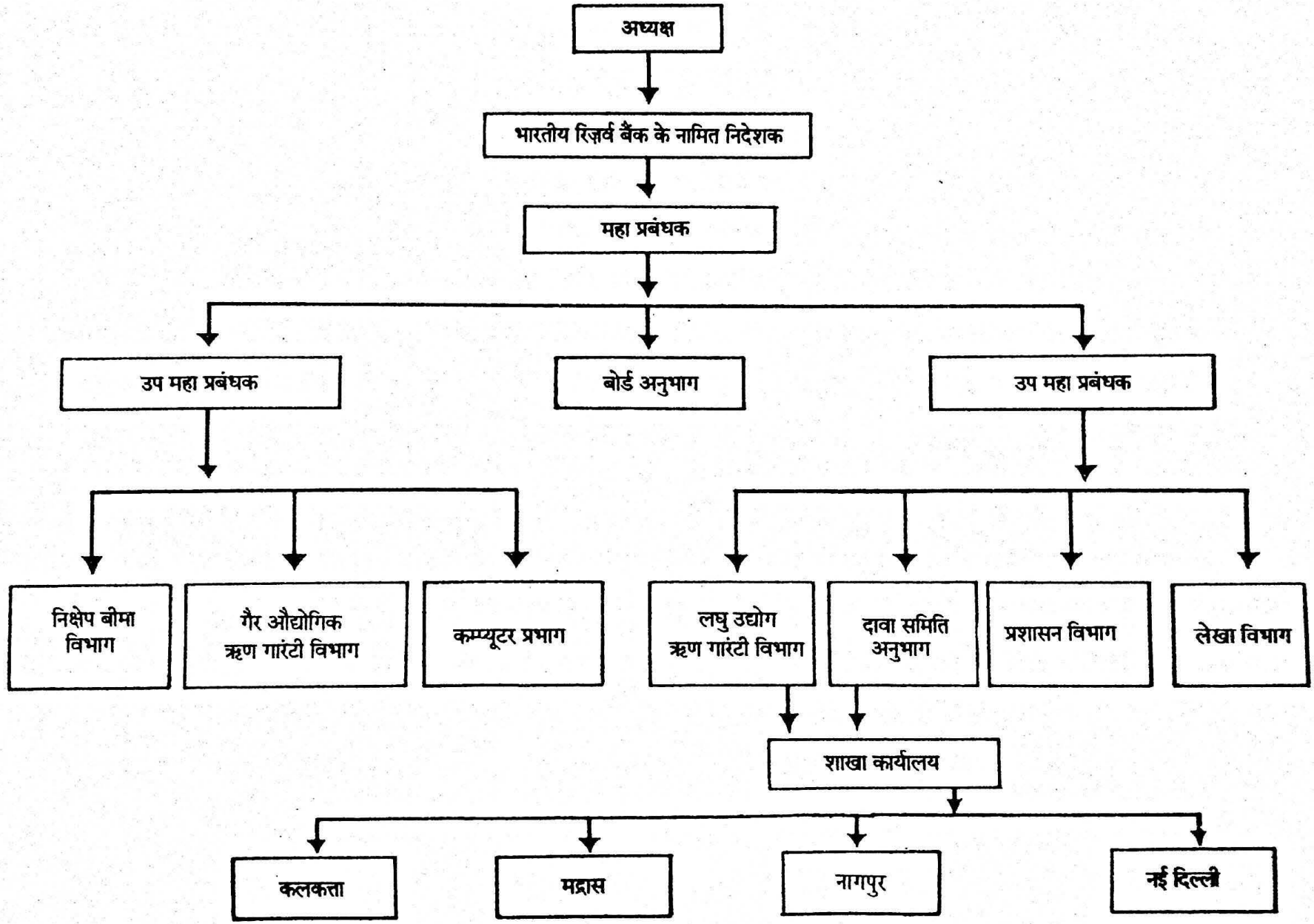
अध्यक्ष
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
महा प्रबंधक
उप महा प्रबंधक
बोर्ड अनुभाग
उप महा प्रबंधक
निक्षेप बीमा विभाग
गैर औद्योगिक ऋण गारंटी विभाग
कम्प्यूटर प्रभाग
लघु उद्योग ऋण गारंटी विभाग
दावा समिति अनुभाग
प्रशासन विभाग
लेखा विभाग
शाखा कार्यालय
कलकत्ता
मद्रास
नागपुर
नई दिल्ली

# निगम के कार्यालय

| | | टेलीफोन संख्या | तार |
|---|---|---|---|
| *प्रधान कार्यालय :* | **न्यू इंडिया सेंटर,**<br>**4, 5, 6, 7 और 8 वीं मंजिल,**<br>**17, कूपरेज रोड़,**<br>**पोस्ट बॉक्स सं. 1076,**<br>**बंबई - 400 039.** | | "क्रेडिटगार्ड" |
| | महा प्रबंधक | 2027323 (सी.ला.) | |
| | बोर्ड अनुभाग | 2020299 | |
| | (i) उप महा प्रबंधक | 2022408 (सी.ला.) | |
| | प्रशासन विभाग<br>लघु उद्योग ऋण गारंटी विभाग<br>लेखा विभाग | 2020299 | |
| | (ii) उप महा प्रबंधक | 2044876 (सी.ला.) | |
| | निक्षेप बीमा विभाग<br>गैर-औद्योगिक ऋण गारंटी विभाग<br>कम्प्यूटर प्रभाग | 2020299 | |
| *शाखाएँ:* | | | |
| 1) नागपुर | भारतीय रिज़र्व बैंक भवन,<br>हाइकोर्ट के समीप,<br>नागपुर - 440001. | 521406 (सी.ला.)<br>532321<br>532357 | "क्रेडिटगार्ड" |
| 2) कलकत्ता | 8, कौउन्सिल हाऊस स्ट्रीट<br>(पहली मंजिल), पोस्ट बॉक्स सं. 17,<br>कलकत्ता - 700001. | 281154 (सी.ला.)<br>286029 | "डिसिन्गर" |
| 3) मद्रास | कुरालगम बिल्डिंग,<br>तीसरी मंजिल, एस्प्लेनेड,<br>पोस्ट बॉक्स सं. 5021,<br>मद्रास - 600 108. | 5341524 (सी.ला.)<br>5341239 | "क्रेडिटगार्ड" |
| 4) नयी दिल्ली | भारतीय रिज़र्व बैंक,<br>6, संसद मार्ग,<br>पोस्ट बॉक्स सं. 123,<br>नयी दिल्ली - 110001. | 3716487 (सी.ला.)<br>3710538 से 42 | "डिपॉज़िटिंस" |

# निगम के प्रमुख अधिकारी

## महा प्रबंधक

एस. के. कपूर

उप महा प्रबंधक
बी. ए. राव (30 जून 1993 तक)
ए. एल. भाटिया (30 अप्रैल 1993 तक)
डी. एन. प्रसाद (24 मई 1993 से)
श्रीमती एस. एन. जोशी (4 अगस्त 1993 से)

मुख्य लेखाकार
ओ. पी. अरोड़ा

## अन्य अधिकारी

प्रबंधक
जे. पी. शर्मा
सुश्री. यू. एस. बनर्जी

सचिव
आर. जी. तावडे

## शाखा प्रबंधक

नागपुर
एन. के. साहा

कलकत्ता
एस. एन. गांगुली (11 जुलाई 1993 तक)
एस. एस. गंगोपाध्याय (12 जुलाई 1993 से)

मद्रास
जे. ए. ग्रेगरी (31 मार्च 1993 तक)
टी. एम. नारायणन (1 अप्रैल 1993 से)

दिल्ली
एस. एस. सेठी

## बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक

## लेखा परीक्षक

मैसर्स एन. बी. शेट्टी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
बंबई - 400 001

# निगम का स्वरूप

## प्रयोजन और उद्देश्य

जमा बीमा निगम की स्थापना पहली जनवरी 1962 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इस निगम ने रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 1971 को शुरु की गयी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को 15 जुलाई 1978 से अपने अधिकार में ले लिया जिससे एकही प्रकार के परस्पर संबद्ध कार्यों अर्थात् बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने और समाज के खासकर कमजोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं को गारंटी रक्षा देने के कार्यों को समन्वित किया जा सके। इस प्रकार दो संगठनों के एकीकरण के बाद निगम का नाम बदल कर उसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम रखा गया। लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना रद्द होने के बाद निगम ने पहली अप्रैल 1981 से लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता देना शुरु किया।

निगम के दो उद्देश्य हैं बैंकों में जमाकर्ताओं के लाभ के लिए बैंक की सभी शाखाओं उनकी सभी जमा राशियों अथवा उनके किसी अंश के लिए अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की हानि के लिए बीमा प्रदान करना और सहभागी संस्थाओं अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सहकारी बैंकों, राज्यवित्त निगमों और अन्य सावधि ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के लिए गारंटी समर्थन प्रदान करना। 31 मार्च 1989 तक गारंटी समर्थन लघु ऋणकर्ताओं और लघु उद्योगों की कुछ श्रेणियों के लिए ही उपलब्ध था। परन्तु 1 अप्रैल 1989 से गारंटी सुरक्षा संपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों (रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार) के लिए लागू है। तथापि अग्रिमों की कुछ ऐसी श्रेणियाँ जो केन्द्र/राज्य सरकारों, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा गारंटीकृत हैं, को गारंटी सुरक्षा से बाहर रखा गया है।

जमा बीमा और ऋण गारंटी के लिए निगम ने अलग-अलग निधियाँ बनाई हुई हैं, जो किस्तों तथा गारंटी शुल्कों द्वारा जमा की जाती हैं और इनका उपयोग केवल दावों के निपटान के लिए ही किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य निधि अर्थात् सामान्य निधि भी बनायी गयी है जिसमें निगम की पूँजी रखी गयी है और इस निधि से होने वाली निवेश आय से स्टाफ स्थापना संबंधी व्यय तथा प्रशासनिक व्यय किये जाते हैं। निगम को आयकर की अदायगी के संबंध में 31 दिसंबर 1986 तक छूट दी गयी थी।

निगम की प्राधिकृत पूँजी 50 करोड़ है जो पूर्णतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित और अभिदत्त है।

निदेशक बोर्ड द्वारा निगम का प्रबंध देखा जाता है जिसके अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गर्वनर होते हैं। दावा समिति और निवेश समिति जो भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत है, बोर्ड की सहायता करती है। महा प्रबंधक निगम के मुख्य कार्यपालक होते हैं।

निगम का प्रधान कार्यालय बंबई में है। इसकी चार शाखाएँ नागपुर, कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्ली में हैं। निगम की कोई सहायक या संबद्ध संस्था नहीं है।

# विशिष्टता - प्रगति एक वृष्टि में

(राशि करोड़ रुपये में)

| | वर्ष के अंत में | 1962 | 1972 | 1978 | 1982 | 1984 | 1987 | 1988-89 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पूँजी | 1 | 1.5 | 10 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | निक्षेप बीमा | | | | | | | | | | |
| | i) निक्षेप बीमा निधि | 1 | 25 | 76 | 154 | 219 | @ | @ | @ | @ | @ |
| | ii) बीमाकृत बैंक | 276 | 476 | 1,021 | 1,683 | 1,805 | 1,898 | 1,903 | 1,922 | 1,931 | 1,931 |
| | iii) निर्धारणयोग्य जमा राशियाँ | 1,895 | 7,458 | 21,660 | 42,360 | 61,880 | 1,03,044 | 1,26,864 | 1,56,892 | 1,86,307 | 2,44,375 |
| | iv) बीमाकृत जमा राशियाँ | 448 | 4,656 | 15,369 | 31,774 | 46,340 | 75,511 | 90,192 | 1,09,316 | 1,27,925 | 1,64,527 |
| | v) खाते (लाखों में) | 77 | 341 | 931 | 1,598 | 2,026 | 2,569 | 2,781 | 3,089 | 3,287 | 3,543 |
| | vi) पूर्णतः संरक्षित खाते (लाखों में) | 60 | 328 | 916 | 1,581 | 2,000 | 2,518 | 2,705 | 2,983 | 3,169 | 3,395 |
| | vii) अदाकृत दावे | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 | 69 | 131 | 139 | 178 |
| 3. | ऋण गारंटी | | | | | | | | | | |
| | i) ऋण गारंटी निधि | — | — | 27 | 89 | 118 | @ | @ | @ | @ | @ |
| | ii) गारंटीकृत अग्रिम | | | | | | | | | | |
| | (क) छोटे उधारकर्ता | — | 208 | 1,715 | 4,840 | 7,104 | 11,116 | 14,291 | 27,692 | 29,181 | 24,444 |
| | (ख) लघु उद्योग | — | — | — | 3,822 | 4,891 | 7,788 | 10,465 | 16,826 | 17,362 | 19,162 |
| | iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए) | | | | | | | | | | |
| | (क) छोटे उधारकर्ता | — | — | 9 | 25 | 62 | 255 | 364 | 505 | 410 | 883 |
| | (ख) लघु उद्योग | — | — | — | 30 | 71 | 149 | 241 | 247 | 220 | 260 |
| | iv) निपटाये गये दावे (वर्ष के दौरान) | | | | | | | | | | |
| | (क) छोटे उधारकर्ता | — | — | 3 | 15 | 32 | 225 | 281 | 427 | 360 | 566 |
| | (ख) लघु उद्योग | — | — | — | 27 | 47 | 122 | 177 | 260 | 260 | 243 |

@ निगम की देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन के कारण तुलन-पत्र और आय व्यय लेखे के प्रारूप में संशोधन से 1987 से ऋण गारंटी निधि में वर्ष 1989-90 को छोड़कर हर वर्ष घाटा रहा है। निधि की कमी/अतिरिक्त को संबंधित वर्ष के निक्षेप बीमा निधि के अतिरिक्त के बदले समायोजित किया गया। वर्ष 1992-93 के दौरान ऋण गारंटी निधि में रु. 201.90 करोड़ का घाटा था। 31 मार्च 1993 को ऋण गारंटी निधि से निक्षेप बीमा निधि के लिए रु. 475.86 की राशि देय थी।

# निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के कामकाज की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 32(I) के अनुसार निदेशक बोर्ड एतद् द्वारा 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष की निगम की 31 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

## आर्थिक परिदृश्य

2. वर्ष 1992-93 के दौरान समग्र आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और स्फीतिकारक दबावों में कमी आयी है। भुगतानों के संतुलन की स्थिति में भी सुधार हुआ है। कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में संभावित वृद्धि के आधारपर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1991-92 के 1.02 प्रतिशत की तुलना में 4.0 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है। सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में केन्द्र सरकार के सकल आर्थिक घाटे में कमी के कारण बेहतर आर्थिक प्रबंध, मुद्रा प्रसार में परिमितता और कृषि क्षेत्र के उन्नत कार्य निष्पादन के योगदान से 1992-93 में मुद्रास्फीति की दर में कमी आयी ह। बैंकिंग क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशि में 1992-93 के दौरान रु. 36,389 करोड़ (15.8 प्रतिशत) की बढोतरी हुई जब कि 1991-92 में रु. 38,217 करोड़ (19.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। गैर खाद्य जमा में रु. 23,389 करोड़ (19.3 प्रतिशत) की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जब कि 1991-92 में मात्र रु. 9,127 करोड़ (8.2 प्रतिशत) की ही वृद्धि हुई थी। देश आर्थिक सुधार के एक संसंजक कार्यक्रम में प्रवृत्त है। इन सुधारों के लिए राजकोषीय, औद्योगिक, व्यापार और विदेशी मुद्रा और वित्त जैसे विभिन्न घटकों में तारतम्य रखने की आवश्यकता है।

बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ बनाने तथा उसके माध्यम से प्रभावी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूँजी-पर्याप्तता, आय पहचान का निर्धारण किया है और बैंकों के लिए प्रावधान मानदंड निर्धारित किये हैं। अधिक स्वायत्तता के लिए कार्यप्रणाली की पारदर्शिता आवश्यक है। बैंको को इन मूलभूत परिवर्तनों के लागू करने में मदद के लिए, जो बैंकों पर भार डालेंगे, केन्द्र सरकार ने 1993-94 के बजट में राष्ट्रीयकृत बैंकों को हिस्सा पूँजी के लिए रु. 5,700 करोड़ का विशाल प्रावधान किया है। गैर कार्यकारी आस्तियों को कम करने के लिए बैंकों द्वारा दायर किये जाने वाले दावों में वर्ष के दौरान बढोतरी हुई है और इसके भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है जिससे निगम के संसाधनों पर असर पड़ेगा।

## प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम

3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम जून 1991 के अंत में रु. 42,093 करोड़ थे जो जून 1992 के अंत में बढ़कर रु. 44,995 करोड़ हो गए। निवल बैंक जमा में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का अंश 39.3 प्रतिशत है अर्थात् यह 40 प्रतिशत के लक्ष्य से मामूली कम है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में कृषि के लिए अग्रिम जून 1991 के अंत में 16.4 प्रतिशत थे जो जून 1992 के अंत में घटकर 16.1 प्रतिशत रह गये। जबकि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में लघु उद्योगों का अंश जून 1991 में 16.1 प्रतिशत था जो जून 1992 में घटकर 15.5 प्रतिशत रह गया। अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का अंश इसी अवधि में 8.4 प्रतिशत से घटकर 7.7 प्रतिशत रह गया। कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त का हिस्सा निवल बैंक जमा का 14.9 प्रतिशत था। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अग्रिमों का अंश जून 1992 के अंत में 8.5 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रु. 1,722 करोड़ के थे जो सितंबर 1991 के अंतिम शुक्रवार को उनकी निवल जमा का 34.7 प्रतिशत थे। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम सितंबर 1991 के अंत में मात्र 7.8 प्रतिशत थे जो मार्च 1992 तक के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है।

## महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

### निक्षेप बीमा योजना - बीमा सुरक्षा की सीमा और किस्त की दर में बढोतरी

4.1 बैंक जमाकर्ताओं, विशेषतः छोटे जमाकर्ताओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से बीमाकृत बैंकों की जमाराशियों के लिए निगम की निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रति जमाकर्ता एक ही अधिकार और हैसियत से उपलब्ध

रु. 30,000 की बीमा सुरक्षा को बढ़ाकर 1 मई 1993 से रु. 1,00,000 कर दिया गया है। इस कदम के उठाये जाने से जमाकर्ताओं पर व्यापक अनुकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडने की संभावना है। साथ ही इस से जमाराशियों का बैंकिंग क्षेत्र से गैर बैंकिंग क्षेत्र में जाना रुकेगा तथा बैंकों की जमाराशियों में बढोतरी होगी। (बीमा सीमा पिछली बार रु. 20,000 से बढाकर रु. 30,000 जुलाई 1980 में की गयी थी) बीमाकृत बैंकों द्वारा उनकी जमाराशियों पर देय किस्त भी 1 जुलाई 1993 से बढाकर प्रति रु. 100 पर प्रतिवर्ष चार पैसे से आंशिक रूप से बढाकर 5 पैसे कर दी गई है इस संबंध में आवश्यक सरकारी अधिसूचना जारी की जा रही है।

### ऋण गारंटी योजनाएँ -
### गारंटी शुल्क की दर में वृद्धि

4.2 निगम ने अपनी तीन ऋण गारंटी योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया कि इन योजनाओं को एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च 1994 तक जारी रखा जाए। परन्तु लघु ऋण गारंटी योजना 1971 के मामले में 1 अप्रैल 1993 से वर्ष 1993-94 के लिए गारंटी शुल्क की दर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की बढी हुई दर लागू की जाए। निगम द्वारा परिचालित दो अन्य योजनाओं अर्थात् लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 और लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984 के मामले में गारंटी शुल्क की 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

## निगम के कार्य - एक विहंगावलोकन

5.1. वर्ष के दौरान निगम का बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निक्षेप बीमा योजना संबंधी और गैर औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित (2 योजनाओं) तथा लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित (एक योजना) योजनाओं के अंतर्गत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को दी गयी ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी समर्थन देने का कार्य जारी रहा।

5.2 निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत प्रति जमाकर्ता प्रतिबैंक बीमा सुरक्षा और बीमा किस्त क्रमशः रु. 30,000 और 4 पैसे प्रति रु. 100 बरकरार रही। बीमाकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 1993 को 1931 थी। जून 1992 के अंत में योजना में 3,395 लाख पूर्णतः संरक्षित खाते थे जो 3,543 लाख जमा खातों की कुल संख्या का 95.8 प्रतिशत है। रु. 1,64,527 करोड़ बीमाकृत जमा बैंकों की रु. 2,44,375.00 करोड़ की कुल निर्धारण योग्य जमा राशियों का 67.3 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान बीमा किस्त के रूप में रु. 105.97 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। निगम ने एक वाणिज्य बैंक (रु. 37.00 करोड़) और दो सहकारी बैंकों (रु. 1.99 करोड़) के मामले में कुल रु. 38.99 करोड़ की राशि के दावों (खातागत भुगतानों सहित) का निपटान किया।

5.3 निगम ने दावा देयता के लिए कुल रु. 14.93 करोड़ का प्रावधान किया है। मैट्रोपालिटन को आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई को 20 जून 1992 से परिसमापन के अधीन रखा गया है। जमाकर्ताओं, खासकर छोटे जमाकर्ताओं को होने वाली कठिनाई को कम करने की दृष्टि से निगम ने बैंक के परिसमापक को रु. 1.25 करोड़ की राशि जारी की है।

5.4 वर्ष के दौरान निगम की तीनों योजनाओं के अंतर्गत गारंटी शुल्क के आधारपर गारंटीकृत अग्रिम मार्च 1991 के अंत में रु. 46,543.18 करोड़ थे जो 6.3 प्रतिशत घटकर मार्च 1992 में रु. 43,605.50 करोड़ रह गये। गैर लघु उद्योग क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं (अर्थात् कृषक और काश्तकार, छोटे सड़क और जल परिवहन चालक, लघु व्यवसायी, खुदरा व्यापारी और स्वनियोजित व्यक्ति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग) के गारंटीकृत अग्रिमों की राशि मार्च 1991 के अंत में रु. 29,180.82 करोड़ थी जो मार्च 1992 में पिछले वर्ष की तुलना में 16.2 प्रतिशत घटकर रु. 24,443.58 करोड़ रह गयी। तथापि लघु उद्योग क्षेत्र के गारंटीकृत अग्रिमों में बढोतरी हुई और ये पिछले वर्ष की स्थिति की तुलना में 10.4 प्रतिशत बढकर मार्च 1992 के अंत में रु. 19,161.92 करोड़ के हो गये। जबकि मार्च 1991 के अंत में ये रु. 17,362.36 करोड़ के थे।

5.5 रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान निगम को इसकी ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त हुए दावों में संख्यावार 120.2 प्रतिशत और राशिवार 82.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान रु. 1,143.27 करोड़ के कुल 38,11,240 दावे प्राप्त हुए जबकि मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 627.23 करोड़ के 17,30,523 दावे प्राप्त हुए थे। दावों में बढोतरी पूर्व में अग्रिमों के उदार संवितरण तथा वसूली में शिथिलता, 1 अप्रैल 1989 से लागू की गयी 3 वर्ष की निश्चित अवरुद्धता अवधि की समाप्ति, पूँजी पर्याप्तता मानदंडों, अशोध्य और संदिग्ध वसूली के संबंध में प्रावधान, आय पहचान आदि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के कारण भी हुई है। निगम ने रु. 809.16 करोड़ के 26,10,522 ऋण गारंटी दावों का निपटान किया। जब कि पिछले वर्ष के दौरान रु. 615.81 करोड़ के 16,71,538 दावों का निपटान किया गया। दावा निपटान दर

1991-92 की तुलना में 56.2 प्रतिशत अधिक रही। वर्ष के दौरान दावों की मासिक निपटान दर 217544 रही। रिपोर्ट के अधीन वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त हुए और निपटाये गये दावों की संख्या और राशि नीचे दर्शायी गयी है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| | 1991-92 के दौरान | | 1992-93 के दौरान | | प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| **I. प्राप्त दावे** | | | | | | |
| निम्नलिखित के मामले में निगम की योजनाएँ: | | | | | | |
| (i) लघु ऋणकर्ता | 16,52,076 | 409.97 | 36,81,272 | 883.29 | (+)122.8 | (+)115.5 |
| (ii) लघु उद्योग | 78,447 | 217.26 | 1,29,968 | 259.98 | (+)65.7 | (+)19.7 |
| **जोड़** | 17,30,523 | 627.23 | 38,11,240 | 1143.27 | (+)120.2 | (+)82.3 |
| **II. निपटाये गये दावे** | | | | | | |
| निम्नलिखित के मामले में निगम की योजनाएँ: | | | | | | |
| (i) लघु ऋणकर्ता | 15,91,028 | 360.14 | 24,92,375 | 565.95 | (+)56.7 | (+)57.1 |
| (ii) लघु उद्योग | 80,510 | 255.67 | 1,18,147 | 243.21 | (+)46.7 | (+)4.9 |
| **जोड़** | 16,71,538 | 615.81 | 26,10,522 | 809.16 | (+)56.2 | (+)31.4 |

5.6 1982 से दावों की राशि और गारंटी शुल्क की प्राप्ति की स्थिति इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष | गारंटी शुल्क प्राप्तियाँ | गारंटी दावा प्राप्तियाँ | अन्तर |
|---|---|---|---|
| 1982 | 57.67 | 34.11 | +23.56 |
| 1983 | 71.17 | 60.42 | +10.75 |
| 1984 | 87.91 | 115.69 | -27.78 |
| 1985 | 105.66 | 186.90 | -81.24 |
| 1986 | 127.25 | 245.86 | -118.61 |
| 1987 | 145.17 | 386.95 | -241.78 |
| 1988-89 (15 माह) | 191.89 | 580.97 | -389.08 |
| 1989-90 | 593.83 | 548.33 | +45.50 |
| 1990-91 | 524.72 | 748.76 | -224.04 |
| 1991-92 | 565.88 | 627.23 | -61.35 |
| 1992-93 | 702.78* | 1143.27 | -440.49 |

* (पिछले वर्षों के संबंध में पुनर्निवेश प्रावधानसहित)

गारंटी शुल्क की योजनावार प्राप्ति अनुबंध XVI में दर्शायी गयी है। उपर्युक्त विवरण से पता लगता है कि 1 अप्रैल 1989 से गारंटी शुल्क की दर में बढोतरी के बाद 1989-90 को छोडकर बाद के सभी वर्षों में गारंटी दावों की प्राप्ति गारंटी शुल्क की प्राप्ति से अधिक रही। रिपोर्ट के अधीन वर्ष में घाटा सर्वाधिक रु. 440.49 करोड़ है। इससे यह जरूरी हो जाता है कि योजनाओं की अर्थक्षमता की दृष्टि से उनकी समीक्षा की जाए और बाद में गारंटी शुल्क की दर में बढोतरी की जाए।

## रुग्णता/लघु उद्योग इकाइयों की असफलता

6. लघु उद्योग क्षेत्र के बैंक ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है। सितंबर 1989 में लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों की कुल संख्या 1,86,441 थी जो सितंबर 1990 में बढकर 2,25,324 हो गयी। इस अवधि के दौरान इन रुग्ण इकाइयों का बकाया बैंक ऋण रु. 2,243 करोड़ से बढ़कर रु. 2,610.87 करोड़ हो गया। इन इकाइयों में फँसी पडी राशि सितंबर 1990 के अंत में लघु उद्योग क्षेत्र के रु. 15,944 करोड़ कुल बकाया अग्रिमों का 16.4% है। लघु उद्योग इकाइयों की रुग्णता/असफलता के कारणों का पता लगाने

की दृष्टि से निगम द्वारा वर्ष 1989 में एक अध्ययन किया गया था। इसी प्रकार का अध्ययन चालू वर्ष के दौरान पुनः किया गया और इस प्रयोजन के लिए पास किये गये उच्च मूल्य के 258 दावों को अध्ययन के लिए लिया गया। इस वर्ष और पूर्व में वर्ष 1989 में किये गये अध्ययन की तुलना से पता लगता है कि इकाइयों की असफलता के मुख्य कारण दोनों अध्ययनों में समान पाये गये अर्थात् प्रबंध, तकनीक, वित्तीय, विपणन, श्रम आदि। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा और सरकार की नीतियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भी इकाइयाँ असफल/रुग्ण होती हैं।

## निक्षेप बीमा कार्य

7.1 निगम की निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या 1931 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस में 80 वाणिज्य बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1655 सहकारी बैंक शामिल हैं। बीमाकृत बैंकों का 1981 से वर्षवार विवरण अनुबंध I में दर्शाया गया है। अनुबंध II में दर्शाये अनुसार योजना के अंतर्गत तीन सहकारी बैंक (गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक एक) पंजीकृत किये गये। और तीन सहकारी बैंक (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक-एक) विपंजीकृत किये गये।

7.2 निक्षेप बीमा योजना में वर्तमान में सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकोसहित) और सोलह राज्यों तथा तीन केन्द्र शासित प्रदेशों के वाणिज्य बैंक शामिल हैं। (अनुबंध III) शेष नौ राज्यों और चार केन्द्र शासित प्रदेशों को अभी योजना की परिधि में लाया जाना है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 के प्रावधानों को सिक्किम राज्य में लागू करने का मामला विचाराधीन है। इसी प्रकार निक्षेप बीमा योजना को आसाम, मणिपुर और बिहार के सहकारी बैंकों के लिए लागू करने का मामला भी विचाराधीन है। शेष राज्यों द्वारा अपने राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

7.3 खातों की संख्या और निगम के पास बीमाकृत जमाराशियाँ तथा जून 1991 और जून 1992 के अंत में जमाकर्ताओं को उपलब्ध संरक्षण की सीमा इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| | जून 1991 | जून 1992 |
|---|---|---|
| 1. खातों की कुल संख्या (लाखों में) | 3287 | 3543 |
| 2. पूर्णतः संरक्षित खाते (लाखों में) | 3169 | 3395 |
| 3. 2 के प्रति 1 का प्रतिशत | 96.4 | 95.8 |
| 4. निर्धारण योग्य जमाराशियाँ | 1,86,307 | 2,44,375 |
| 5. बीमाकृत जमाराशियाँ | 1,27,925 | 1,64,527 |
| 6. 5 के प्रति 4 का प्रतिशत | 68.7 | 67.3 |

(विवरण अनुबंध IV और V में दिया गया है)

पूर्णतः संरक्षित खातों और आंशिक रूप से संरक्षित खातों की जमाराशियाँ जून 1992 के अंत में कुल निर्धारणयोग्य जमाराशियों का क्रमशः 49.16 प्रतिशत और 50.84 प्रतिशत है।

7.4 बीमाकृत बैंकों से 1992-93 के दौरान तथा उसकी तुलना में पिछले वर्ष में वसूली गयी किस्त का श्रेणीवार ब्योरा इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| बैंकों की श्रेणी | प्राप्त किस्तें | |
|---|---|---|
| | 1991-92 | 1992-93 |
| (i) वाणिज्य बैंक | 82.41 | 95.66 |
| (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 1.81 | 2.13 |
| (iii) सहकारी बैंक | 9.26 | 8.18 |
| | 93.48 | 105.97 |

7.5 वर्ष 1992-93 के दौरान निगम ने कुल रु. 38.99 करोड़ (खातागत भुगतानसहित) की राशि के दावों का निपटान किया। विवरण इस प्रकार है:

(राशि लाख रुपये में)

| बैंक का नाम | राशि |
|---|---|
| **वाणिज्य बैंक** | |
| बैंक ऑफ कराड़ लिमिटेड (परिसमापनाधीन) | 3700.00* |
| **सहकारी बैंक** | |
| 1. सरदार नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, (परिसमापनाधीन) | 74.06 |
| 2. मैट्रोपालिटन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (परिसमापनाधीन) | 125.00* |
| | 3899.06 |

* खातागत भुगतान को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दावा देयताओं के रूप में खातों में रु. 14.93 करोड़ का प्रावधान किया गया है:

(क) कराड़ बैंक लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के संबंध में दावे की शेष राशि के रूप में रु. 8.43 करोड़।

(ख) वसावी को-ऑपरेटिव अरबन बैंक लिमिटेड, गुरजाला के संबंध में रु. 0.01 करोड़ का पूरक दावा।

(ग) नवदीप को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड परिसमापक द्वारा प्रस्तुत दावे के विचाराधीन निपटान के संबंध में रु. 5.52 करोड़।

(घ) भद्रावती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत दावे के लिए रु. 0.01 करोड़। यह दावा स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन है।

(ङ) मैट्रोपालिटन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के दावों के संबंध में रु. 0.33 करोड़। दावे स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन हैं।

(च) अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेलगाम जी बेलगाम मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक का अन्तरिती बैंक है, द्वारा प्रस्तुत दावों के लिए रु. 0.63 करोड़। दावा स्पष्टीकरणों के अभाव में विचाराधीन है।

7.6 31 मार्च 1993 को 25 वाणिज्य बैंकों (वर्ष के दौरान अदा किये गये रु. 37 करोड़ सहित) के संबंध में कुल दावा-अदाकृत राशि (संचयी) रु. 172.92 करोड़ थी। मार्च 1993 तक कुल चुकौतियाँ रु. 17.57 करोड़ (वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 3.69 करोड़ सहित) की थी। मार्च 1993 तक 5 वाणिज्य बैंकों के संबंध में रु. 0.10 करोड़ की राशि बट्टे खाते डाली गयी।

31 मार्च 1993 को 24 सहकारी बैंकों के मामले में कुल दावा अदाकृत राशि रु. 5.20 करोड़ (वर्ष के दौरान अदा किये गये रु. 1.99 करोड़ सहित) थी। मार्च 1993 तक कुल चुकौतियाँ रु. 0.82 करोड़ (वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 0.06 करोड़ सहित) थी।

31 मार्च 1993 तक दावा अदाकृत और प्रावधान तथा प्राप्त चुकौतियों आदि का विवरण अनुबंध VI में दिया गया है।

## ऋण गारंटी कार्य

### क. छोटे ऋणकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ

8. बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष लिए गये निर्णय के अनुसार निगम ने शून्य/नगण्य सहभागिता तथा सहभागी संस्थाओं द्वारा लगातार चूक की वजह से 31 मार्च 1992 की कारोबार समाप्ति से अपनी तीन निम्नलिखित ऋण गारंटी योजनाओं को समाप्त कर दिया।

(अ) लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना 1971
(आ) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना 1971 और
(इ) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना 1982

तथापि लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना 1971 के अंतर्गत वर्ष के दौरान रु. 0.10 करोड़ की राशि के 24 दावों का निपटान किया गया। जब कि पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत रु. 0.08 करोड़ के 18 दावों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत रु. 1.29 करोड़ के 229 दावे संसाधित कर लिए गये हैं परन्तु स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन हैं।

9. छोटे ऋणकर्ताओं के लिए वर्तमान में परिचालित दो ऋण गारंटी योजनाओं अर्थात्

(1) लघु ऋण गारंटी योजना 1971 और

(2) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984 की समग्र कार्यस्थिति इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| ऋणकर्ताओं की श्रेणी | 31 मार्च 1992 को गारंटीकृत अग्रिम | प्राप्त दावों की राशि | | | दो के प्रति पाँच का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मार्च 1992 तक | 1992-93 के दौरान | मार्च 1993 तक (3+4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (i) कृषक और खेतिहर | 16,572.80 | 1,085.85 | 329.38 | 1,415.23 | 8.53 |
| (ii) अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम | 7,528.78 | 1,154.88 | 534.66 | 1,689.54 | 22.44 |
| (iii) विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं की शेष श्रेणियाँ | 342.00 | 77.41 | 19.25 | 96.66 | 28.26 |
| जोड़ | 24,443.58 | 2,318.14 | 883.29 | 3,201.43 | 13.10 |

लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

10.1 योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध कार्यकलाप, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय आदि के लिए स्वीकृत अग्रिमों को गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

10.2 वर्ष के दौरान निगम द्वारा एक वाणिज्य बैंक को योजना से बाहर होने की अनुमति दी गयी (अनुबंध VIII) परिणाम स्वरूप 31 मार्च 1993 को योजना के अंतर्गत सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या घटकर 248 (इसमें 55 वाणिज्य बैंक और 193 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं) रह गयी जबकि 31 मार्च 1992 को इनकी संख्या 249 थी। (अनुबंध VII)

10.3 योजना के अंतर्गत कुल गारंटीकृत अग्रिम 31 मार्च 1992 को रु. 24,429.24 करोड़ थे जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.24 प्रतिशत कम थे। इसका कारण निगम की ऋण गारंटी योजनाओं से अग्रिम की कुछ श्रेणियों का अलग किया जाना था। योजना का छोटे ऋणकर्ताओं के अधिकांश गारंटीकृत अग्रिमों के मामले में उत्तरदायित्व जारी रहा। यह उत्तरदायित्व गैर लघु उद्योग खंड के रु. 24,443.58 करोड़ के कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 99.94 प्रतिशत है। गारंटीकृत अग्रिमों का वर्षवार और क्षेत्रवार विवरण अनुबंध IX में दर्शाया गया है। योजना के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार ब्योरा तथा उसकी तुलना में दावों की राशि इस प्रकार है:

| ऋणकर्ता की श्रेणी | प्रतिशत | |
|---|---|---|
| | गारंटीकृत अग्रिम | प्राप्त दावे |
| (i) कृषक और खेतिहर | 67.84 | 44.21 |
| (ii) प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य ऋणकर्ता | 30.76 | 52.78 |
| (iii) विभेदक ब्याज दर योजना अग्रिम | 1.40 | 3.01 |
| | 100.00 | 100.00 |

10.4 रिपोर्ट की अवधि के दौरान निगम को रु. 883.27 करोड़ के 36,81,234 दावे प्राप्त हुए जब कि पिछले वर्ष रु. 409.96 करोड़ के 16,52,074 दावे प्राप्त हुए थे। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में दावों में संख्यावार 122.82 प्रतिशत तथा राशिवार 115.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान प्राप्त दावों की राशि रु. 883.27 करोड़ थी जो योजना के अंतर्गत गारंटी प्राप्त रु. 24,429.24 करोड़ के अग्रिमों का 3.61 प्रतिशत है। छोटे ऋणकर्ताओं के मामले में सभी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार ब्योरा अनुबंध XI में दिया गया है।

10.5 निगम ने रु. 565.83 करोड़ के 24,92,313 दावों का निपटान किया जबकि पिछले वर्ष के दौरान रु. 360.05 करोड़ के 15,90,989 दावों का निपटान किया गया। (इस वर्ष की औसत मासिक निपटान दर 2,07,693 दावे रही जबकि पिछले वर्ष यह दर 1,32,582 दावे थी) इसके अतिरिक्त रु. 395.40 करोड़ के 8,86,513 दावे संसाधित कर लिए गए हैं परन्तु स्पष्टीकरण के अभाव में ये विचाराधीन हैं। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 1993 को रु. 288.17 करोड़ के 11,50,902 दावे संसाधित किये जाने हैं। (अनुबंध X)

10.6 रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान प्रस्थापन अधिकार के कारण रु. 52.97 करोड़ की वसूली प्राप्त हुई जब कि पिछले वर्ष के दौरान रु. 38.28 करोड़ की प्राप्ति हुई थी। योजना के प्रारम्भ से प्राप्त हुई वसूलियों की कुल राशि रु. 242.74 करोड़ थी जो रु. 2,299.15 करोड़ (संचयी) की दावा अदाकृत राशि का 10.6 प्रतिशत है।

10.7 इस योजना के अंतर्गत रु. 25,000/- से अनधिक राशि के दावे कम्प्यूटर पर संसाधित किये जाने के लिए मैग्नेटिक टेप्स के माध्यम से प्रस्तुत करनेवाले बैंकों की संख्या 78 (सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों सहित) हो गयी है जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 30 थी। चालू वर्ष के दौरान मैग्नेटिक टेप्स के माध्यम से प्रस्तुत दावों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और ये 26 लाख रहे जबकि पिछले वर्ष ऐसे दावों की संख्या 10 लाख थी। वर्ष के दौरान निगम के पास दायर किये गये दावों में से 66.95 प्रतिशत दावे मैग्नेटिक टेप्स के माध्यम से प्रस्तुत किये गये।

### लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

11.1 योजना में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर कृषि प्रयोजनों के लिए स्वीकृत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम शामिल हैं।

11.2 इस योजना के सहभागी सहकारी बैंकों की संख्या 31 मार्च 1992 को 35 थी जो 31 मार्च 1993 को घटकर 29 रह गयी (अनुबंध VII और VIII)। 31 मार्च 1992 को गारंटीकृत अग्रिमों की राशि रु. 14.34 करोड़ रही जबकि 31 मार्च 1991 को यह राशि रु. 13.77 करोड़ थी।

11.3 निगम को रिपोर्ट की अवधि के दौरान रु. 0.02 करोड़ के 38 दावे प्राप्त हुए। मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 0.01 करोड़ के 2 दावे प्राप्त हुए थे। 38 दावों के निपटानस्वरूप वर्ष 1992-93 के दौरान रु. 0.02 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त रु. 0.10 करोड़ की राशि के 93 दावे संसाधित कर लिए गए हैं परन्तु स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन है।

### ख. लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ

### सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब निरस्त)

12.1 जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि निगम ने 1 अप्रैल 1981 से योजना को बंद करने के बाद इस योजना के अंतर्गत दावे/अभ्यावेदन स्वीकार करना बंद कर दिया था और सभी विचाराधीन दावों का निपटान मार्च 1992 तक कर दिया गया था। तथापि भारत सरकार के एजेन्ट के रूप में निगम के ऋण संस्थाओं से दावा अदाकृत खातों में हुई वसूली के संबंध में प्रयास जारी रहे और ऐसे खातों के मामले में ऋण संस्थाओं से बट्टे खाते डालने, कानूनी कार्रवाई से छूट देने, समझौता करने आदि के प्रस्तावों के संबंध में निगम का कार्य जारी रहा।

12.2 योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान दावा अदाकृत खातो में हुई वसूलियों की राशि को निगम के पास रखे जाने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तथापि सरकार ने निगम को दावा अदाकृत खातों में हुई वसूलियाँ उसी अनुपात (अर्थात् कुल का 30.5%) में रखने की अनुमति दी है जिस अनुपात में रखने की 1986 से 1991 के दौरान के लिए अनुमति दी गयी थी। तदनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान रु. 2.43 करोड़ की कुल वसूलियों में से निगम ने अपने द्वारा किये गये संस्थागत खर्च के रूप में रु. 0.74 करोड़ की राशि अपने पास रखी और रु. 1.69 करोड़ की शेष राशि मार्च 1993 में सरकार के पास भेज दी। एवं, 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के दौरान दावा अदाकृत खातों से हुई वसूली के रूप में रु. 1.42 करोड़ की राशि निगम ने वर्ष 1992-93 से योजना के अवशिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए हुए प्रशासनिक खर्चों के रूप में सरकार की ओर से निगम के हिस्से के संबंध में अनुदेशों की प्रतीक्षा में अपने पास रखी है।

### निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

13.1 31 मार्च 1993 को उपर्युक्त योजना की सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या 344 (31 मार्च 1992 को 357) थी जिसमें 54 वाणिज्य बैंक 149 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 141 सहकारी बैंक शामिल हैं (अनुबंध XII)। वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क में चूक

के कारण अथवा योजना से बाहर होने का विकल्प देने के कारण 14 ऋण संस्थाओं के नाम योजना की सहभागिता से कम किये गये और योजना में एक ऋण संस्था पुनः शामिल की गयी (अनुबंध XIII)। भारतीय रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा में आने वाले लघु उद्योग क्षेत्र के गारंटीकृत अग्रिम 31 मार्च 1992 को रु. 19,161.92 करोड़ के थे।

13.2 निगम को 1992-93 के दौरान रु. 259.98 करोड़ की राशि के 1,29,968 दावे प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष रु. 217.26 करोड़ के 78447 दावे प्राप्त हुए थे। वर्ष 1991-92 के दौरान रु. 255.67 करोड़ के 80510 दावे निपटाये गये जबकि इस वर्ष रु. 243.21 करोड़ के 118147 दावे निपटाये गये। (राशिवार विवरण अनुबंध XV में दर्शाया गया है)। प्राप्त हुए और निपटाये गये दावों का 1 अप्रैल 1981 से वर्षवार विवरण अनुबंध XIV में दर्शाया गया है। 31 मार्च 1993 को रु. 54.85 करोड़ के 23276 दावे विचाराधीन थे।

13.3 निगम के प्रस्थापन अधिकार के कारण रिपोर्ट के अधीन अवधि में योजना के अंतर्गत रु. 17.52 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 1981 से 31 मार्च 1993 के दौरान कुल रु. 59.51 करोड़ की वसूलियाँ प्राप्त हुई जो रु. 725.66 करोड़ के कुल दावा अदाकृत का 8.20 प्रतिशत है।

13.4 31 मार्च 1993 तक योजना के अंतर्गत रु. 1536.72 करोड़ के दावे प्राप्त हुए जो प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र के रु. 19161.20 करोड़ के कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 8.02 प्रतिशत है।

13.5 योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले उच्च मूल्यवर्ग के दावों का निपटान निदेशक बोर्ड की भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। समिति के सदस्यों में चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यपालक तथा एक प्रमुख सनदी लेखाकार शामिल हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान समिति की एक बैठक हुई और रु. 3.49 करोड़ के 37 दावों का निपटान किया गया।

## अन्य गतिविधियाँ

### बीमा किस्त के भुगतान में विलम्ब के लिए दंडस्वरूप ब्याज

14.1 चूककर्ताओं के विरूद्ध निवारक उपाय के रूप में बीमा किस्त के भुगतान में चूक करने वाले बीमाकृत बैंकों के मामले में दंडस्वरूप ब्याज की दर बैंक दर (पिछली बैंक दर) से 1 जनवरी 1993 से 8% अधिक कर दी गयी है। इस संबंध में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली 1961 के विनियम 20 में उचित संशोधन कर दिया गया है।

### दावा अदाकृत खातों में हुई वसूलियों से निगम के हिस्से के प्रेषण में विलम्ब के लिए दंडस्वरूप ब्याज

14.2 वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, निगम की ऋण गारंटी योजनाओं की सहभागी संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे दावा अदाकृत खातों में हुई वसूलियों में निगम का हिस्सा एक माह (लघु उद्योग योजना के मामले में) तथा तीन माह (लघु ऋणकर्ता योजनाओं के मामले में) के भीतर निगम के पास भेज दें। विलम्ब होने की स्थिति में विलम्ब के लिए बकाया राशि पर बैंक दर से ब्याज की वसूली की जाएगी। स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि निगम का हिस्सा भेजने में एक माह/तीन माह यथास्थिति से अधिक विलम्ब होने की स्थिति में प्रेषण में विलम्ब/चूक के निवारक उपाय के रूप में भुगतान बकाया रहने तक की अवधि के लिए संबंधित ऋण संस्था से बैंक दर से 8% अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाएगी।

## लेखे

### तुलन पत्र तथा आय व्यय लेखे

15.1 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के संबंध में आय व्यय लेखा तथा निगम की तीन निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि की 31 मार्च 1993 की स्थिति का तुलन पत्र तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

15.2 1987 से निगम ने निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि की देयताओं के बीमांकिक आधार पर मूल्यांकन की व्यवस्था लागू कर रखी है तदनुसार तीनों निधियों के मामले में आयकर, विचाराधीन दावों आदि के लिए प्रावधान सहित सभी प्रावधान करने पर रु. 65.44 करोड़ का निवल घाटा है जबकि पिछले वर्ष रु. 12.13 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध थी। निक्षेप बीमा निधि रु. 140.78 करोड़ की अतिरिक्त राशि दर्शाती है जब कि ऋण गारंटी निधि रु. 201.90 करोड़ का तथा सामान्य निधि रु. 4.32 करोड़ का घाटा दर्शाती है। ऋण गारंटी निधि के रु. 201.90 करोड़ के घाटे को इतनी ही राशि निक्षेप बीमा

निधि से अंतरित कर बराबर किया गया है तथा सामान्य निधि के रु. 4.32 करोड़ के घाटे को इसके सामान्य रिज़र्व में अन्तरित किया गया है।

15.3 पिछले वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च 1992 को वर्ष 1987 के बाद रहे अतिरिक्त/घाटे के रूप में ऋण गारंटी निधि से निक्षेप बीमा निधि के लिए रु. 273.96 करोड़ की राशि देय है। ऋण गारंटी निधि के चालू वर्ष के रु. 201.90 करोड़ के घाटे को इतनी ही राशि निक्षेप बीमा निधि से अंतरित करके बराबर किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप निक्षेप बीमा निधि को देय राशि बढ़कर रु. 475.86 करोड़ हो गयी है।

### बजट नियंत्रण

15.4 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष तक बजटीय व्यवस्था और उनकी समीक्षा केवल सामान्य निधि तक सीमित थी जो निगम के कुल राजस्व एवं व्यय के 10 प्रतिशत से कम होती है। परन्तु वर्ष 1992-93 से निगम के राजस्व और व्यय के मामले में यह बजट नियंत्रण सभी गतिविधि खंडों पर लागू कर दिया गया है।

15.5 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार जिन राशियों की कुछ समय के लिए आवश्यकता नहीं होती है उनका निवेश भारत सरकार के 91/182/364 दिवसीय खजाना बिलों में किया जाता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 25 में सुधार के लिए कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है ताकि निगम अपनी अतिरिक्त निधियों का निवेश अन्य प्रकार की अनुमोदित प्रतिभूतियों आदि में कर सके तथा उसकी प्राप्ति में अधिकतम बढोतरी हो सके। विवरण अनुबंध XVII में दर्शाया गया है। तीनों निधियों के निवेशों के मूल्य ऱ्हास के लिए पूर्णतः प्रावधान कर लिया गया है।

## सामान्य

### लेखा परीक्षक

16.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 29(I) के अनुसार निदेशक बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से 31 मार्च 1993 को समाप्त लगातार चौथे वर्ष के लिए मैसर्स एन. बी. शेट्टी एंड कं., सनदी लेखाकार बंबई को निगम का लेखा परीक्षक नियुक्त किया।

### हिन्दी की प्रगति

16.2 निगम के अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में प्रयास जारी रहे। निगम के परिपत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषिक रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनो में जारी की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार से राजभाषा के संबंध में प्राप्त विभिन्न अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा निगम में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित किया जाता है तथा इसकी बैठकों में लक्ष्य प्राप्ति के उपाय सुझाये जाँते हैं। संसदीय राजभाषा समिति ने जून 1992 के दौरान निगम के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया। हिन्दी प्रयोग के संबंध में समिति के सुझावों को लागू किया जा रहा है। निगम ने अपने स्टाफ सदस्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित विभिन्न हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया। वर्ष के दौरान दो वरिष्ठ अधिकारियों ने प्राज्ञ तथा दो अन्य अधिकारियों ने प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण की। हिन्दी के बढते प्रयोग के लिए बोर्ड के अनुमोदन से निगम के लिए अतिरिक्त हिन्दी स्टाफ प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। निगम के प्रधान कार्यालय को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

### प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्तियाँ

16.3 नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्स्टेंशन ट्रेनिंग हैदराबाद द्वारा आयोजित "लघु उद्योग वित्तपोषण" कार्यक्रम में भाग लेने आये विकासशील देशों के वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 20 सहभागियों के एक समूह ने निगम में आकर इसकी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया का अध्ययन किया। निगम ने वाणिज्य बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में निगम की योजनाओं तथा उनके अंतर्गत दावों के निपटान के संबंध में विषयों पर सत्र लेने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान 27 अधिकारियों 15 लिपिकों और 9 अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

### भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा

16.4 रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग के केन्द्रीय लेखा परीक्षा कक्ष द्वारा वर्ष के दौरान चार बार वित्तीय लेखा परीक्षा की गयी। लेखा परीक्षा 1 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1992 तक की अवधि के लिए की गयी। लेखा परीक्षा रिपोर्टों में बतायी गयी वित्तीय अनियमितताएँ/सुझावों का निगम द्वारा अनुपालन/सुधार

कर लिया गया है। रिपोर्टों में दर्शायी गयी कुछ प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

प्रबंधतंत्र

श्री. डी. आर. मेहता उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक को श्री. रा. जानकीरामन के बदले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 3 दिसंबर 1992 से निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री. आर. एल. वधवा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक ने बैंक से त्यागपत्र दे दिया है और परिणामस्वरूप वे 25 जून 1992 से निगम के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे। भारत सरकार ने श्री. टी. एस. लस्चर के स्थान पर सुश्री. मोना शर्मा, संयुक्त निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय को सरकार के नामित निदेशक के रूप में 8 अप्रैल 1993 से नामित किया है। वर्ष के दौरान निगम के बोर्ड के लिए निम्नलिखित निदेशकों को 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया गया है।

| नाम | नामित करने की तारीख |
|---|---|
| निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(I)(डी) के अंतर्गत नामित | |
| श्री. यू. महेश राव<br>प्रबंध निदेशक, बी.आइ.सी.आइ. | 28 अगस्त 1992 |
| श्री. एन. पी. सारडा<br>सनदी लेखाकार | 9 सितंबर 1992 |
| डॉ. पी. डब्ल्यू. रेगे<br>भूतपूर्व अध्यक्ष, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक | 9 सितंबर 1992 |
| श्री. एस. एच. खान<br>प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | 28 अगस्त 1992 |
| निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(I)(ई) के अंतर्गत नामित | |
| प्रो. गंगाधर गाडगिल<br>अर्थशास्त्री | 9 सितंबर 1992 |

वर्ष के दौरान निगम के निदेशक बोर्ड की चार बैठकें हुई।

डॉ. के. के. मुखर्जी की सेवा निवृत्ति के बाद 29 जुलाई 1992 से श्री. एस. के. कपूर ने निगम के महा प्रबंधक का कार्यभार संभाला।

बोर्ड परिचालनात्मक कार्यकुशलता को बनाये रखने के लिए निगम के महा प्रबंधक और स्टाफ की सराहना करता है।

**निक्षेप बीमा और**
**प्रत्यय गारंटी निगम**
**बम्बई 400 039.**

दिनांक : 18 जून 1993

निदेश मंडल की ओर से
और उसके वास्ते

(डी. आर. मेहता)
अध्यक्ष

## अनुबंध - I

## वर्ष 1962 से निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंकों की संख्या दर्शानेवाला विवरण

| वर्ष | वर्ष के प्रारंभ में पंजीकृत बैंको की संख्या | वर्ष/अवधि के दौरान में पंजीकृत बैंकों की संख्या | उन विपंजीकृत बैंकों की संख्या जहां निगम में देयता | | जोड़ (4+5) | वर्ष/अवधि के अंत मे पंजीकृत बैंकों की संख्या (2+3-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आयी | नहीं आयी | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1962 | 287 | — | 2 | 9 | 11 | 276 |
| 1963 से 1980 | 276 | 1541 | 21 | 214 | 235 | 1582 |
| 1981 | 1582 | 69 | 1 | 3 | 4 | 1647 |
| 1982 | 1647 | 44 | 1 | 7 | 8 | 1683 |
| 1983 | 1683 | 55 | — | 2 | 2 | 1736 |
| 1984 | 1736 | 71 | 1 | 1 | 2 | 1805 |
| 1985 | 1805 | 41 | 5 | 4 | 9 | 1837 |
| 1986 | 1837 | 27 | 2 | 3 | 5 | 1859 |
| 1987 | 1859 | 42 | 3 | — | 3 | 1898 |
| 1988-89 | 1898 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1903 |
| 1989-90 | 1903 | 19 | 1 | — | 1 | 1921 |
| 1990-91 | 1921 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1922 |
| 1991-92 | 1922 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1931 |
| 1992-93 | 1931 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1931 |

## 1991-92 और 1992-93 के अंत में बीमाकृत बैंकों की स्थिति का अलग-अलग विवरण

| वर्ष | बीमाकृत बैंकों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | सहकारी बैंक | जोड़ |
| 1991-92 | 80 | 196 | 1655 | 1931 |
| 1992-93 | 80 | 196 | 1655 | 1931 |

अनुबंध - II

31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत और विपंजीकृत बैंकों के नाम दर्शाने वाला विवरण

(क) पंजीकृत बैंकों के नाम

सहकारी बैंक

**गोवा**

बिचोलिम अर्बन को-आप. बैंक लि., बिचोलिम

**महाराष्ट्र**

सुवर्णमंगल महिला सहकारी बैंक लि., डोंबिवली (पूर्व), ठाणे

**राजस्थान**

ब्यावर अर्बन को-आप. बैंक लि., अजमेर

(ख) विपंजीकृत बैंकों के नाम

सहकारी बैंक

**आंध्र प्रदेश**

खम्माम को-आप. अर्बन बैंक लि., खम्माम

**कर्नाटक**

बेलगाम मुसलिम को-आप. बैंक लि., बेलगाम

**महाराष्ट्र**

मेट्रोपोलिटन को-आप. बैंक लि., बम्बई

# अनुबंध - III

## बीमाकृत बैंकों की स्थिति का सार
## (31 मार्च 1993 की स्थिति)

I. वाणिज्य बैंक..... 80
II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक..... 196
III. सहकारी बैंक (अलग-अलग विवरण नीचे लिखे अनुसार)..... 1655

1931

| राज्य | अपैक्स | सैंट्रल | प्राइमरी | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1 | 22 | 60 | 83 |
| गोवा | 1 | — | 6 | 7 |
| गुजरात | 1 | 21 | 289 | 311 |
| हरियाणा | 1 | 13 | 8 | 22 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 | 2 | 4 | 7 |
| जम्मू और कश्मीर | 1 | 3 | 3 | 7 |
| कर्नाटक | 1 | 22 | 203 | 226 |
| केरल | 1 | 14 | 56 | 71 |
| मध्य प्रदेश | 1 | 45 | 41 | 87 |
| महाराष्ट्र | 1 | 31 | 379 | 411 |
| उड़ीसा | 1 | 17 | 14 | 32 |
| राजस्थान | 1 | 27 | 23 | 51 |
| तमिलनाडू | 1 | 19 | 133 | 153 |
| त्रिपुरा | 1 | — | 1 | 2 |
| उत्तर प्रदेश | 1 | 56 | 45 | 102 |
| पश्चिम बंगाल | 1 | 17 | 48 | 66 |
| **संघ शासित क्षेत्र** | | | | |
| दिल्ली | 1 | — | 14 | 15 |
| दीव और दमण | — | — | — | — |
| पाँडिचेरी | 1 | — | 1 | 2 |
| **कुल सहभागी बैंक** | **18** | **309** | **1328** | **1655** |

## अनुबंध - IV

## बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार और जून 1981 से जून 1992 तक के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

| वर्ष | पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या @ (लाखों में) | खातों की कुल संख्या (लाखों में) | (3) के प्रति (2) का प्रतिशत | बीमाकृत जमाराशियाँ @ (करोड़ रुपये में) | कुल निर्धारणीय जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में) | (6) के प्रति (5) का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1961 | 55.42 | 70.58 | 78.5 | 392.32 | 1693.74 | 23.1 |
| 1981 | 1364.62 | 1377.07 | 99.1 | 25859.20 | 35004.43 | 73.9 |
| 1982 | 1580.98 | 1598.24 | 98.9 | 31773.92 | 42360.41 | 75.0 |
| 1983 | 1784.97 | 1815.82 | 98.3 | 37746.39 | 50796.54 | 74.3 |
| 1984 | 2000.19 | 2025.94 | 98.7 | 46339.53 | 61880.23 | 74.8 |
| 1985 | 2145.16 | 2238.37 | 95.8 | 56211.15 | 76517.22 | 73.5 |
| 1986 | 2320.05 | 2359.60 | 98.0 | 62878.13 | 86213.96 | 72.9 |
| 1987 | 2518.01 | 2568.51 | 98.0 | 75511.19 | 103044.16 | 73.3 |
| 1988/89 | 2704.87 | 2780.88 | 97.3 | 90191.69 | 126864.19 | 71.1 |
| 1989/90 | 3059.11 | 3141.68 | 97.4 | 101681.96 | 140745.95 | 72.2 |
| 1990/91 | 2982.52 | 3089.12 | 96.5 | 109315.52 | 156891.90 | 69.7 |
| 1991/92 | 3169.18 | 3287.00 | 96.4 | 127924.91 | 186307.39 | 68.7 |
| 1992/93 | 3395.03 | 3543.02 | 95.8 | 164526.57 | 244375.38 | 67.3 |

@ अर्थात् खातों की संख्या जिनमें 1967 के अंत तक 1,500 रुपये और 1981 के बाद 30,000 रुपये से अनधिक बकाया राशियाँ थीं।

## अनुबंध - V

## वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के लिए बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को (वर्गवार) प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

| वर्ष | बैंकों का वर्ग | बैंकों की कुल संख्या | सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या | बीमाकृत जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में) | कुल निर्धारणीय जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में) | (6) के प्रति (5) का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1990-91 | वाणिज्य बैंक | 79 | 55 | 94810.07 | 134939.24 | 70.26 |
| | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 196 | 133 | 2033.10 | 2323.56 | 87.49 |
| | सहकारी बैंक | 1647 | 1122 | 12472.35 | 19629.10 | 63.54 |
| | **जोड़** | 1922 | 1310 | 109315.52 | 156891.90 | 69.68 |
| 1991-92 | वाणिज्य बैंक | 80 | 59 | 113252.05 | 165220.12 | 68.55 |
| | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 196 | 120 | 2358.59 | 2631.40 | 89.63 |
| | सहकारी बैंक | 1655 | 1124 | 12314.27 | 18455.87 | 66.72 |
| | **जोड़** | 1931 | 1303 | 127924.91 | 186307.39 | 68.66 |
| 1992-93 | वाणिज्य बैंक | 80 | 59 | 141356.73 | 212759.40 | 66.44 |
| | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 196 | 116 | 2995.59 | 3430.41 | 87.32 |
| | सहकारी बैंक | 1655 | 1065 | 20174.25 | 28185.57 | 71.58 |
| | **जोड़** | 1931 | 1240 | 164526.57 | 244375.38 | 67.33 |

# अनुबंध - VI

## अदा किये गये और प्रावधान किये गये निक्षेप बीमा दावे तथा प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ - 31 मार्च 1993 की स्थिति

(राशि लाख रुपये में)

| क्रम सं. | बैंक का नाम (जिस वर्ष दावे निपटाये गये उसे कोष्टकों में दिखाया गया है) | कुल बीमाकृत जमाराशियाँ जो अदा की गयी और जिनके लिए प्रावधान किया गया | निगम द्वारा प्राप्त चुकौतियाँ | शेष राशि (3-4) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| **I.** | **वाणिज्य बैंक** | | | |
| | i) उन बैंकों से संबद्ध ब्यौरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी है | | | |
| $ 1. | बैंक ऑफ चाइना, कलकत्ता (1963) | 9.25 | 9.25 | — |
| * 2. | श्री. जादेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965) | 0.12 | 0.12 | — |
| * 3. | बैंक ऑफ बिहार लि., पटना (1970) | 46.32 | 46.32 | — |
| | **जोड़: ''क''** | 55.69 | 55.69 | — |
| | ii) उन बैंकों से संबंद्ध ब्यौरे जिनके बारे में निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति की गयी है और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गयी है। | | | |
| * 4. | यूनिटी बैंक लि., मद्रास (1963) | 2.53 | 1.37 | @@ |
| * 5. | उन्नाव कमर्शियल बैंक लि., उन्नाव (1946) | 1.08 | 0.31 | @@ |
| 6. | चावला बैंक लि., देहरादून (1969) | 0.18 | 0.14 | @@ |
| * 7. | मैट्रोपोलिटन बैंक लि., कलकत्ता (1964) | 8.80 | 4.41 | @@ |
| * 8. | सदर्न बैंक लि., कलकत्ता (1964) | 7.34 | 3.73 | @@ |
| | **जोड़: ''ख''** | 19.93 | 9.96 | @@ |
| | iii) उन बैंकों से संबंद्ध ब्यौरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है। | | | |
| * 9. | बैंक ऑफ अलगपुरी लि., अलगपुरी (1963) | 0.28 | 0.18 | 0.10 |
| * 10. | कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964) | 7.10 | 4.15 | 2.95 |
| * 11. | लेटिन ख्रिस्तियन बैंक लि., एर्नाकुलम (1964) | 2.08 | 1.14 | 0.94 |
| + 12. | नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966) | 0.99 | 0.88 | 0.11 |
| | | (0.85) | | (0.85) |
| + 13. | हबीब बैंक लि., बंबई (1966) | 17.26 | 16.78 | 0.48 |
| | | (1.18) | | (1.18) |
| * 14. | नेशनल बैंक ऑफ लाहोर लि., दिल्ली (1970) | 9.69 | — | 9.69 |

## अनुबंध - VI (जारी)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| * 15. | बैंक ऑफ कोचीन, कोचीन (1986) | 1162.78 | 417.68 | 745.10 |
| * 16. | मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज (1987) | 146.59 | 30.37 | 116.22 |
| * 17. | लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1987) | 3340.62 | 630.81 | 2709.81 |
| * 18. | हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1988) | 2191.67 | 176.56 | 2015.11 |
| * 19. | यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., (1990) | 3501.58 | 38.56 | 3463.02 |
| * 20. | ट्रेडर्स बैंक लि. (1990) | 306.34 | 106.99 | 199.35 |
| * 21. | बैंक ऑफ तंजावुर लि. (1990) | 1078.36 | 135.29 | 943.07 |
| * 22. | बैंक ऑफ तमिलनाडू लि. (1990) | 764.50 | 61.64 | 702.86 |
| * 23. | परूर सेंट्रल बैंक लि. (1990) | 260.92 | 56.73 | 204.19 |
| * 24. | पूरवांचल बैंक लि. (1991) | 725.77 | 13.75 | 712.02 |
| * 25. | बैंक ऑफ कराड़ लि. (1992) | 3700.00 | — | 3700.00 |
| | **जोड़ : ''ग''** | 17216.53 | 1691.51 | 15525.02 |
| | **जोड़ : ''क'' + ''ख'' + ''ग''** | 17292.15 | 1757.16 | 15525.02 |
| **II.** | **सहकारी बैंक** | | | |
| i) | उन बैंकों से संबद्ध ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी है | | | |
| $$ 26. | मालवण को-ऑप. अर्बन बैंक लि., मालवण (1977) | 1.86 | 1.84 | ++ |
| % 27. | बंबई पीपल्स को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1978) | 10.72 | 10.72 | +++ |
| | **जोड़ : ''घ''** | 12.58 | 12.56 | — |
| ii) | उन बैंकों से संबद्ध ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है। | | | |
| @ 28. | बंबई कमर्शियल को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1976) | 5.73 | — | 5.73 |
| @ 29. | घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लि., बंबई (1977) | 2.76 | — | 2.76 |
| @ 30. | आरे मिल्क कॉलोनी को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1978) | 0.60 | — | 0.60 |
| * 31. | रत्नागिरी अर्बन को-ऑप. बैंक लि., रत्नागिरी (1978) | 46.43 | 11.94 | 34.49 |
| * 32. | विश्वकर्मा को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1979) | 11.57 | 5.60 | 5.97 |
| * 33. | प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., बंबई (1979) | 7.02 | 3.06 | 3.96 |
| * 34. | कलाविहार को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1979) | 13.17 | 3.31 | 9.86 |
| @ 35. | रामदुर्ग अर्बन को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981) | 2.30 | — | 2.30 |
| * 36. | वैश्य को-ऑप. बैंक लि., बंगलूर (1982) | 91.31 | 12.95 | 78.36 |
| @ 37. | दधीच सहकारी बैंक लि., बंबई (1984) | 18.51 | 15.87 | 2.64 |

## अनुबंध - VI (जारी)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| @ 38. | कोल्लुर पार्वती को-ऑप. बैंक लि., कोल्लुर (1985) | 13.96 | — | 13.96 |
| @ 39. | आदर्श को-ऑप. बैंक लि., मैसूर (1985) | 2.74 | 0.65 | 2.09 |
| * 40. | कुर्दुवाड़ी मर्चेन्ट्स अर्बन को-ऑप. बैंक लि., (1986) | 4.85 | 3.53 | 1.32 |
| @ 41. | गदग अर्बन को-ऑप. बैंक लि., गदग (1986) | 22.85 | 7.66 | 15.19 |
| @ 42. | मणिहाल अर्बन को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि., मणिहाल (1987) | 9.61 | 2.28 | 7.33 |
| @ 43. | हिंद अर्बन को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि., लखनऊ (1988) | 10.95 | — | 10.95 |
| @ 44. | येलामंचिली को-ऑप. बैंक लि., येलामंचिली (1990) | 4.36 | — | 4.36 |
| @ 45. | वसवी को-ऑप. अर्बन बैंक लि., गुरजाला (1991) | 3.89 | — | 3.89 |
| @ 46. | कुन्दारा को-ऑप. अर्बन बैंक लि. (1991) | 17.37 | 2.59 | 14.78 |
| @ 47. | मनोली श्री पंचलिंगेश्वर अर्बन को-ऑप. बैंक लि. (1991) | 17.44 | — | 17.44 |
| @ 48. | सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि. (1991) | 74.06 | — | 74.06 |
| @ 49. | मैट्रोपोलिटन को-ऑप. बैंक लि. (1992) | 125.00 | — | 125.00 |
| | **जोड़: "ङ"** | 506.48 | 69.44 | 437.04 |
| | **जोड़: "घ" + "ङ"** | 519.06 | 82.00 | 437.04 |
| | **जोड़: "क" + "ख" + "ग" + "घ" + "ङ"** | 17811.21 | 1839.16 | 15962.06 |

$ बैंकिग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द किया गया।

* समामेलन योजना

@ परिसमापन में गये बैंक।

@@ कुल रु. 9.97 लाख की शेष राशि बट्टे खाते डाली गयी। इसमें रु. 0.10 लाख की राशि भी शामिल है, जिसके लिए केवल व्यवस्था की गयी है किन्तु यह अदा नहीं की गयी है।

\+ व्यवस्था योजना अंतर्गत लिये गये बैंक।

++ लापता जमाकर्ता के संबंध में की गयी व्यवस्था की रु. 0.02 लाख की राशि पुरांकित की गयी।

+++ लापता जमाकर्ता के संबंध में की गयी व्यवस्था की 2.07 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

$$ वर्ष 1984 में बैंक को पुनः शुरू किया गया और सारस्वत को-ऑप. बैंक लि. में इसका स्वैच्छिक समामेलन कर दिया गया।

% बैंक को स्वेच्छापूर्वक सारस्वत को-ऑप. बैंक लि. के साथ 1987 में समामेलित कर दिया गया।

टिप्पणियाँ: (क) ऊपर दिये गये दावों के आँकड़े समायोजन करने के बाद के हैं।

(ख) कोष्टकों में दिये गये आँकड़े पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में देयताओं को सूचित करते हैं।

(ग) कॉलम 3 में दर्शायी गयी राशि से बैंक ऑफ कराड़ लिमिटेड (रु. 37 करोड़) और मैट्रोपोलिटन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (रु. 1.25 करोड़) (दोनों परिसमापनाधीन) को किया गया दावागत भुगतान शामिल हैं।

## अनुबंध - VII

## छोटे ऋणकर्ताओं के लिए निगम की ऋण गारंटी योजनाओं में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की 31 मार्च 1993 की वर्गवार स्थिति

| | गारंटी योजना का नाम | 31 मार्च 1992 को सहभागी ऋण संस्थाएँ | | | | | अप्रैल 1992 - मार्च 1993 के दौरान शामिल (+)/ अलग (-) होनेवाली ऋण संस्थाएँ | | | | | सहभागी संस्थाओं की कुल संख्या 31 मार्च 1993 की स्थिति | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | सहकारी बैंक | राज्य वित्त निगम | कुल | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | सहकारी बैंक | राज्य वित्त निगम | कुल | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | सहकारी बैंक | राज्य वित्त निगम | कुल |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 1. | लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 | 56 | 193 | — | — | 249 | (-)1 | — | — | — | (-)1@ | 55 | 193 | — | — | 248 |
| 2. | लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 | — | — | 35 | — | 35 | — | — | (-)6 | — | (-)6@ | — | — | 29 | — | 29 |

@ नाम अनुबंध - VIII में दर्शाये गये हैं।

टिप्पणी : सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना 1971, लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971 और लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982 को 31 मार्च 1992 की कारोबार समाप्ति से बंद कर दिया गया है।

## अनुबंध - VIII

## अप्रैल 1992 से मार्च 1993 अवधि के दौरान सहभागी ऋण संस्थाओं की सूची से बाहर होनेवाली/हटायी गयी ऋण संस्थाओं के नाम

**क्र. सं. संस्था का नाम**

लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

1. तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड, तूतीकोरिन (तमिलनाडु)

लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

1. टैक्सटाइल ट्रेडर्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, (गुजरात)
2. पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई, (महाराष्ट्र)
3. उद्यम विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, (महाराष्ट्र)
4. सर्वोदय कमर्शियल बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, (गुजरात)
5. नवोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मल्लेश्वरम्, बंगलूर, (कर्नाटक)
6. तिरूर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मालापुरम्, (केरल)

# अनुबंध - IX

## निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| | योजना/उधारकर्ता की श्रेणी | जून के अंत की स्थिति | | | | | | | | मार्च के अंत की स्थिति | | | | | कुल के प्रति कॉलम 14 का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1972 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.£ | 12.£ | 13.£ | 14.£ | 15. |
| | **छोटे उधारकर्ता** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **(क) गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.** | **लघु ऋण गारंटी योजना, 1971** | **205.71** | **3546.24** | **4819.77** | **5736.44** | **7045.38** | **8842.29** | **10345.10** | **10998.22** | **14145.67** | **25562.66** | **27676.73** | **29166.66** | **24429.24** | **99.94** |
| i) | कृषक तथा काश्तकार | 134.67 | 2267.52 | 3041.59 | 3594.84 | 4181.98 | 5057.75 | 6020.34 | 6428.29 | 8504.48 | 10542.04 | 18565.55 | 19788.04 | 16572.80 | (67.84) |
| ii) | परिवहन चालक | 28.29 | 477.56 | 731.31 | 937.68 | 1239.58 | 1510.21 | 1606.00 | 1664.73 | 1665.58 | | | | | |
| iii) | फुटकर व्यापारी | 28.34 | 398.86 | 511.83 | 574.80 | 709.84 | 972.45 | 1191.85 | 1257.99 | 1795.38 | | | | | |
| iv) | व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति | 9.14 | 165.66 | 199.12 | 240.76 | 326.94 | 484.88 | 656.56 | 700.15 | 964.99 | 14519.56$ | 8727.03$ | 8973.00$ | 7514.44$ | (30.76) |
| v) | कारोबारी उद्यम | 5.27 | 150.08 | 209.70 | 239.62 | 322.51 | 473.42 | 609.51 | 694.64 | 923.18 | | | | | |
| vi) | विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी | — | 86.56 | 126.22 | 148.74 | 264.53 | 343.58 | 260.84 | 252.42 | 292.06 | 501.06 | 384.15 | 405.62 | 342.00 | (1.40) |
| **II.** | **लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971** | **2.56** | **10.89** | **18.58** | **35.64** | **52.68** | **69.24** | **85.19** | **92.28** | **108.68** | **2.70** | **4.17** | **—** | **—** | |
| **III.** | **सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971** | **0.12** | **1.32** | **1.53** | **1.75** | **0.50** | **10.72** | **0.72** | **0.72** | **1.84** | **0.20** | **0.44** | **0.39** | **—** | |
| **IV.** | **लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984** | — | — | — | — | **5.69*** | **10.76** | **14.96** | **25.00** | **35.19** | **20.70** | **10.98** | **13.77** | **14.34** | **0.06** |
| i) | परिवहन चालक | — | — | — | — | 1.84 | 3.63 | 5.49 | 8.54 | 13.31 | | | | | |
| ii) | फुटकर व्यापारी | — | — | — | — | 2.64 | 4.51 | 5.53 | 7.67 | 8.51 | | | | | |
| iii) | व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति | — | — | — | — | 1.05 | 1.55 | 1.87 | 4.08 | 6.74 | 20.70$ | 10.98$ | 13.77$ | 14.34$ | |
| iv) | कारोबारी उद्यम | — | — | — | — | 0.16 | 1.07 | 2.07 | 4.71 | 6.63 | | | | | |
| | **I, II, III तथा IV का जोड़** | 208.39 | 3558.45 | 4839.88 | 5773.83 | 7104.25 | 8923.01 | 10445.97 | 11116.22 | 14291.38 | 25580.26 | 27692.32 | 29180.82 | 24443.58 | 100.00 |

# अनुबंध - IX (जारी)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **लघु उद्योग उधारकर्ता** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(ख) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजना लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981** | | | | | | | | | | | | | | |
| I. कुटीर उद्योगों सहित सभी लघु उद्योग यूनिटें | — | 3716.43@ | 3822.13 | 4153.73 | 4890.86 | 5843.69 | 7497.46 | 7738.03 | 10464.66 | 14094.00 | 16826.21 | 17362.36 | 19161.92 | |
| **कुल जोड़ (क) + (ख) :** | 208.39 | 7274.88 | 8662.01 | 9927.56 | 11995.11 | 14766.70 | 17943.43 | 18854.25 | 24756.04 | 39680.26 | 44518.53+ | 46543.18+ | 43605.50 | |

@ 31 मार्च 1981 की स्थिति

* 31 दिसंबर 1984 की स्थिति

£ गारंटी कृत अग्रिमों का क्षेत्रवार अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है।

$ अनेक सहभागी ऋण संस्थाओं से विवरण प्राप्त न होने के कारण इन कॉलमों में दिये गये आँकड़े (i) वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क के प्रेषणों की वास्तविक प्राप्तियों (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की निवेश सूची के आँकलनों पर आधारित हैं।

+ वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए ऋण संस्थाओं को कुछ श्रेणी के अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल न करने की अनुमति दिये जाने के कारण 31 मार्च 1990 और 1991 के गारंटीकृत अग्रिमों के संशोधित अनन्तिम आँकडे क्रमशः रु. 35,851.33 करोड़ और रु. 37,410.16 करोड़ हैं।

≠ 1 अप्रैल 1992 को समाप्त।

अनुबंध - X

## छोटे ऋणकर्ताओं के संबंध में निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| अवधि | प्राप्त दावे | | निपटाये गये दावे | | कॉलम 4 और 5 के अनुसार निपटाये गये दावों में से | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अदा किये गये दावे | | वापस लिये गये दावे | | अस्वीकृत दावे | |
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 |
| 1977 के अंत तक | 21,638 | 6.70 | 12,410 | 3.30 | 11,606 | 2.94 | 423 | 0.13 | 381 | 0.23 |
| 1978 के दौरान | 29,925 | 8.76 | 14,623 | 3.34 | 13,825 | 3.03 | 407 | 0.07 | 391 | 0.24 |
| 1979 के दौरान | 39,535 | 11.30 | 25,739 | 6.95 | 23,930 | 5.69 | 1,054 | 0.41 | 755 | 0.85 |
| 1980 के दौरान | 83,557 | 14.90 | 47,481 | 7.20 | 45,303 | 6.50 | 214 | 0.08 | 1964 | 0.62 |
| 1981 के दौरान | 1,00,669 | 16.25 | 74,030 | 11.14 | 72,216 | 9.08 | 582 | 0.28 | 1232 | 1.77 |
| 1982 के दौरान | 1,50,926 | 24.71 | 1,05,513 | 14.50 | 1,02,141 | 12.49 | 1369 | 0.59 | 2003 | 1.43 |
| 1983 के दौरान | 1,47,474 | 27.84 | 1,27,714 | 19.64 | 1,23,202 | 17.94 | 1,643 | 0.52 | 2,869 | 1.18 |
| 1984 के दौरान | 2,54,692 | 61.71 | 2,36,625 | 32.09 | 2,28,419 | 30.99 | 741 | 0.22 | 7,465 | 0.88 |
| 1985 के दौरान | 4,53,722 | 114.91 | 4,66,611 | 114.45 | 3,36,663 | 71.80 | 1,19,770 | 41.97 | 10,178 | 0.68 |
| 1986 के दौरान | 6,30,365 | 140.94 | 6,44,090 | 176.39 | 4,84,852 | 86.86 | 1,47,419 | 87.18 | 11,819 | 2.35 |
| 1987 के दौरान | 10,71,221 | 255.27 | 7,67,080 | 148.41 | 7,42,061 | 141.92 | 25 | 0.07 | 24,994 | 6.42 |
| 1988-89 के दौरान (15 माह) | 15,28,391 | 364.08 | 12,90,945 | 280.61 | 12,60,266 | 272.29 | 515 | 0.11 | 30,164 | 8.21 |
| 1989-90 के दौरान | 15,03,349 | 355.75 | 15,98,791 | 346.58 | 15,72,389 | 338.58 | 1,209 | 0.30 | 25,193 | 7.70 |
| 1990-91 के दौरान | 20,87,562 | 505.05 | 19,00,904 | 427.17 | 18,62,697 | 415.35 | 4202 | 1.42 | 34,005 | 10.40 |
| 1991-92 के दौरान | 16,52,076 | 409.97 | 15,91,028 | 360.14 | 15,39,574 | 345.06 | 4,421 | 1.58 | 47,033 | 13.50 |
| **जोड़ ''क''** | **97,52,102** | **2318.14** | **89,03,584** | **1951.91** | **84,19,144** | **1760.52** | **2,83,994** | **134.93** | **2,00,446** | **56.46** |
| 1992-93 के दौरान | | | | | | | | | | |
| I. ल.ऋ.गा.यो., 1971 | 36,81,234@ | 883.27@ | 24,92,313 | 565.83 | 24,08,024 | 538.51 | 62 | 0.06 | 84,227 | 27.26 |
| II. ल.ऋ. (वि.नि.) गा.यो., 1971 | — | — | 24 | 0.10 | 24 | 0.10 | — | — | — | — |
| III. ल.ऋ. (स.बैं.) गा.यो., 1984 | 38 | 0.02 | 38 | 0.02 | 38 | 0.02 | — | — | | |
| **जोड़ ''ख'' (I+II+III)** | **36,81,272** | **883.29** | **24,92,375** | **565.95** | **24,08,086** | **538.63** | **62** | **0.06** | **84,227** | **27.26** |
| **कुल जोड़ (क+ख)** | **1,34,33,374@** | **3201.43@** | **1,13,95,959** | **2517.86** | **10827230** | **2299.15** | **2,84,056** | **134.99** | **2,84,673** | **83.72** |

@ अप्रैल 1992 से मार्च 1993 तक के अनन्तिम आकड़ों सहित

**विचाराधीन दावों का अलग-अलग विवरण**

| | संख्या | राशि (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|
| 1. संसाधित किये जाने वाले | 11,50,902 | 288.17 |
| 2. संसाधित परन्तु स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन | 8,86,513 | 395.40 |
| **जोड़** | 20,37,415 | 683.57 |

## अनुबंध - XI

## छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | उधारकर्ताओं की श्रेणी | 31 मार्च 1992 तक प्राप्त कुल दावे | | 1992-93 के दौरान प्राप्त दावे@ | | कॉलम 6 की कुल राशि का प्रतिशत | जोड़ 31 मार्च 1993 तक | | कॉलम 9 की कुल राशि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | राशि | संख्या | राशि | | संख्या (3+5) | राशि (4+6) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | कृषक और काश्तकार | 47,79,155 | 1085.85 | 15,62,700 | 329.38 | 37.29 | 6341855 | 1415.23 | 44.21 |
| II. | परिवहन चालक | 3,87,638 | 276.27 | 1,34,366 | 74.55 | 8.44 | 522004 | 350.82 | 10.96 |
| III. | फुटकर व्यापारी | 21,15,762 | 555.46 | 11,48,925 | 305.27 | 34.56 | 3264687 | 860.73 | 26.89 |
| IV. | व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति | 9,00,899 | 188.11 | 3,17,694 | 79.32 | 8.98 | 1218593 | 267.43 | 8.35 |
| V. | कारोबारी उद्यम | 6,20,149 | 135.04 | 3,14,013 | 75.52 | 8.55 | 934162 | 210.56 | 6.58 |
| VI. | विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी | 9,29,922 | 74.50 | 1,85,904 | 16.25 | 1.84 | 1115826 | 90.75 | 2.83 |
| VII. | उपभोग और मकान या आवास की खरीद या निर्माण हेतु ऋण सुविधाएँ | 18,577 | 2.91 | 17,670 | 3.00 | 0.34 | 36247 | 5.91 | 0.18 |
| | जोड़ | 97,52,102 | 2318.14 | 36,81,272 | 883.29 | 100.00 | 13433374 | 3201.43 | 100.00 |

@ अप्रैल 1992 - मार्च 1993 के अनन्तिम आकड़े शामिल हैं।

## अनुबंध - XII

## निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की 31 मार्च 1993 की वर्गवार स्थिति

| | ऋण संस्था का वर्ग | निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 1992 को सहभागी ऋण संस्थाएँ | 1992-93 के दौरान योजना में शामिल होनेवाली (+) योजना से बाहर होनेवाली या हटनेवाली (-) ऋण संस्थाएँ (£) | 31 मार्च 1993 को सहभागी संस्थाएं |
| | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक | 8 | — | 8 |
| 2. | राष्ट्रीयकृत बैंक | 20 | — | 20 |
| 3. | अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 28 | (-)2 | 26 |
| 4. | गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक | — | — | — |
| 5. | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 151 | (-)2 | 149 |
| 6. | राज्य वित्त निगम | — | — | — |
| 7. | अन्य राज्य विकास एजेन्सियाँ | 1 | (-)1 | — |
| 8. | सहकारी बैंक | 149 | (-)9<br>@(+)1 | 141* |
| | जोड़ | 357 | (-)14<br>(+)1 | 344 |

@ दिनांक 9 मार्च 1993 के पत्र के अनुसार पुनः शामिल

£ विवरण के लिए अनुबंध XIII देखें

* राज्य सहकारी बैंक — 4
मध्यवर्ती सहकारी बैंक — 78
प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक — 59
जोड़ 141

अनुबंध - XIII

## लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

### "क" उन ऋण संस्थाओं के नाम जिन्होंने वर्ष 1992-93 में गारंटी शुल्क नही भेजा है और योजना से बाहर हो गयी हैं।

I. अनुसूचित वाणिज्य बैंक

पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि., अमृतसर, पंजाब

II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. लांगपि देहांगी रूरल बैंक, दिफू, आसाम
2. मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंडला, मध्य प्रदेश

III. सहकारी बैंक

1. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना, मध्य प्रदेश
2. कच्छ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप. बैंक लि., भुज, गुजरात
3. कसारगोड को-ऑप. टाउन बैंक लि., कसारगोड, कनानोर, केरल
4. नवसारी पीपल्स को-ऑप. बैंक लि., नवसारी, गुजरात
5. पलानी को-ऑप. अर्बन बैंक लि., पलानी, तमिलनाडू
6. तिरुपत्तूर टाउन को-ऑप. बैंक लि., तिरुपत्तूर, तमिलनाडू
7. उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक लि., उज्जैन, मध्य प्रदेश

### "ख" उन ऋण संस्थाओं के नाम जो वर्ष 1992-93 में योजना से बाहर हो गयी हैं।

I. राज्य विकास एजेन्सियाँ

अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऍण्ड फाइनेन्सियल कार्पोरेशन लि., न्यू इटानगर, अरुणाचल प्रदेश

II. अनुसूचित वाणिज्य बैंक

तमिलनाडू मर्कन्टाईल बैंक लि., तूतीकोरिन, तमिलनाडू

III. सहकारी बैंक

1. भिलाई नागरिक सहकारी बैंक लि., भिलाईनगर, मध्य प्रदेश
2. विजय को-ऑप. बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात

### "ग" पुनः शामिल होनेवाली ऋण संस्था का नाम

सहकारी बैंक

जलगाँव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप. बैंक लि., जलगाँव, महाराष्ट्र

## अनुबंध - XIV

## निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| अवधि | प्राप्त दावे | | निपटाये गये दावे | | निपटाये गये दावों में से | | | | | | मार्च 1993 के अंत में विचाराधीन दावे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अदा किये गये | | वापस लिये गये | | निरस्त दावे | | | |
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13 |
| पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981 | 1308 | 1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1308 | 1.74 |
| पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982 | 4013 | 9.40 | 3105 | 2.13 | 1542 | 0.37 | 1537 | 1.72 | 26 | 0.04 | 2216 | 9.01 |
| पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983 | 9325 | 32.58 | 7328 | 12.93 | 5184 | 3.43 | 2066 | 9.00 | 78 | 0.50 | 4213 | 28.66 |
| पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984 | 18300 | 53.98 | 9522 | 13.73 | 7855 | 9.91 | 1610 | 2.92 | 57 | 0.90 | 12991 | 68.91 |
| पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985 | 22048 | 71.99 | 22791 | 25.08 | 18264 | 12.06 | 4116 | 11.61 | 411 | 1.41 | 12248 | 115.82 |
| पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986 | 33723 | 104.92 | 30299 | 67.07 | 19695 | 24.10 | 10261 | 40.30 | 343 | 2.67 | 15672 | 153.67 |
| पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987 | 44711 | 131.68 | 40206 | 88.16 | 38099 | 69.09 | 1580 | 8.26 | 527 | 10.81 | 20177 | 197.19 |
| पहली जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989 | 93716 | 216.90 | 81351 | 156.56 | 67002 | 92.78 | 13542 | 48.54 | 807 | 15.24 | 32542 | 257.53 |
| पहली अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990 | 74894 | 192.58 | 101579 | 368.08 | 82046 | 169.96 | 16971 | 126.85 | 2562 | 71.27 | 5857 | 82.03 |
| पहली अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991 | 83809 | 243.71 | 76148 | 249.25 | 65694 | 131.81 | 8968 | 71.53 | 1486 | 45.91 | 13518 | 76.49 |
| पहली अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 | 78447 | 217.26 | 80510 | 255.67 | 66728 | 117.23 | 12825 | 106.83 | 957 | 31.61 | 11455 | 38.08 |
| पहली अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1993 | 129968 | 259.98 | 118147 | 243.21 | 100751 | 94.92 | 16261 | 110.35 | 1135 | 37.94 | 23276 | 54.85 |
| जोड़ | 594262 | 1536.72 | 570986 | 1481.87 | 472860 | 725.66 | 89737 | 537.91 | 8389 | 218.30 | | |

## अनुबंध - XV

## निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान राशिवार दावों की प्राप्ति और निपटान स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| | दावा राशि | 31 मार्च 1992 को विचाराधीन दावे | | वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ | | वर्ष के दौरान निपटान | | | | | | वर्ष के दौरान कुल निपटान | | 31 मार्च 1993 को विचाराधीन दावे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | अदाकृत | | वापस लिये गये | | निरस्त | | | | | |
| | | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1. | रु. 25,000/- तक | 10090 | 6.26 | 117869 | 65.31 | 96101 | 51.43 | 10292 | 8.49 | 465 | 0.66 | 106858 | 60.58 | 21101 | 10.99 |
| 2. | रु. 25,000/- से अधिक और रु. 1 लाख तक | 791 | 3.70 | 7809 | 30.58 | 3493 | 13.09 | 3603 | 14.32 | 198 | 1.09 | 7294 | 28.50 | 1306 | 5.78 |
| 3. | रु. 1 लाख से अधिक और रु. 5 लाख तक | 352 | 7.70 | 3283 | 72.35 | 1043 | 20.84 | 1808 | 41.99 | 167 | 3.71 | 3018 | 66.54 | 617 | 13.51 |
| 4. | रु. 5 लाख से अधिक और रु. 8 लाख तक | 61 | 3.86 | 414 | 25.96 | 57 | 3.62 | 305 | 19.26 | 38 | 2.33 | 400 | 25.21 | 75 | 4.61 |
| 5. | रु. 8 लाख से अधिक | 161 | 16.56 | 593 | 65.78 | 57 | 5.94 | 253 | 26.29 | 267 | 30.15 | 577 | 62.38 | 177 | 19.96 |
| | **जोड़** | **11455** | **38.08** | **129968** | **259.98** | **100751** | **94.92** | **16261** | **110.35** | **1135** | **37.94** | **118147** | **243.21** | **23276** | **54.85** |

## अनुबंध - XVI

## वर्ष 1981 से 1992-93 के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क का योजनावार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| | योजना | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988-89 (15 माह) | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 | 23.29 | 30.50 | 35.70 | 47.69 | 58.66 | 69.00 | 79.56 | 101.51 | 389.32 | 331.90 | 351.44 | 431.74 |
| 2. | लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971@ | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.36 | 0.46 | 0.55 | 0.39 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | — | — |
| 3. | सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971@ | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — |
| 4. | लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 | — | — | — | 00.01 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.31 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| 5. | लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 | 16.87 | 27.09 | 35.22 | 39.85 | 46.51 | 57.61 | 65.08 | 89.79 | 204.07 | 192.59 | 214.23 | 270.83 |
| | **जोड़** | **40.21** | **57.67** | **71.17** | **87.91** | **105.66** | **127.25** | **145.17** | **191.89** | **593.83** | **524.72** | **565.88** | **702.78** |



- * 1981 रु. 39,000/-
- * 1982 रु. 73,000/-
- * 1983 रु. 14,000/-
- * 1984 रु. 25,000/-
- * 1985 रु. 5,000/-
- * 1986 रु. 1,000/-
- * 1987 रु. 7,000/-
- * 1988-89 रु. 58,000/-

@ ये योजनाएँ दिनांक 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दी गई हैं।

## अनुबंध - XVII

## 31 मार्च 1993 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि से निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | विवरण | भा. रि. बैंक खरीद दर % | जमा बीमा निधि | | | | ऋण गारंटी निधि | | | | सामान्य निधि | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अंकित मूल्य | बही मूल्य | भा.रि.बैं. दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत | अंकित मूल्य | बही मूल्य | भा.रि.बैं. दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत | अंकित मूल्य | बही मूल्य | भा.रि.बैं. दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| (क) | **जिन प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास हुआ है** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6½% ऋण 2003 | 64.40 | 2.66 | 2.66 | 1.71 | 64.29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | 6¾% ऋण 2006 | 60.90 | 16.72 | 16.71 | 10.18 | 60.92 | — | — | — | — | 2.15 | 2.15 | 1.31 | 60.93 |
| 3. | 6¾% ऋण 2007 | 59.75 | 1.12 | 1.12 | 0.67 | 59.82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. | 7% ऋण 2009 | 59.35 | 40.63 | 40.67 | 24.11 | 59.28 | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 60.00 |
| 5. | 7½% ऋण 2010 | 62.60 | 52.58 | 50.63 | 32.91 | 65.00 | — | — | — | — | 5.88 | 5.84 | 3.68 | 63.01 |
| 6. | 8% ऋण 2011 | 65.45 | 129.03 | 119.79 | 84.45 | 70.50 | — | — | — | — | 6.80 | 6.24 | 4.45 | 71.31 |
| 7. | 8¾% ऋण 2010 | 71.35 | 3.78 | 3.78 | 2.70 | 71.43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. | 9% ऋण 2013 | 71.55 | 93.61 | 91.83 | 66.98 | 72.94 | 7.52 | 7.41 | 5.38 | 72.60 | 15.00 | 15.02 | 10.73 | 71.44 |
| 9. | 9½% ऋण 2008 | 77.65 | 6.02 | 5.92 | 4.68 | 79.05 | 17.17 | 17.04 | 13.33 | 78.23 | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 76.92 |
| 10. | 10% ऋण 2014 | 78.20 | 45.76 | 45.62 | 35.79 | 78.45 | 33.05 | 33.06 | 25.85 | 78.19 | 12.00 | 12.02 | 9.38 | 78.04 |
| 11. | 10¼% ऋण 2012 | 83.40 | 13.41 | 13.42 | 11.18 | 83.31 | 26.17 | 26.20 | 21.82 | 83.28 | 10.26 | 10.27 | 8.56 | 83.35 |
| 12. | 10½% ऋण 2014 | 81.90 | 21.52 | 21.51 | 17.63 | 81.96 | 34.45 | 34.45 | 28.21 | 81.89 | 7.39 | 7.38 | 6.05 | 81.98 |
| 13. | 10½% ऋण 1996 | 99.80 | 9.11 | 9.16 | 9.09 | 99.24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. | 11½% ऋण 2009 | 89.70 | 109.60 | 109.87 | 98.31 | 89.48 | 102.38 | 102.42 | 91.84 | 89.67 | — | — | — | — |
| 15. | 11½% ऋण 2006 | 90.95 | 85.28 | 86.47 | 77.56 | 89.70 | 20.57 | 20.57 | 18.71 | 90.96 | 2.00 | 2.00 | 1.82 | 91.00 |
| 16. | 11½% ऋण 2007 | 90.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00 |
| 17. | 11½% ऋण 2008 | 91.25 | 3.85 | 3.85 | 3.51 | 91.17 | 8.35 | 7.80 | 7.62 | 97.69 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 91.50 |
| 18. | 11½% ऋण 2015 | 90.30 | 87.12 | 87.14 | 78.67 | 90.28 | — | — | — | — | 11.10 | 11.12 | 10.02 | 90.11 |
| 19. | 11½% ऋण 2011 | 90.10 | 81.32 | 80.36 | 73.27 | 91.18 | 8.68 | 8.42 | 7.82 | 92.87 | — | — | — | — |
| 20. | 12% ऋण 2011 | 93.55 | 77.04 | 76.71 | 72.07 | 93.95 | 348.07 | 345.62 | 325.62 | 94.21 | — | — | — | — |
| 21. | 12% सरकारी स्टाक 1997 | अनिर्दिष्ट | — | — | — | — | 14.50 | 14.56 | 14.56 | 100.00 | — | — | — | — |
| | **जोड़ "क"** | | **880.16** | **867.22** | **705.47** | **81.35** | **620.91** | **617.55** | **560.76** | **90.80** | **75.31** | **74.77** | **58.39** | **78.09** |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(ख)** | **जिन प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि हुई है** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 5¾% ऋण | 2002 | 68.15 | 3.00 | 1.86 | 2.04 | 109.68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | 10½% ऋण | 1996(II) | 100.40 | — | — | — | — | 25.00 | 25.00 | 25.10 | 100.40 | — | — | — | — |
| 3. | 12½% ऋण | 2007 | 100.70 | 22.90 | 23.00 | 23.06 | 100.26 | 361.10 | 362.57 | 363.63 | 100.29 | — | — | — | — |
| **जोड़ "ख"** | | | | **25.90** | **24.86** | **25.10** | **100.97** | **386.10** | **387.57** | **388.73** | **100.30** | — | — | — | — |
| **(ग)** | **भारत सरकार के 364 दिवसीय ट्रेजरी बिलों में निवेश** | | | | | | | | | | | | | | |
| | परिपक्वता तारीख | | क्रय दर | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 29 अप्रैल 1993 | | 98.8736 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | - वही - | | 99.0659 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. | 14 मई 1993 | | 98.6538 | 0.55 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. | 20 अगस्त 1993 | | 95.9615 | 0.09 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. | - वही - | | 90.0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.41 | 0.37 | — | — |
| 6. | - वही - | | 95.6044 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 | 0.72 | — | — |
| | **जोड़ "ग"** | | | 0.92 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | 1.16 | 1.09 | — | — |
| | **जोड़ "क" + "ख" + "ग"** | | | **906.98** | **892.99** | **730.57** | **81.81** | **1007.01** | **1005.12** | **949.49** | **94.47** | **76.47** | **75.86** | **58.39** | **76.97** |

(राशि करोड़ रुपये में)

| | निवेशों के मूल्य में मूल्यहास | वर्तमान प्रावधान | किया गया अतिरिक्त प्रावधान |
|---|---|---|---|
| जमा बीमा निधि | 161.75 | 84.17 | 77.58 |
| ऋण गारंटी निधि | 56.79 | 67.20 | — |
| सामान्य निधि | 16.38 | 12.50 | 3.88 |

दरें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों की वर्ष 1992-93 की सूची में दर्शाये गये खरीद और विक्रय मूल्य के अनुसार है।

# निक्षेप बीमा और

## (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के

## (विनियम 18 -

## 31 मार्च 1993 की कारोबार समाप्ति

## I जमा बीमा

| पिछले वर्ष | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा बीमा निधि | ऋण गारंटी निधि | | देयताएं | जमा बीमा निधि | | ऋण गारंटी निधि | |
| लाख रुपये | लाख रुपये | | | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये |
| 12246.00 | 75108.00 | 1. | निधि (वर्ष के अंत में शेष) | — | 8958.00 | — | 90749.00 |
| 28278.23 | — | 2. | अधिशेष (संलग्न आय-व्यय लेखा के अनुसार शेष) | — | 22166.60 | — | — |
| 7554.61 | 6100.24 | 3. | निवेश रिजर्व : वर्ष के आरंभ में शेष | 8416.99 | | 6720.21 | |
| 862.38 | 619.97 | | जोड़िए : वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि | 7757.89 | | — | — |
| 8416.99 | 6720.22 | | | — | 16174.88 | — | 6720.21 |
| — | 71.63 | 4. | ऐसे दावे जो प्राप्त हो गये हैं और स्वीकार कर लिए गये हैं परंतु जिनका भुगतान नहीं हुआ है | | — | | 178.23 |
| 5096.62 | 37711.25 | 5. | प्राप्त हो चुके दावों और स्वीकार न किये गये दावों के मामले में अनुमानित देयता | — | 1493.23 | — | 69968.73 |
| 82.64 | — | 6. | अदावाकृत बीमा राशियाँ | | 82.83 | — | — |
| | | 7. | अन्य देयताएँ: | | | | |
| 1415.40 | 12633.56 | | I) फुटकर लेनदार | 2953.55 | | 238.65 | |
| 27396.04 | — | | II) ऋण गारंटी निधि | 47585.83 | | — | |
| 10619.00 | — | | III) आयकर के लिए प्रावधान | 11694.00 | | — | |
| 39430.44 | 12633.56 | | | | 62233.38 | | 238.65 |
| 93550.92 | 132244.66 | | | | 111108.92 | | 167854.82 |

टिप्पणियाँ : 1. दावा अदाकृत खातों से प्रतिस्थापन अधिकार के रूप में हुई वसूलियों को निगम की प्रथा के अनुसार जिस वर्ष में प्राप्त होती हैं उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाता है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एन. बी. शेट्टी)
पार्टनर
बंबई,
दिनांक : 18 जून 1993

(डी. आर. मेहता)
अध्यक्ष

(एन. पी. सारड़ा)
निदेशक

(सुश्री. आइ. टी. वाज़)
निदेशक

(पी. डब्ल्यु. रेगे)
निदेशक

## प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

फार्म "क")

के समय का तुलनपत्र

और ऋण गारंटी निधी

| पिछले वर्ष | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा बीमा निधि | ऋण गारंटी निधि | | आस्तियाँ | जमा बीमा निधि | | ऋण गारंटी निधि | |
| लाख रुपये | लाख रुपये | | | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये |
| 27.32 | 405.97 | 1. | भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा | — | 19.69 | — | 309.25 |
| 74088.86 | 87627.88 | 2. | केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर) | — | 89298.57 | — | 100511.54 |
| | | | जमा बीमा निधि / ऋण गारंटी निधि | | | | |
| | | | लाख रुपये / लाख रुपये | | | | |
| | | | अंकित मूल्य 90697.74 / 100701.11 | | | | |
| | | | बाजार मूल्य 73149.87 / 94948.84 | | | | |
| 2672.69 | 2575.12 | 3. | निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज | | 3184.78 | — | 3009.98 |
| | | 4. | अन्य आस्तियाँ | | | | |
| 117.31 | 730.79 | | I) बैंकों/ऋण संस्थाओं में किस्त, गारंटी शुल्क और अधिक दावा अदाकृत के रूप में बकाया | 36.25 | | 104.24 | |
| 6.13 | 78.97 | | II) अतिदेय किस्त और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज | 8.74 | | 14.27 | |
| 0.06 | — | | III) गैर संवितरित दावों के भुगतान के रूप में बैंक के परिसमापक के पास राशि | 0.06 | | — | |
| — | 137.93 | | IV) लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) | — | | — | |
| — | 27396.03 | | V) जमा बीमा निधि | — | | 47585.83 | |
| 16638.55 | 13291.97 | | VI) स्रोत पर आयकर की कटौती | 18560.83 | | 16319.71 | |
| 16762.05 | 41635.69 | | | | 18605.88 | | 64024.05 |
| 93550.92 | 132244.66 | | | | 111108.92 | | 167854.82 |

2. जमा बीमा निधि के रु. 2,953.55 लाख के फुटकर लेनदार प्राप्त किस्त का विवरणों के अभाव में विचाराधीन विनियोजन दर्शाते हैं।

(सुश्री. मोना शर्मा)
निदेशक

(एस. एच. खान)
निदेशक

(यू. महेश राव)
निदेशक

(वी. महादेवन)
निदेशक

(गंगाधर गाडगिल)
निदेशक

(एस. के. कपूर)
महा प्रबंधक

(ओ. पी. अरोड़ा)
मुख्य लेखाकार

| पिछले वर्ष | | व्यय | जमा बीमा निधि | | ऋण गारंटी निधि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा बीमा निधि | ऋण गारंटी निधि | | | | | |
| लाख रुपये | लाख रुपये | | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये |
| | | **दावे** | | | | |
| 764.10 | 45091.52 | (क) वर्ष के दौरान अदाकृत | 3899.06 | | 62549.57 | |
| — | 71.63 | (ख) स्वीकारे गये किंतु अदा न किये गये दावे | — | | 178.23 | |
| | | **जोडिये:** | | | | |
| 5096.62 | 37711.25 | वर्ष की समाप्ति पर ऐसे दावों के मामलें में अनुमानित देयता जो प्राप्त तो हो गये परन्तु स्वीकृत नहीं किये गये हैं | 1493.23 | | 69968.73 | |
| | | | 5392.29 | | 132696.53 | |
| 5860.72 | 82874.40 | | | | | |
| | | **घटाइए:** | | | | |
| 1818.76 | 35557.88 | उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जो पिछले वर्ष के अंत तक प्राप्त हो चुके थे किंतु जो अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं | 5096.62 | | 37711.25 | |
| | | | | 295.67 | | 94985.28 |
| 4041.96 | 47316.52 | **निवल दावे** | | 7757.89 | | — |
| 862.38 | 619.97 | निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान | | — | | 39.01 |
| 804.26 | 286.95 | निवेश की बिक्री पर घाटा | | 8958.00 | | 90749.00 |
| 12246.00 | 75108.00 | वर्ष के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार) | | 15153.16 | | — |
| 5881.44 | — | नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष | | 32164.72 | | 185773.29 |
| 23836.04 | 123331.44 | | | — | | 20189.79 |
| — | 1536.54 | नीचे लाया गया शुद्ध घाटा | | 20189.79 | | — |
| 1536.54 | — | ऋण गारंटी निधि में अंतरण (दुतरफा) | | 1075.00 | | — |
| 3208.00 | — | आयकर के लिए प्रावधान | | 22166.60 | | — |
| 28278.23 | — | तुलनपत्र में लाया गया शेष | | 43431.39 | | 20189.79 |
| 33022.77 | 1536.54 | **जोड़:** | | | | |

**टिप्पणियाँ:** 1. जो दावे प्राप्त हो चुके हैं परंतु स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनके संबंध में ऋण गारंटी निधि से संबंधित अनुमानित देयता का हिसाब लगाते समय ऐसे दावों में से सामान्यतः अस्वीकार किये जानेवाले/वापस किये जानेवाले दावों के संबंध में लघु ऋण (छोटे उधारकर्ता) गारंटी योजना, 1971 के मामले में ऐसे दावों की राशि में से 3.01 प्रतिशत जितनी राशि तथा लघु उद्योगों के लिए लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के मामले में 30.86 प्रतिशत जितनी राशि (पिछली वर्ष क्रमशः 2.75 प्रतिशत और 43.92 प्रतिशत राशि) घटा दी गयी है।

2. जिन मामलों में ऋण संस्थाओं से गारंटी अग्रिमों के विवरण प्राप्त नहीं हुए उनसे गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ भुगतानों को आय-व्यय लेखा में लिया गया है।

3. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के संबंध में जहां गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ अथवा गारंटी शुल्क के रुप में प्राप्त तदर्थ राशियाँ जहां अपर्याप्त समझी गयी है वहां अपेक्षित राशि के लिए व्यवस्था नहीं की गयी हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एन. बी. शेट्टी)
पार्टनर
बंबई,
दिनांक 18 जून 1993

(डी. आर. मेहता)
अध्यक्ष

(पी. डब्ल्यु. रेगे)
निदेशक

(सुश्री. आइ. टी. वाज़)
निदेशक

(वी. महादेवन)
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
'ख')
वर्ष का आय-व्यय लेखा
और ऋण गारंटी निधी

| पिछले वर्ष | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा बीमा निधि | ऋण गारंटी निधि | आय | | | जमा बीमा निधि | ऋण गारंटी निधि |
| लाख रुपये | लाख रुपये | | | | लाख रुपये | लाख रुपये |
| 6541.00 | 49514.00 | वर्ष के आरंभ में निधि शेष | | | 12246.00 | 75108.00 |
| 9348.44 | — | जमा बीमा किस्तों से (अतिदेय किस्तों पर ब्याज सहित) | | | 10597.06 | — |
| — | 56587.68 | गारंटी शुल्क से (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित) | | | — | 70278.04 |
| 466.05 | 5285.73 | जमा बीमा संबंधी दावों के निपटान/प्रदत्त गारंटी दावों से संबंधित वसूलियाँ | | | 374.94 | 7049.17 |
| 7480.55 | 10407.49 | निवेश से प्राप्त आय (सकल) | | | 8946.72 | 13148.29 |
| | | | जमा बीमा निधि (लाख रुपये) | ऋण गारंटी निधि (लाख रुपये) | | |
| | | स्रोत पर कर की कटौती | 1922.28 | 3027.75 | | |
| | | पिछले वर्ष | 1248.82 | 1074.19 | | |
| — | — | निवेशों पर लाभ/हानि/बिक्री/रिडम्पशन | | | — | — |
| - | 1536.54 | नीचे लाया गया शुद्ध घाटा | | | — | 20189.79 |
| 23836.04 | 123331.44 | | | | 32164.72 | 185773.29 |
| 5881.44 | — | नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष | | | 15153.16 | — |
| 27141.33 | — | पिछले वर्ष का शेष आगे लाया गया | | | 28278.23 | — |
| — | 1536.54 | जमा बीमा निधि से अन्तरण (दुतरफा) | | | — | 20189.79 |
| 33022.77 | 1536.54 | जोड़ | | | 43431.39 | 20189.79 |

4. पहले की प्रथा के अनुसार, निवेश के मूल्यहास की व्यवस्था करते समय कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उनके बाजार मूल्य में हुई वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया हैं। तथापि ऋण गारंटी निधि के निवेशों के मूल्य के मामले में रु. 5,678.73 लाख का मूल्यहास है। परंतु इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हैं क्योंकि वर्तमान निवेश रिजर्व रु. 1455.80 लाख 12 प्रतिशत भारत सरकार स्टाक 1997 (अंकित मूल्य रु. 1450.00 लाख) पर्याप्त है और लेखा परीक्षा की तारीख तक इसे क्वोट नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रतिभूति के मामले में मूल्यहास निश्चित नहीं हो पाया हैं।
5. निगम की पहले की प्रथा के अनुसार, ऋण गारंटी निधि दावों के निपटान पर प्रतिस्थापन अधिकारों की वंजह से की गयी वसूली जिसे प्राक्कलित नहीं किया जाता, इसे प्राप्त वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा।
6. 31 मार्च 1993 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कारोबार की समाप्ति तक अंतिम शेष पर ऋण गारंटी निधि और जमा बीमा निधि की ओर की गयी अनुमोदित बीमांकिक के अनुसार निगम ने बीमांकिक देयता के लिए आवश्यक प्रावधान किया हैं।
7. संबंधित निधियों में आयकर के लिए आवश्यक प्रावधान कर लिया गया हैं।
8. निगम का मानना हैं कि गारंटी शुल्क की वापसी के संबंध में रु. 7676.00 लाख के प्रावधान की अब और अधिक आवश्यकता नहीं है और इस लिए इसका वर्ष के दौरान आय-व्यय में पुनरांकन कर लिया गया हैं।

(सुश्री. मोना शर्मा)
निदेशक

(एस. एच. खान)
निदेशक

(यू. महेश राव)
निदेशक

(एन. पी. सारड़ा)
निदेशक

(गंगाधर गाडगिल)
निदेशक

(एस. के. कपूर)
महा प्रबंधक

(ओ. पी. अरोड़ा)
मुख्य लेखाकार

| पिछले वर्ष (लाख रुपये) | देयताएं | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये |
|---|---|---|---|---|
| | 1. पूंजी | | | |
| 5,000.00 | निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी | | | 5,000.00 |
| | 2. प्रारक्षित निधियाँ | | | |
| | (क) सामान्य रिज़र्व | | | |
| 1,694.03 | वर्ष के आरंभ में शेष | 1,770.64 | | |
| 76.62 | जोड़िए : आय व्यय लेखा से अंतरित अधिशेष | — | | |
| — | घटाइए : आय व्यय लेखा से अंतरित घाटा | 431.68 | | |
| 1,770.65 | वर्ष के अंत में शेष | | 1,338.96 | |
| | (ख) निवेश रिज़र्व | | | |
| 1,199.70 | वर्ष के आरंभ में शेष | 1,250.24 | | |
| 50.54 | जोड़िए : वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि | 388.23 | | |
| 1,250.24 | वर्ष के अंत मे शेष | | 1,638.47 | |
| 22.51 | (ग) पूंजी रिज़र्व | | 22.51 | |
| 3,043.40 | | | 2,999.94 | |
| | 3. चालू देयताएं और प्रावधान | | | 2,999.94 |
| 316.94 | बकाया व्यय | 466.98 | | |
| 0.54 | विविध लेनदार | 0.32 | | |
| 223.00 | आयकर के लिए प्रावधान | 223.00 | | |
| 540.48 | | | | |
| 8,583.88 | जोड़ | | | 690.30 |
| | | | | 8,690.24 |

टिप्पणी : 1. पहले की प्रथा के अनुसार कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उसके बाज़ार मूल्य में वृद्धि को हिसाब में न लेते हुए निवेश के मूल्यह्रास को वैसे ही रखा गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एन. बी. शेट्टी)
पार्टनर
बंबई,
दिनांक : 18 जून 1993

(डी. आर. मेहता)
अध्यक्ष

(पी. डब्ल्यु. रेगे)
निदेशक

(सुश्री. आइ. टी. वाज़)
निदेशक

(वी. महादेवन)
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

फार्म "क")

के समय का तुलन-पत्र

निधि

| पिछले वर्ष (लाख रुपये) | | आस्तियाँ | लाख रुपये | लाख रुपये |
|---|---|---|---|---|
| | 1. | **नकद** | | |
| 0.12 | | (i) हाथ में | 0.12 | |
| 4.99 | | (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास | 4.43 | |
| 5.11 | | | | 4.55 |
| 7,658.68 | 2. | **भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)** | | 7,586.31 |
| | | अंकित मूल्य 7646.49 | | |
| | | बाजार मूल्य 5955.23 | | |
| 273.16 | 3. | **निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज** | | 268.38 |
| | 4. | **अन्य आस्तियाँ** | | |
| 23.20 | | क) मूल्यह्रास घटाकर फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण | 22.31 | |
| 1.49 | | ख) लेखन सामग्री का स्टाक | 1.40 | |
| 2.70 | | ग) पूर्वदत्त व्यय | 2.75 | |
| 41.50 | | घ) व्ययों के लिए अग्रिम, भारतीय रिज़र्व बैंक से वसूली योग्य स्टाफ को दिये गये भत्ते और अन्य जमा राशियाँ | 45.69 | |
| 578.04 | | ङ) आयकर कटौती | 758.85 | |
| 646.93 | | | | 831.00 |
| 8,583.88 | | **जोड़** | | 8,690.24 |

(सुश्री. मोना शर्मा)
निदेशक

(एस. एच. खान)
निदेशक

(यू. महेश राव)
निदेशक

(एन. पी. सारड़ा)
निदेशक

(गंगाधर गाडगील)
निदेशक

(एस. के. कपूर)
महा प्रबंधक

(ओ. पी. अरोड़ा)
मुख्य लेखाकार

# निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

## (फार्म "ख")

## 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

### II सामान्य निधि

| पिछले वर्ष (लाख रुपये) | व्यय | लाख रुपये | पिछले वर्ष (लाख रुपये) | आय | लाख रुपये |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 754.22 |
| 663.07 | वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान | 715.87 | 778.62 | निवेशों से आय (सकल) | |
| 17.72 | कर्मचारी पेंसन और उपदान निधि में अंशदान | 15.63 | | (स्रोत पर आयकर की कटौती रु. 180.80 लाख) | |
| 0.01 | निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क | 0.02 | | (पिछले वर्ष : रु. 182.39 लाख) | |
| 0.15 | निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते | 0.08 | 304.12 | लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन अदा किये गये दावों के लेखों में से प्राप्त वसूलियाँ | 78.28 |
| 79.49 | किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि | 81.94 | | | |
| 11.90 | स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते | 10.23 | | | |
| 5.19 | मुद्रण और लेखन सामग्री | 6.64 | | | |
| 4.38 | डाक, तार और टेलीफोन | 3.54 | 0.63 | विविध प्राप्तियाँ | 0.93 |
| 0.35 | लेखा परीक्षकों का शुल्क | 0.35 | | | |
| 0.59 | विधि प्रभार | 1.62 | — | वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च को कम करने पर शेष नीचे लाया गया | 431.68 |
| 35.94 | विविध व्यय | 36.68 | | | |
| 4.42 | मूल्यह्रास | 4.28 | | | |
| 50.54 | निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | 388.23 | | | |
| 133.00 | आयकर के लिए प्रावधान | — | | | |
| 76.62 | वर्ष के लिए आय की तुलनामे में अधिक खर्च नीचे लाया गया | — | | | |
| 1,083.37 | **जोड़** | 1,265.11 | 1,083.37 | **जोड़** | 1,265.11 |
| — | शेष नीचे लाया गया | 431.68 | — | सामान्य रिजर्व में अंतरित आय से अधिक व्यय शेष | 431.68 |
| — | आयकर के लिए कम प्रावधान | — | 76.62 | शेष नीचे लाया गया | — |
| 76.62 | आय की तुलना में अधिक खर्च सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया | — | | | |
| 76.62 | **जोड़** | 431.68 | 76.62 | **जोड़** | 431.68 |

**टिप्पणियाँ:** 1. भारत सरकार ने निगम को लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन 31 मार्च 1986 तक दावा अदाकृत खातों से प्राप्त/प्राप्य वसूलियाँ धारित करने की अनुमति दी है और ऐसी वसूलियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 24 के अंतर्गत सामान्य निधि के आय व्यय लेखे के हिसाब में रखा गया है। इस वर्ष में ऐसी कोई वसूली नहीं हुई है। तथापि भारत सरकार ने निगम को 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 के दौरान दावा अदाकृत खातों में हुई वसूलियों में से लघु उद्योगों के लिए उनकी योजना (पुरानी) के संबंध में अवशिष्ट कार्यों के प्रबंध के संस्थागत खर्च के रूप में राशि (रु. 78.28 लाख) (1.4.1986 से 31.3.1991 की पिछली अवधि के दौरान रु. 304.12 लाख) अपने पास रखने की अनुमति दी है।

2. वेतन, भत्ते, भविष्य तथा उपदान निधि में अंशदान जैसे कर्मचारियों की लागत को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार किया गया, चूँकि निगम के स्टाफ सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक की ओरसे निगम की सेवा में कार्यरत हैं।

3. निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए आयकर माँग के संबंध में निगम की आकस्मिक देयता रु. 4,86,09,388 है, जो अपील के अधीन है। तथापि विभाग द्वारा इसका समायोजन निर्धारण वर्ष 1988-89 की आयकर वापसी के अंतर्गत किया गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एन. बी. शेट्टी) पार्टनर
बंबई,

दिनांक : 18 जून 1993.

(डी. आर. मेहता)
अध्यक्ष

(यू. महेश राव)
निदेशक

(गंगाधर गाडगिल)
निदेशक

(सुश्री. आइ. टी. वाज़)
निदेशक

(एन. पी. सारड़ा)
निदेशक

(एस. के. कपूर)
महा प्रबंधक

(सुश्री. मोना शर्मा)
निदेशक

(पी. डब्ल्यु. रेगे)
निदेशक

(ओ. पी. अरोड़ा)
मुख्य लेखाकार

(एस. एच. खान)
निदेशक

(वी. महादेवन)
निदेशक

# लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
14/2, वैस्टर्न इंडिया हाउस,
सर पी. एम. रोड,
बम्बई 400 001

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1993 तक के (i) जमा बीमा निधि तथा ऋण गारंटी निधि और (ii) सामान्य निधि के उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्रों तथा उक्त निधियों के संलग्न आय व्यय लेखों की भी लेखा परीक्षा की है। इस संबंध में हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:

(i) लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण हमें उपलब्ध कराये गये;

(ii) उपर्युक्त तुलन पत्र और आय व्यय लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार और घोषित किये गये हैं।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखों पर दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सूचना प्रस्तुत करते हैं और निम्नलिखित के संबंध में वास्तविक और सही स्थिति को दर्शाया गया हैं:

(क) तुलन पत्रों के संबंध में (i) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि और (ii) उपर्युक्त निधियों की सामान्य निधि की 31 मार्च 1993 की स्थिति।

(ख) आय व्यय लेखों के संबंध में (i) जमा बीमा निधि के मामले में अतिरिक्त और (ii) निगम की ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के घाटे की उपर्युक्त तारीखों की स्थिति।

वास्ते एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

ह.

(एन. बी. शेट्टी)
पार्टनर

बम्बई,
दिनांक 18 जून 1993

# कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा

## प्रस्तावना

1.1. बैंकों की जमाराशियों का बीमा करने का उद्देश्य बैंक के फेल हो जाने पर विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को उनकी बचतों की राशि की हानि के जोखिम से रक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार की रक्षा से जनता के मन में विश्वास पैदा करके बैंकिंग की आदतों को बढ़ाने और बैंकों द्वारा साधनों के जुटाये जाने में सहायता करना, जिनके फलस्वरूप जिन उद्देश्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है उनके लिए इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। छठे दशक और सातवें दशक के पूर्ववर्ती भाग में कुछ बैंकों के दिवालिया हो जाने के कारण और उसके फलस्वरूप राशियाँ जमा करने वाले लोगों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति फिर से विश्वास अर्जित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई थी।

1.2 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो ऋण गारंटी योजनायें शुरु की गई थीं वे अब तक उपेक्षा किये गये क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सातवें दशक के परवर्ती भाग में की गई कारवाई की श्रृंखला के रूप में शुरु की गई थी। वर्ष 1968 में प्रारंभ किये गये सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्यों और उसके बाद प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि वे ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करें जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक ओर जहां बैंकों के बीच ऐसे उधारकर्ताओं को अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता थी वहां दूसरी ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। ये कठिनाइयाँ मुख्यतः ऋण के नये और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पदार्पण करने की हिचकिचाहट और सरलता से वसूल होनेवाली जमानत को छोड़कर अन्य किसी जमानत पर ऋण देने में विशेषकर आधारभूत स्तर पर, उनकी झिझक के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय ऋण गारंटी निगम मर्यादित की कल्पना एक एजेंसी के रूप में की गई थी जो उस प्रकार के छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के लिए सरल परंतु व्यापक श्रेणी वाली गारंटियों की प्रणाली की व्यवस्था कर सके।

1.3 उपर्युक्त दोहरे और मिलते-जुलते कार्यों का एकीकरण करने की दृष्टि से जुलाई 1978 में दोनों संगठनों का विलयन किया गया तथा निगम को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का नया नाम दिया गया।

## निक्षेप बीमा योजना :

### संस्थागत व्याप्ति

2. निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1962 से शुरु की गई थी। यह योजना (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी वाणिज्य बैंकों की भारत में प्राप्त जमाराशियों के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रदान करती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्यों के सहकारी बैंकों की जमाराशियों के लिए भी इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समितियां अधिनियमों में संशोधन करने के लिए उन्हें समर्थ बनानेवाले विधान पारित कर लिए हैं। इसके अंतर्गत आनेवाले भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार निक्षेप बीमा का लाभ अब संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को प्राप्त हो रहा है परन्तु उसके अंतर्गत उन राज्यों के केवल 87 सहकारी बैंक नहीं आते जिन्हें अभी आवश्यक विधान पारित करना है।

### बीमा सुरक्षा की सीमा

3. इस योजना के अधीन किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्गठन अथवा समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता रु. 1,00,000/- (30 अप्रैल 1993 तक रु. 30,000/-) की अधिकतम मौद्रिक सीमा के अधीन संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत और अधिकार से उसकी जमाराशियों की अदायगी प्राप्त करने का हकदार है।

### बीमा प्रीमियम

4. बैंकों को जो बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रति सौ रुपये के लिए 5 पैसे (30 जून 1993 तक 4 पैसे) वार्षिक की दर से अदा की जानेवाली बीमा प्रीमियम के बदले में की जाती है। यह प्रीमियम छमाही अंतरावधियों में वसूल की जाती है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रीमियम को वहन करें ताकि जमाकर्ताओं को बीमा का संरक्षण निःशुल्क प्राप्त हो

सके। अतिदेय किस्त पर बैंक दर से 8% अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

### बीमा के दावों की अदायगी

5.1. जब किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के माध्यम से रु. 1,00,000/- तक की जमाराशियों की अदायगी करता है। जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में समामेलन कर दिया जाता है और समामेलन की योजना में जमाकर्ता को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी जमाराशियों का पूरा पैसा जमा करा सके, तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी पूरी जमाराशि तथा समामेलन की योजना के अधीन उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि के बीच (अथवा रु. 1,00,000/- में से जो भी कम हो उस तक) के अंतर की अदायगी करता है।

5.2 किसी दावे का निपटान करने के बाद परिसमापक/हस्तांतरिती बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के अधिकार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उसके द्वारा परिसमापन/समामेलन किये जानेवाले बीमाकृत बैंक की आस्तियों में से की गई वसूलियों की अदायगी निगम को करें।

### ऋण गारंटी योजनाएं
### गारंटी सहायता प्रदान करना

6.1. तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड लघु उधारकर्ताओं की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को दिये गये अग्रिमों से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनाओं को चला रहा था और उस उपक्रम के जुलाई 1978 में निक्षेप बीमा निगम को अंतरित किये जाने के फलस्वरूप निक्षेप बीमा ने ऋण गारंटी के उसके कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो तीन ऋण गारंटी योजनाएं तैयार की गई थीं उन्हें निगम द्वारा जारी रखा गया। जिनका उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं को इसके लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाये ताकि वे (किसानों सहित) गैर औद्योगिक कार्यकलापों में लगे छोटे उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान कर सकें।

6.2 भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित और तैयार की गई ऋण गारंटी योजना (भारतीय रिज़र्व बैंक) जुलाई 1960 से चल रही है। सरकार द्वारा 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक ही संगठन के अधीन एकीकृत किया जाए। तदनुसार मार्च 1981 में इस योजना को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बदले में 1 अप्रैल 1981 से एक ऐसी योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम आते हैं। निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वह सरकार के एजेंट के रूप में रद्द की गई योजना के फलस्वरूप और उसके अधीन रद्द किये जाने की तारीख तक प्रोद्भूत होनेवाली देनदारियों की अदायगी करे। निगम लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी कार्यों का एकीकरण किये जाने से ऋण की भारी मात्रा के लिए गारंटी सहायता प्रदान करता आ रहा है।

6.3 विशेषज्ञ समिति, 1987 की सिफारिशों के अनुसार ऋण गारंटी योजनाओं की सीमा को 1 अप्रैल 1989 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को गारंटी रक्षा के लिए लागू किया गया। परन्तु कुछ ऋण संस्थाओं के अनुरोध पर निगम ने केन्द्र/राज्य सरकारों, निर्यात ऋण गारंटी निगम आदि द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों की कुछ श्रेणियों को गारंटी शुल्क की अदायगी की दृष्टि से सम्पूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों से वर्ष 1990-91 से अलग रखने की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप इन अग्रिमों के मामले में निगम की गारंटी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

7.1 मार्च 1992 के अंत तक निगम की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएँ इस प्रकार थीं :

(i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
(ii) लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971
(iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971
(iv) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981
(v) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982
(vi) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

7.2 (ii), (iii) और (v) को 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप निगम द्वारा निम्नलिखित तीन योजनाएँ परिचालित की जाती हैं:—

क) लघु ऋण गारंटी योजना 1971, अप्रैल 1971 से लागू की गयी। इस योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के अतिरिक्त प्राथमिकता क्षेत्र को रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार स्वीकृत अग्रिम शामिल हैं। इनमें

कृषकों और खेतिहरों लघु सड़क और जलपरिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों लघु व्यावसायिक उपक्रमों व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण सुविधाएँ तथा शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण आते हैं।

ख) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1982 पहली अप्रैल 1981 से शुरु की गई और उसके अंतर्गत अचल आस्तियों अथवा उपकरण के अर्जन या मरम्मत या उन्हें बदलने तथा उत्पादों की पैदावार और विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त लघु उद्योग यूनिटों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती है।

ग) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 के अंतर्गत वे ऋण सुविधाएँ शामिल हैं जो पात्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा के अंतर्गत स्वीकृत की गयी हैं। इनमें कृषि की सहायक गतिविधियाँ, सड़क और जल परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे व्यावसायिक उपक्रम, व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति और शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण शामिल है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (जीजी) की परिभाषा के अनुसार सभी पात्र लाइसेंस प्राप्त (शहरी) सहकारी बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पात्रता प्राप्त के रूप में अनुशंसित पात्र गैर लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक योजना की सहभागिता के लिए पात्र हैं।

विभिन्न योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं को अनुबंध में सारणीबद्ध किया गया है।

### गारंटी शुल्क

8. ऋण संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (कुछ विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) के अधीन बकाया जमाराशियों पर निर्धारित दरों पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी करने पर ही गारंटी रक्षा प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। गारंटी शुल्क की वार्षिक दर जो सभी योजनाओं के मामले में 1 अप्रैल 1989 से 1.50 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। केवल लघु ऋण गारंटी योजना 1971 के मामले में 1 अप्रैल 1993 से बढ़ाकर 2.50% प्रतिवर्ष कर दी गयी है। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में उनके शामिल होने की तारीख से पहले पांच वर्ष तक सामान्य दर से आधा (अर्थात् 1.25 प्रतिशत वार्षिक) गारंटी शुल्क अदा करने के लिए अनुमति दी गई है। अन्य दो योजनाओं अर्थात् लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984 और लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 के मामले में गारंटी शुल्क की दर 1.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष अपरिवर्तित रही। गारंटी को बनाये रखने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी नियमित रूप से की जानी चाहिए। अतिदेय गारंटी शुल्क पर बैंक दर से 8% अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

### गारंटी सुरक्षा - प्रमुख विशेषताएं

#### क) स्वचालित थोक सुरक्षा

9.1. निगम की गारंटी योजनाओं में भाग लेना ऐच्छिक है और गारंटी की रक्षा केवल उन्हीं संस्थाओं को उपलब्ध है जो निगम के साथ आवश्यक करार करके इन योजनाओं में शामिल हैं तथा निर्धारित दरों पर नियमित रूप से गारंटी शुल्क अदा करती हैं। ये योजनायें स्व-चालित थोक सुरक्षा के आधार पर चलाई जाती हैं और उनके अंतर्गत सभी पात्र अग्रिम स्वतः ठीक उसी तारीख से सुरक्षित हो जाते हैं जिस तारीख को उनका पहली बार संवितरण किया जाता है और उनके अंतर्गत प्रदान की गई प्रत्येक ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए ऋण संस्थाओं को पूर्व आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः सहभागी ऋण संस्थाएं गारंटी रक्षा की परिधि से किसी भी पात्र ऋण सुविधा को अलग करने के लिए मुक्त नहीं है।

#### ख) लाभ प्राथमिकता प्राप्त उधारकर्ताओं तक ही सीमित

9.2 गारंटी योजनाओं का प्रयोजन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है जिनके लिए इस प्रकार की सहायता के बिना संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अधिक समृद्ध व्यक्तियों तक ही केन्द्रित न हो जाएँ, गारंटी योजनाओं के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं:- फुटकर व्यापारियों के मामले में ऋण राशि सीमा, कारोबारी उद्यमों के मामले में उपकरणों का मूल्य तथा लघु उद्योग के यूनिटों के मामले में संयंत्र और मशीनों का मूल्य। इसके अलावा निगम की दावा संबंधी देयता की भी संपूर्ण सीमाओं को निर्धारित किया है।

10. गारंटी के अधीन दावा प्रस्तुत करने से पहले ऋण संस्थाओं को पांच शर्तें पूरी करनी होती है, वे इस प्रकार हैं, i) अग्रिमों की प्राप्ति के बाद कम से कम 3 वर्ष की अवधि पूरी हो गयी हो, ii) संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की बकाया जमाराशियों पर देय गारंटी शुल्क की अदायगी जब कभी देय हुई तब कर दी गयी है, iii) ऋणकर्ता को पूरी बकाया राशियाँ चुकाने के लिए माँग नोटिस जिस तारीख को तामील किया गया हो उसके एक माह के भीतर गारंटी के अंतर्गत आनेवाले अग्रिम की अदायगी न की गई हो, iv) ऋण संस्थाओं द्वारा यह मान लिया गया हो कि अग्रिम वसूली के लिए अशोध्य अथवा संदिग्ध हैं और v) ऋण संस्था की बहियों में उसके लिए उसी प्रकार का प्रावधान किया गया हो अथवा उसको उसी प्रकार से हिसाब में लिया गया हो। निगम को ऋण संस्थाओं से यह अपेक्षा करनी होगी कि वे गारंटी लागू करने से पहले उधारकर्ताओं, जमानतों के विरुद्ध और जहां कहीं जमानतों से वसूली की जा सकती हो वहां उसके लिए कारगर कार्रवाई करें। निगम योजनाओं में पात्र कार्यकलापों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कतिपय निरपेक्ष सीमाओं के अधीन, यथास्थिति 'चूक की राशि' का 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत अदा करता है अधिक छोटे उधारकर्ताओं को निगम द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। दावों की अदायगी के बाद दावा करनेवाली संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बकाया राशियों की वसूली के लिए लगातार कारगर कार्रवाई करें और प्रतिस्थापन अधिकारों के फलस्वरूप वसूली के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई हो उसका खर्च वसूली हुई राशि में से घटाकर वसूली राशि में निगम का हिस्सा उसे प्रेषित कर दें। ऋण संस्थाओं को अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अधीन निम्नलिखित मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है: प्रतिभूति/जामिन को मुक्त करना, कानूनी कार्रवाई से छूट देना, बकाया राशियों के लिए समझौता करना और उन्हें कम करना, तथा बकाया राशियों को बट्टे खाते में डालना। अन्य सभी मामलों में उनके लिए यह आवश्यक है कि वे निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। किसी उधारकर्ता से संबंधित गारंटी के लागू किये जाने और उससे संबंधित दावे की अदायगी हो जाने पर उस उधारकर्ता को प्रदान किये जानेवाले दूसरे किसी ऋण के लिए निगम की गारंटी सुरक्षा उस समय तक उपलब्ध नहीं होती जब तक पहले निपटाये गये दावे के लिए निगम को देय राशि की अदायगी न कर दी गई हो।

# अनुबंध
## ऋण गारंटी योजनाएं - प्रमुख विशेषताएं

| योजनाएँ | सहभागी पात्र संस्थाएं | उधारकर्ताओं की श्रेणी | गारंटी शुल्क | गारंटी सुरक्षा |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **(क) छोटे उधारकर्ता** | | | | |
| i) **लघु ऋण गारंटी योजना, 1971** | वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) | i) **परिवहन चालक** | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक) | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) **फुटकर व्यापारी** | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) **व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्यम** | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) **कृषक तथा खेतिहर प्रत्यक्ष वित्त** | | |
| | | 1) फसल उगाना | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | 2) विकास कार्यों के लिए | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 20,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | 3) विशेष परिस्थितियों के अधीन फसल ऋणों के अधिकतम तीन परिवर्तनों के लिए | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 30,000 रुपये (अर्थात् 10,000 रुपये) में से जो कम हो |
| | | 4) संबंद्ध कार्यकलापों के लिए | | |
| | | i) मछली पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) रेशम उत्पादन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) पशु पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) मुर्गी पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो |
| | | v) डेरी उद्योग | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | (एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | v) **कृषि उद्योग के लिए अप्रत्यक्ष वित्त** (शीतगार के निर्माण तथा चलाने और सीमा शुल्क सेवा इकाइयों को छोड़कर जो लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में अंतर्भूत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार) | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक) | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये जो प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था जो कम हो |
| | | vi) **शैक्षणिक**<br>पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा वित्त प्रस्तुत की गयी विशेष योजना के अंतर्गत शैक्षिक प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा वैयक्तिकों को दी गई ऋण सुविधाएं। | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत |
| | | vii) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन** विशेष प्रयोजनों के लिए निवेश योग्य वस्तुओं की खरीद/आपूर्ति और/या हिताधिकारियों को उत्पादों के विपणन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रवर्तित संगठनों को मंजूर किये गये अग्रिम। | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था |
| | | viii) **आवास-प्रत्यक्ष वित्त**<br>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को आवास निर्माण के लिए 5,000 रुपये तक दिये गये ऋण। | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत |
| | | ix) **आवास-अप्रत्यक्ष वित्त**<br>i) 5,000 रुपये से अधिक नहीं है वहाँ आवास निर्माण के प्रयोजनार्थ किसी भी सरकारी एजेन्सी को दी गयी वित्तीय सहायता। | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था |
| | | ii) विशेष रूप से उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन गंदी-बस्ती निर्मूलन और गंदी-बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए किसी भी सरकारी एजेन्सी को दी गई वित्तीय सहायता | वही | वही |
| | | x) **उपभोग**<br>उपभोग ऋण योजना के अधीन दिये गये शुद्ध उपभोग ऋण | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| ii) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 | प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक | i) परिवहन चालक | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए। | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) फुटकर व्यापारी | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्यम | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) शैक्षणिक ऋण | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत |
| | | v) 500 रुपये तक व्यक्तिगत उपभोग ऋण | वही | वही |
| | | vi) निम्नलिखित के लिए आवास ऋण रुपये 25,000 से अधिक नहीं | | |
| | | क) व्यक्तिगत | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत |
| | | ख) सरकारी एजेन्सी | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था |
| | | vii) कृषि से संबद्ध कार्यकलाप | | |
| | | i) मछली पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) रेशम उत्पादन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) पशु पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) मुर्गी पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो |
| | | v) डेरी उद्योग | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | vi) बैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों, लदाईवाले जानवरों आदि की खरीद | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | (एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| **(ख) लघु उद्योग**<br>iii) **लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981** | वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सहकारी बैंक, राज्य वित्त निगम और राज्य विकास एजेंसियाँ | i) लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित) जिन्हें समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता घटक 2 लाख रुपये से अनधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए। | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो |
| | | ii) बिना किसी सीमा के ऋण सुविधाओं सहित पिछड़े क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाइयाँ | वही | वही |
| | | iii) 2.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं वाली पिछड़े क्षेत्रों के अलावा अन्य मे स्थित लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित) | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो |
| | | **लघु उद्योग क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त**<br>i) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की निवेश वस्तुओं की आपूर्ति और उत्पादन के विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता में लगी एजेंसियाँ। | वही | (क) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से अनधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में जो कम हो।<br>(ख) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से अनधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में जो कम हो। |
| | | ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधि प्रदान करनेवाले सरकार द्वारा प्रायोजित निगम/संगठन (बशर्ते कि उन्हें सरकार या किसी अन्य की गारंटी रक्षा प्राप्त न हो।) | वही | वही |
| | | iii) शीतगार के निर्माण और उनको चलाने के लिए ऋण | वही | (ऊपर बताये अनुसार) चूक की राशि का 60 प्रतिशत/50 प्रतिशत या 20 लाख रुपये (कार्यगत पूंजी और मीयादी ऋणों प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये) जो भी कम हो। |
| | | iv) टैक्टरों, बुलड़ोज़रों, कुआँ खोदने के उपकरणों, थ्रेशर्स, कंबाईन आदि के समूह का रखरखाव करनेवाले और संविदा आधार पर किसानों का कार्य करनेवाले व्यक्तिगत संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंध की गयी ग्राहक सेवा इकाइयों को अग्रिम। | वही | वही |
| | | v) औद्योगिक संस्था<br>औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए ऋण | वही | वही |

## बीमाकृत खातों की संख्या

(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)

NUMBER OF INSURED ACCOUNTS

( AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR )

तालिका CHART - I

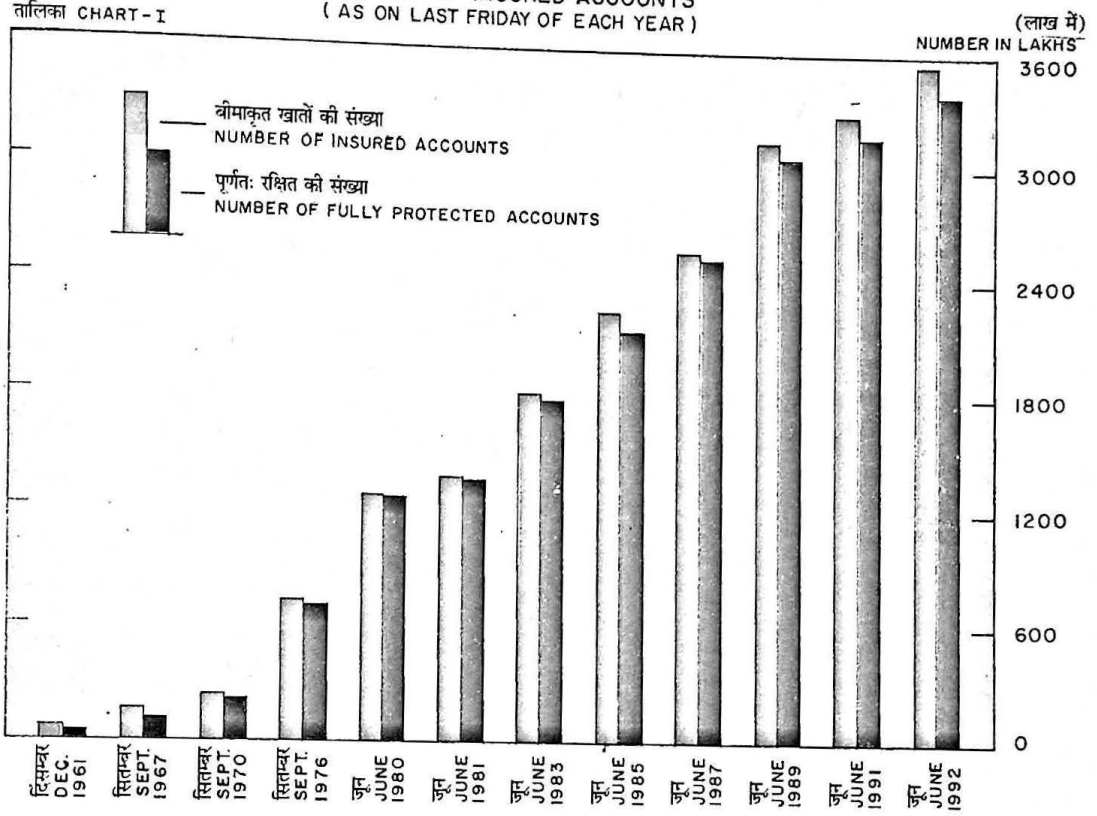


## बीमाकृत जमाराशियों की रक़म

(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)

AMOUNT OF INSURED DEPOSITS

( AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR )

तालिका CHART - II

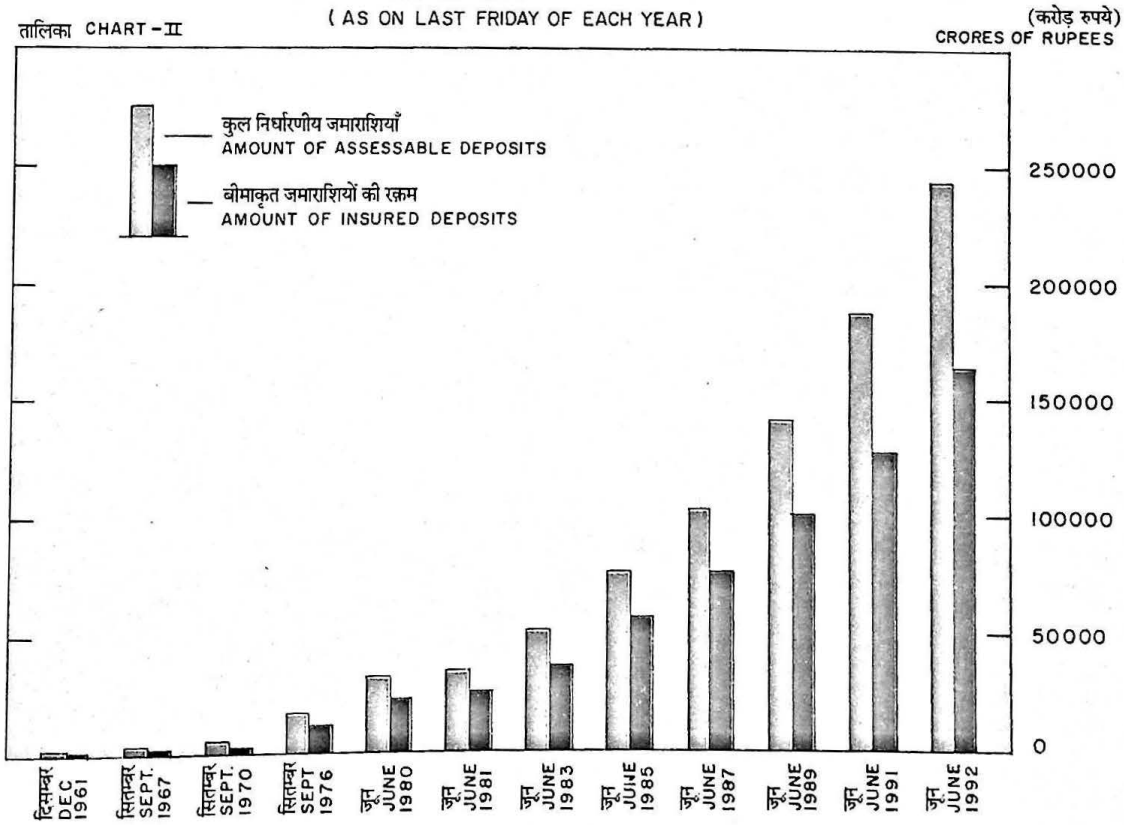

तालिका CHART-III

# वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों में बीमा रक्षा

(जून 1992 के अंतिम शुक्रवार को)

## EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS IN INSURED BANKS

(LAST FRIDAY OF JUNE 1992)

खातों की कुल संख्या
3,543·02 लाख
TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS
3,543·02 LAKHS

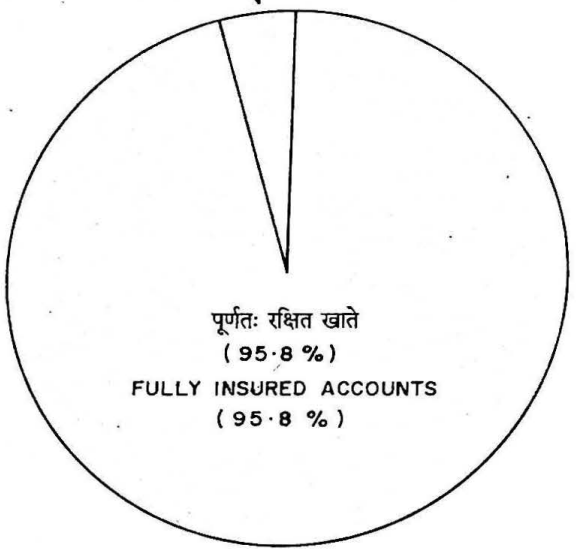


निर्धारणीय जमाराशियों की कुल रकम
2,44,375·38 करोड़ रुपये
TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS
Rs. 2,44,375·38 CRORES

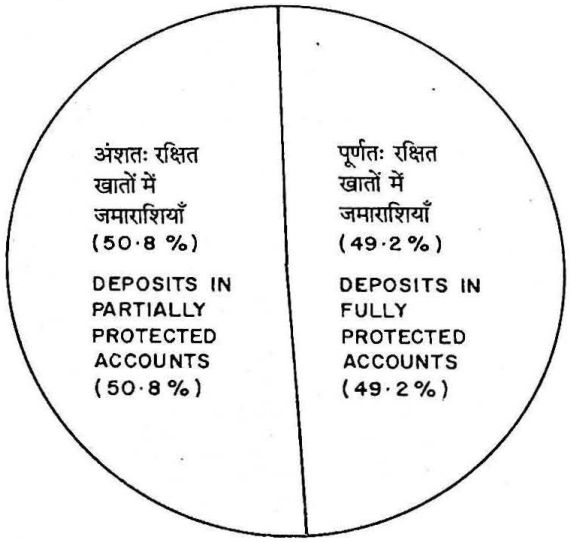

## छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि

(जून के अंत तक)

(करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

( END OF JUNE )

( CRORES OF RUPEES )

तालिका CHART IV

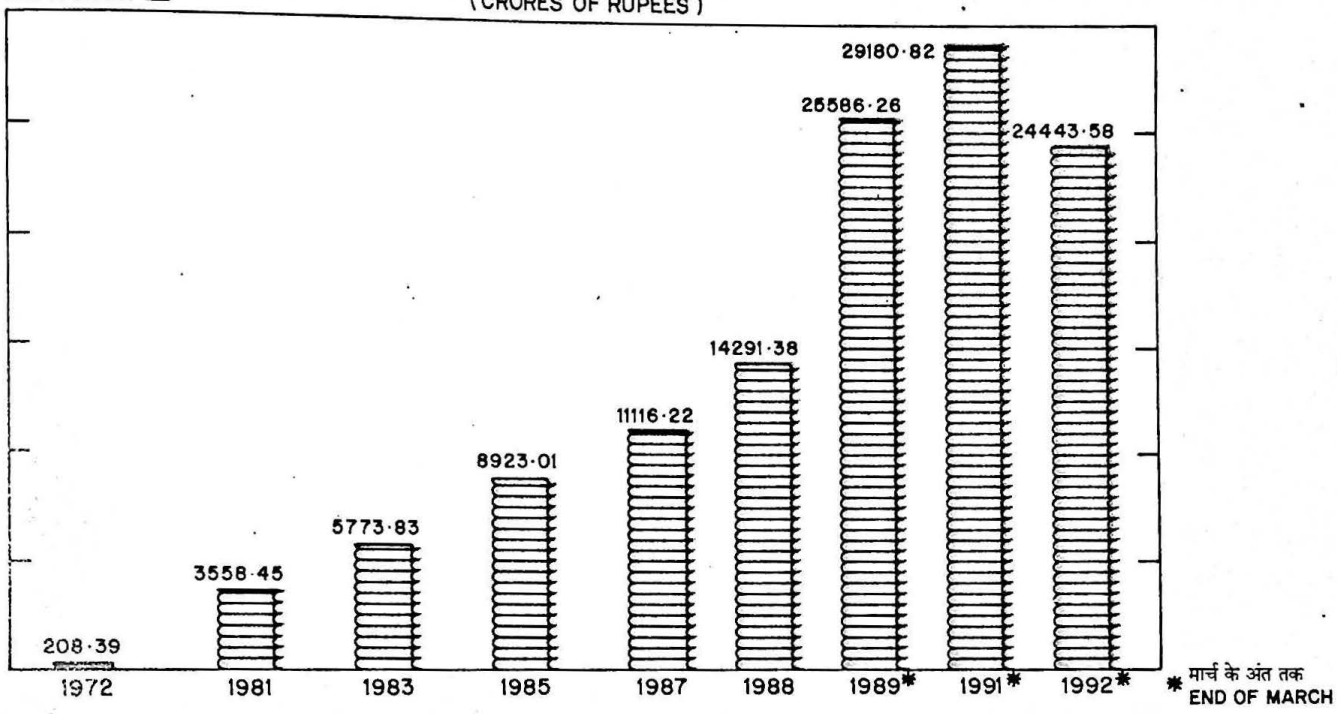


## छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्र-वार विश्लेषण

(मार्च 1992 के अंत की स्थिति)

SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

( AS AT THE END OF MARCH 1992)

तालिका CHART V

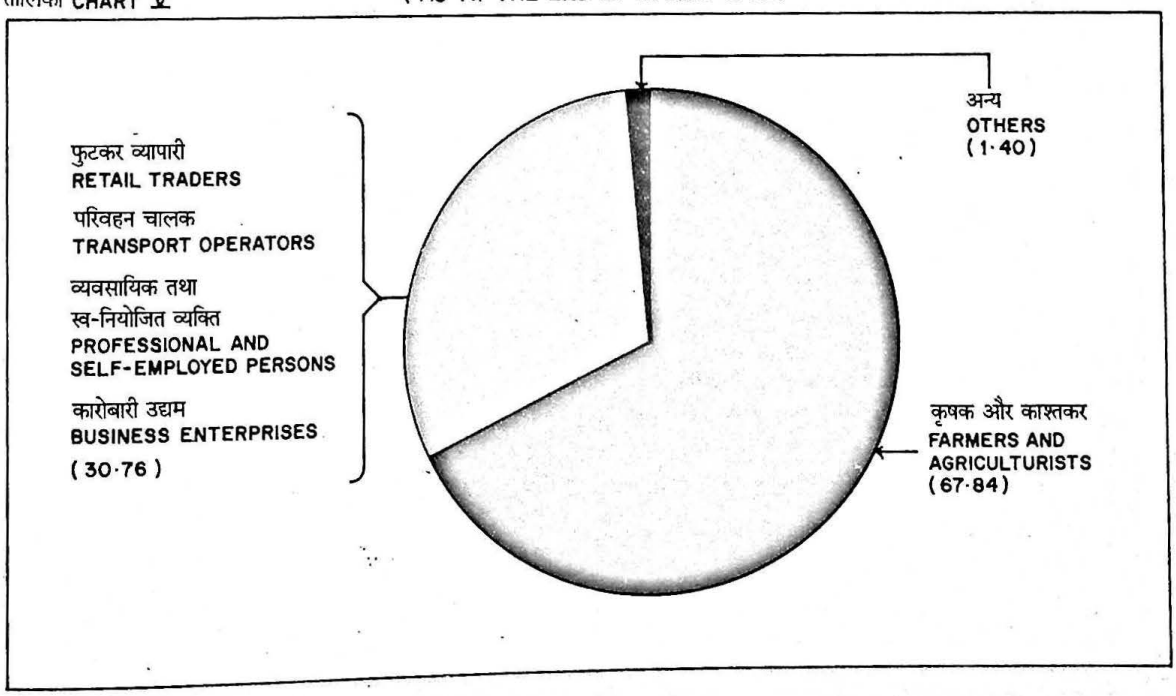

## छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान

## RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

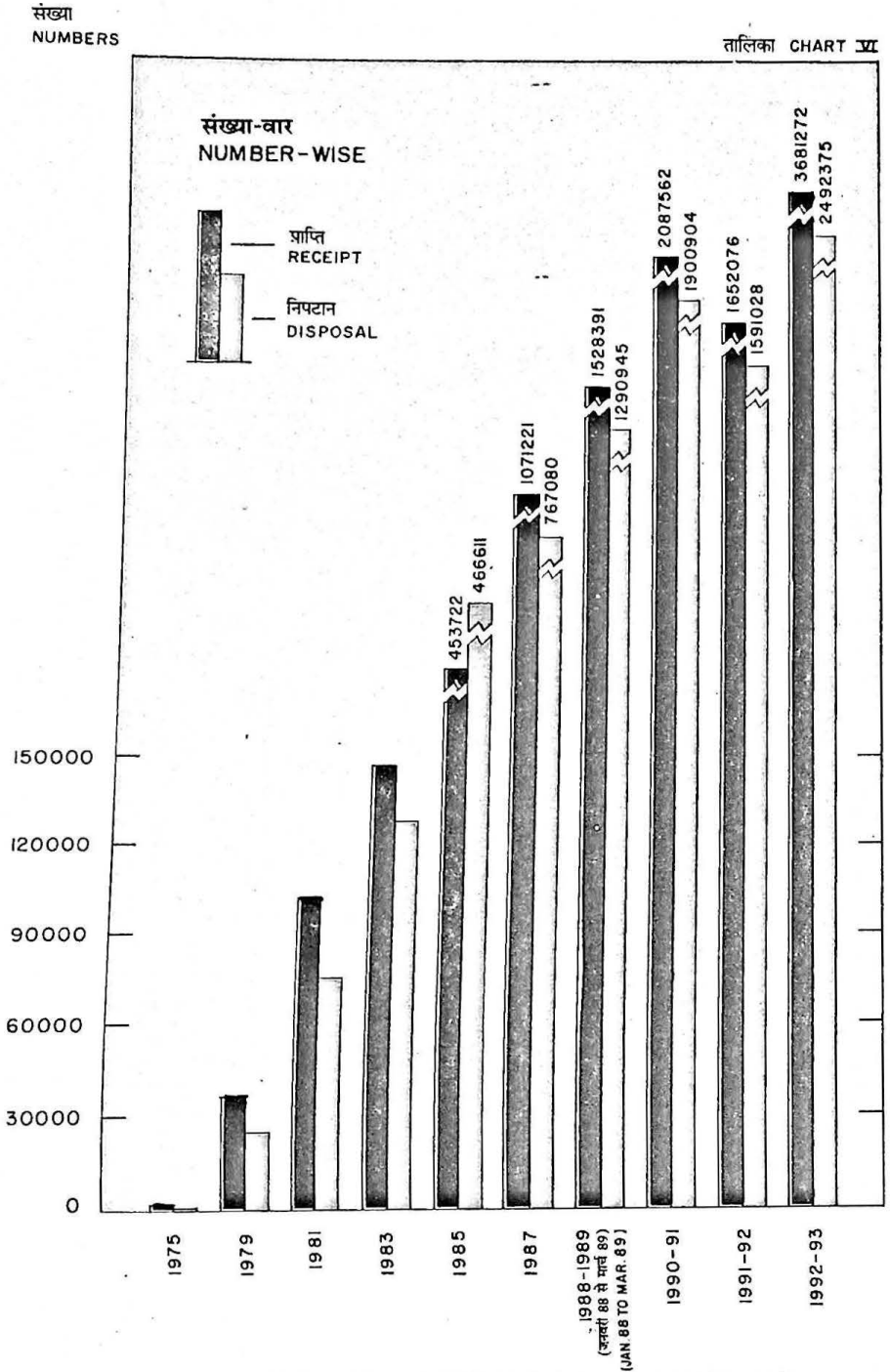


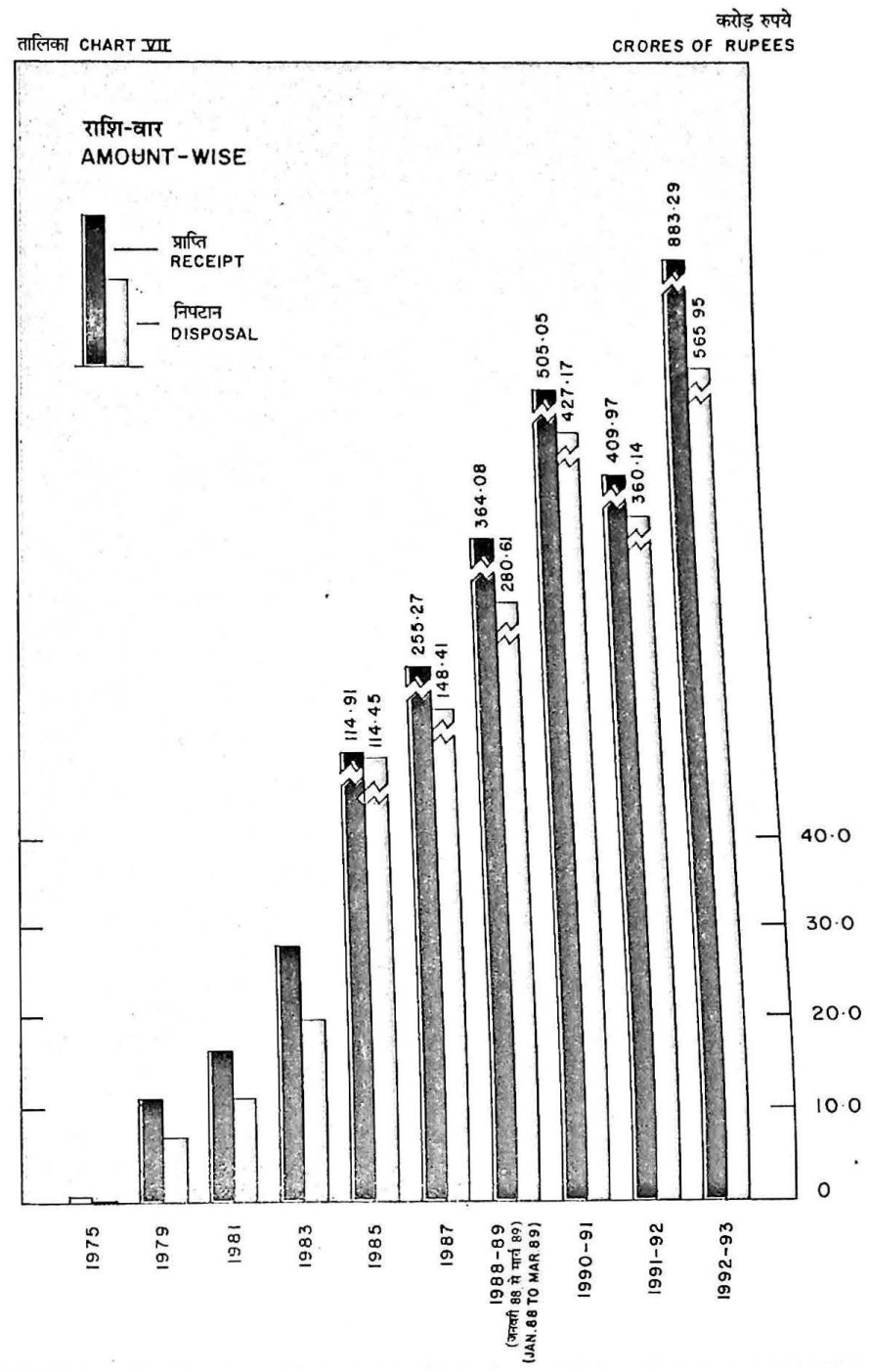

## लघु उद्योगों से संबंधित निगम की गारंटी योजना के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि

(करोड़ रुपये)

## GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME RELATING TO SMALL-SCALE INDUSTRIES

(CRORES OF RUPEES)

तालिका CHART - VIII

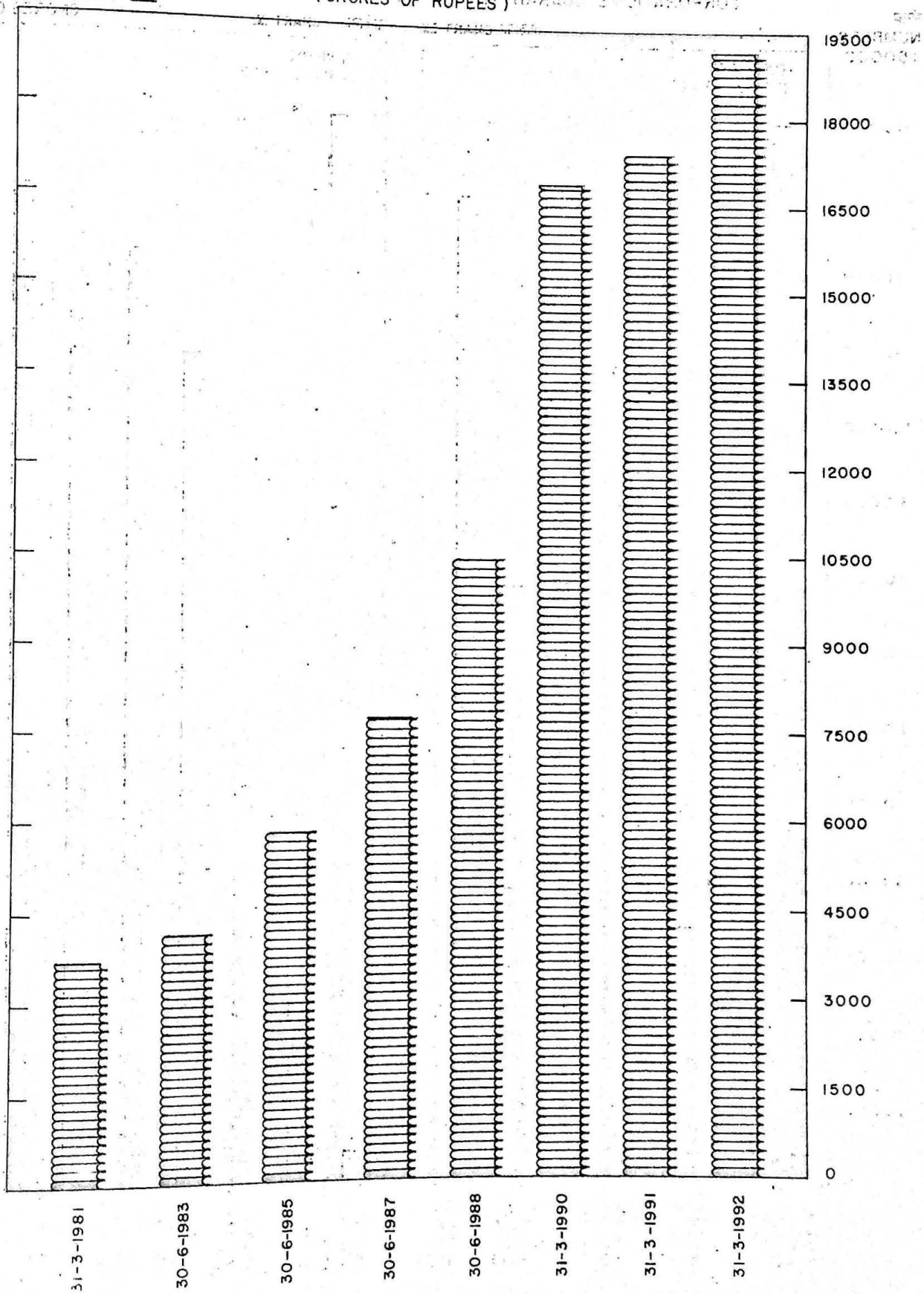

# लघु उद्योगों के लिए निगम की गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान

## RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES

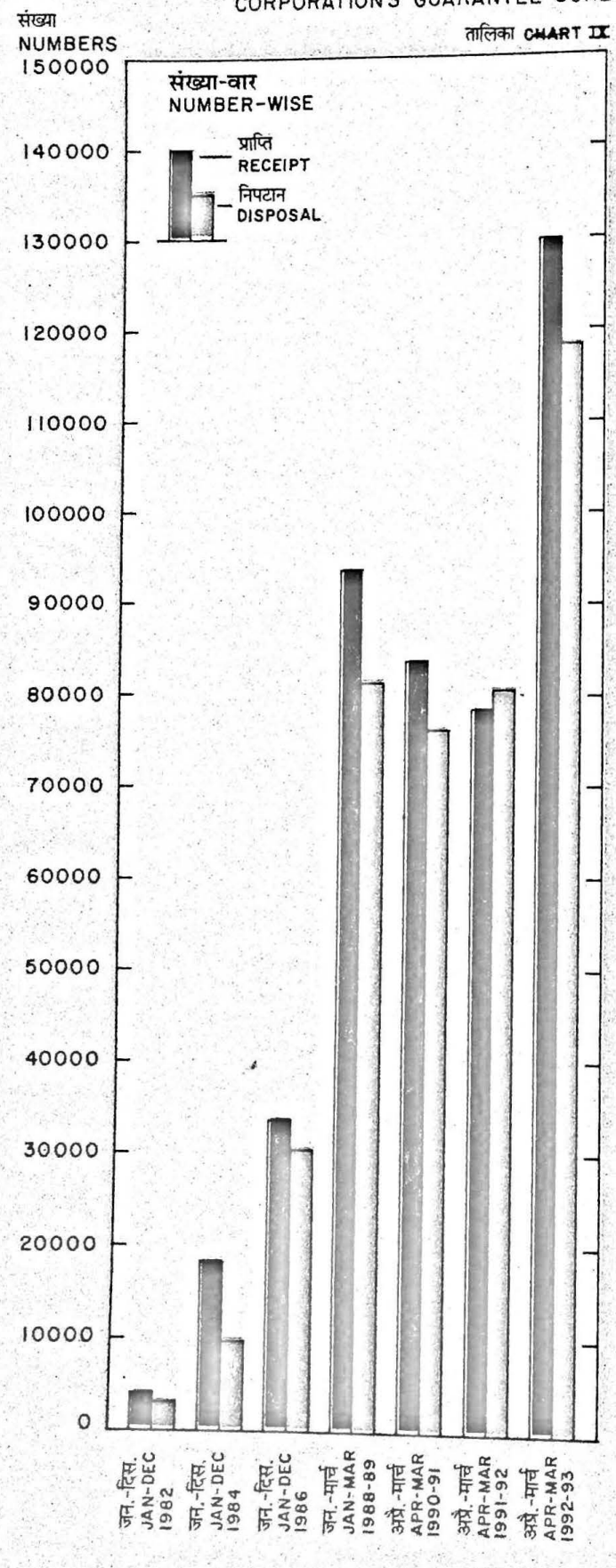


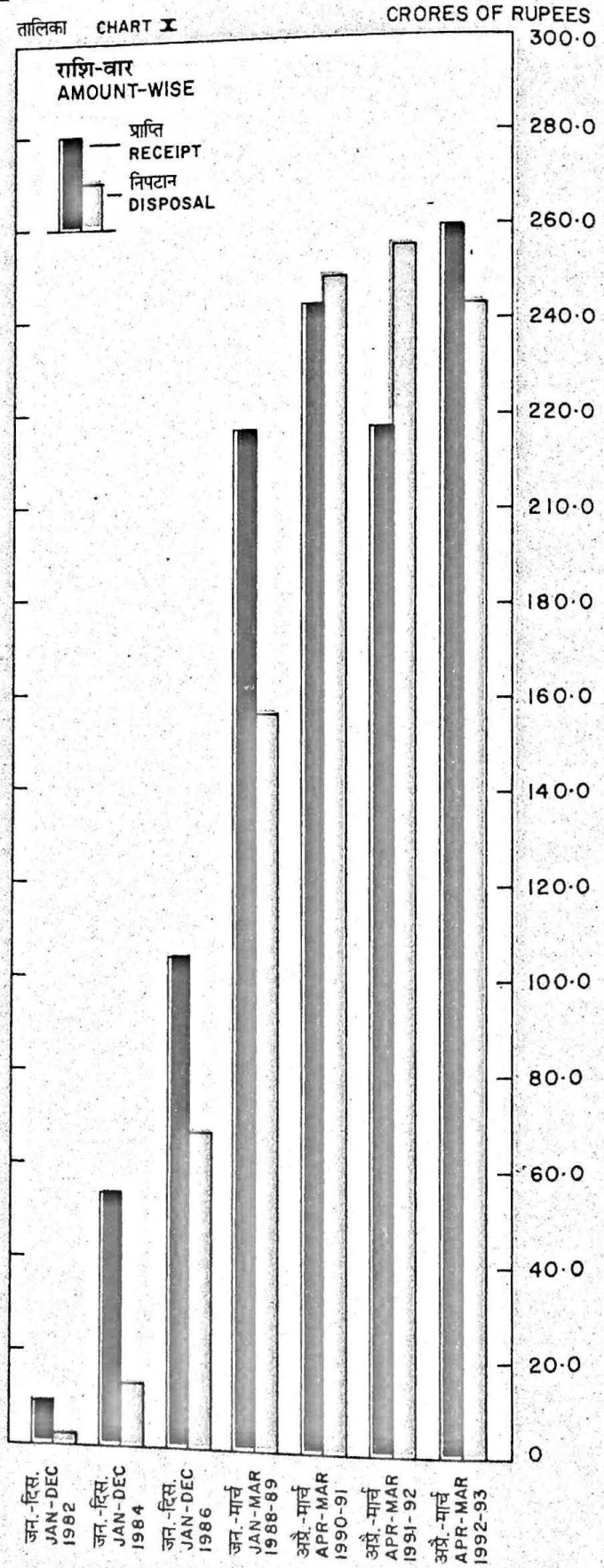

# DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Established by an Act of Parliament)

**Head Office: 6th Floor, New India Centre,**
**17, Cooperage Road, Bombay 400039.**

## 31st Annual Report of the Board of Directors, Balance Sheets and Accounts for the year ended 31 March 1993.

# CONTENTS


| | | Page No. |
|---|---|---|
| 1. | Letters of Transmittal | iii & iv |
| 2. | Board of Directors | v |
| 3. | Organisation Chart | vi |
| 4. | Offices of the Corporation | vii |
| 5. | Principal Officers of the Corporation | viii |
| 6. | Corporate Profile | ix |
| 7. | Highlights - Progress at a glance | x |
| 8. | Directors' Report | 1 |
| 9. | Annexures to the Directors' Report | 11 |
| 10. | Balance Sheets & Accounts | 32 |
| 11. | An Outline of Functions & Activities | 40 |

# LETTER OF TRANSMITTAL

**(To the Reserve Bank of India)**

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay 400039.

DICGC/106/06.02/015/93-94

26 June, 1993
5 Asadha 1915 (Saka)

The Secretary,
Reserve Bank of India
Secretary's Department,
Central Office,
Central Office Building,
BOMBAY 400023.

Dear Sir,

**Balance Sheets and Annual Report for the year 1992-93**

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the audited Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1993 together with signed copy of the Auditors' Report and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1993.

Yours faithfully,

sd/-

**(S. K. Kapur)**
General Manager

# LETTER OF TRANSMITTAL
**(To the Government of India)**

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay 400039.

DICGC/107/06.02/016/93-94

26 June, 1993
5 Asadha 1915 (Saka)

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(Banking Division),
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
NEW DELHI 110001.

Dear Sir,

**Balance Sheets and Annual Report for the year 1992-93**

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

1. (i) the Balance Sheets and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1993 together with the Auditors' Report and

   (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1993.

2. Copies of the above Balance Sheets and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz. the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act ibid.

Yours faithfully,

sd/-

**(S. K. Kapur)**
General Manager

# BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

D. R. MEHTA
*Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay.*

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

Ms. I. T. VAZ
*Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay*

Nominated by Central Government under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

T. S. LASCHAR (Till 18 January 1993)

Ms. MONA SHARMA (from 8 April 1993)
*Joint Director, Department of Economic Affairs, (Banking Division), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.*

Nominated under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S. H. KHAN
*Managing Director, Industrial Development Bank of India, Bombay.*

*U. MAHESH RAO*
*Managing Director, General Insurance Corporation of India, Bombay.*

N. P. SARDA
*Chartered Accountant, Bombay.*

P. W. REGE
*Ex-Chairman, Saraswat Co-operative Bank Ltd., Bombay.*

Nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

GANGADHAR GADGIL
Economist, Bombay.

V. MAHADEVAN (Till 25 June 1993)
*Managing Director, State Bank of India, Bombay.*

P. N. JOSHI (From 14 June 1993)
*Chairman, United Western Bank Ltd., Satara, Maharashtra.*

R. L. WADHWA (Till 24 June 1992)
*Chairman and Managing Director, Allahabad Bank, Calcutta.*

# ORGANISATION CHART

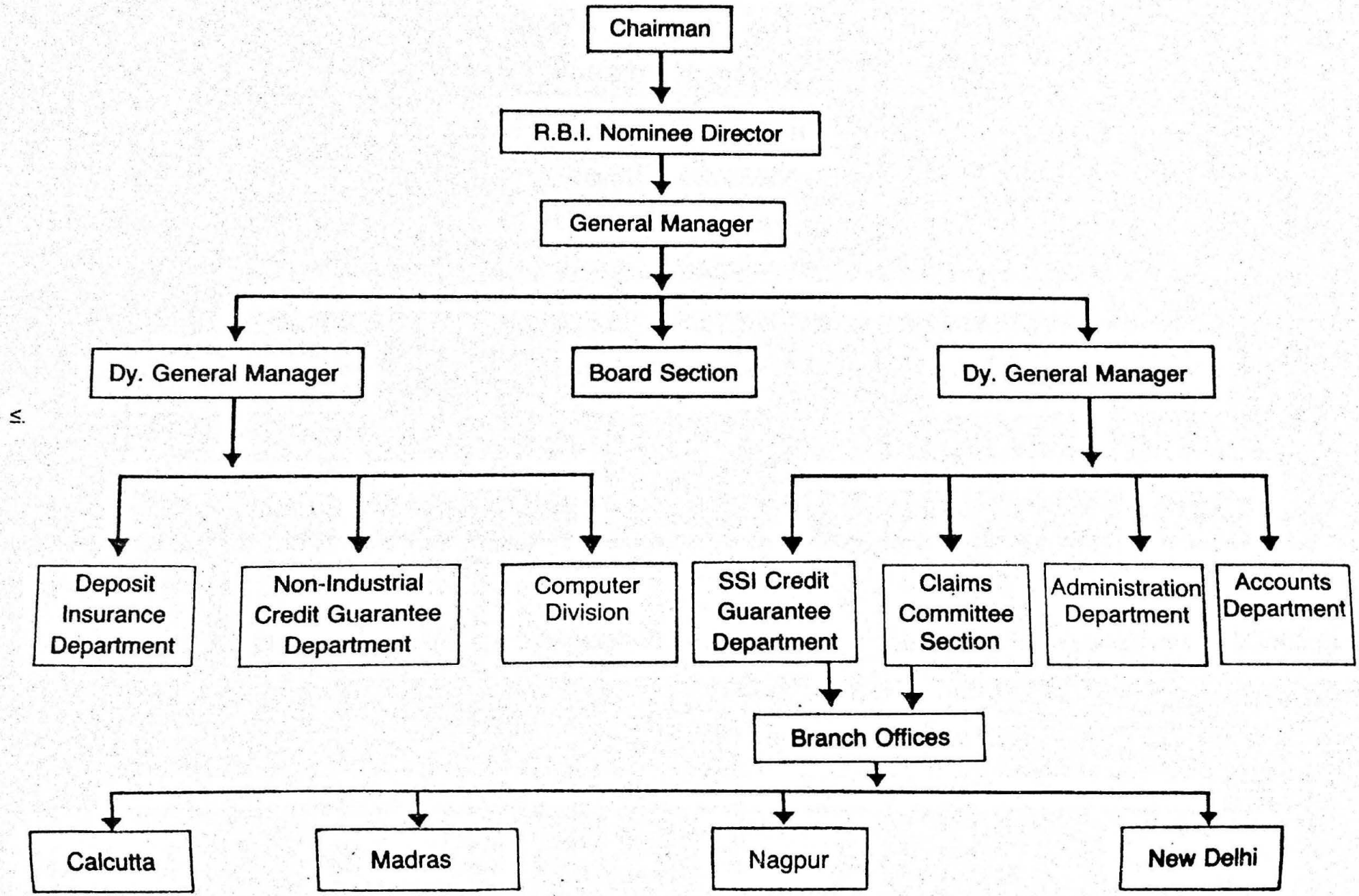

# OFFICES OF THE CORPORATION

| | | Tel. Nos. | Telegram |
|---|---|---|---|
| HEAD OFFICE | **New India Centre,<br>4th, 5th, 6th, 7th & 8th Floors,<br>17, Cooperage Road,<br>Post Box No. 1076,<br>Bombay 400 039.** | | 'CREDITGARD' |
| | General Manager<br>Board Section | 202 7323 (D)<br>202 0299 | |
| | (i) Dy. General Manager | 202 2408 (D) | |
| | SSI Credit Guarantee Department<br>Accounts Department<br>Administration Department | 202 0299 | |
| | (ii) Dy. General Manager | 204 4876 (D) | |
| | Deposit Insurance Department<br>Non-Industrial Credit Guarantee Department<br>Computer Division | 202 0299 | |
| BRANCHES | | | |
| (1) NAGPUR | Reserve Bank of India Building,<br>Near High Court,<br>Nagpur 440 001. | 521406 (D)<br>532321<br>532357 | 'CREDITGARD' |
| (2) CALCUTTA | 8, Council House Street, 1st Floor,<br>Post Box No. 17,<br>Calcutta 700 001. | 281154 (D)<br>286029 | 'DISINGUAR' |
| (3) MADRAS | Kuralagam Building<br>3rd Floor, Esplanade,<br>Post Box No. 5021,<br>Madras 600 108. | 5341524 (D)<br>5341239 | 'CREDITGARD' |
| (4) NEW DELHI | Reserve Bank of India Building<br>6, Sansad Marg,<br>Post Box No. 123,<br>New Delhi 110 001. | 3716487 (D)<br>3710538 to 42 | 'DEPOSITINS' |

# PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

## GENERAL MANAGER

S. K. Kapur

## DY. GENERAL MANAGERS

B. A. Rao (Till 30 June 1993)
A. L. Bhatia (Till 30 April 1993)
D. N. Prasad (From 24 May 1993)
Smt. S. N. Joshi (From 4 August 1993)

## CHIEF ACCOUNTANT

O. P. Arora

## OTHER OFFICERS

### MANAGERS

J. P. Sharma
Kum. U. S. Banerjee

### SECRETARY

R. G. Tawde

## BRANCH MANAGERS

### NAGPUR

N. K. Saha

### CALCUTTA

S. N. Ganguly
(Till 11 July 1993)
S. S. Gangopadhyay
(From 12 July 1993)

### MADRAS

J. A. Gregory (Till 31 March 1993)
T. M. Narayanan (From 1 April 1993)

### NEW DELHI

S. S. Sethi

## BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

## AUDITORS

M/s. N. B. Shetty & Co.
*Chartered Accountants*
Bombay 400001.

# CORPORATE PROFILE

## OBJECTS & PURPOSE

The Deposit Insurance Corporation was established by an Act of Parliament on 1 January 1962. With effect from 15 July 1978, it took over the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited, a public Limited company promoted by Reserve Bank of India on 14 January 1971 with a view to integrating the twin and cognate functions of giving insurance protection to small depositors in banks and providing guarantee cover to credit facilities extended to certain categories of small borrowers particularly those belonging to the weaker sections of the society. With the integration of the two organisations, the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. From 1 April 1981, it extended its guarantee support to credits granted to small scale industries also, after cancellation of Government of India's scheme in that behalf.

The Corporation's twin objectives are to provide for the benefit of depositors in banks, insurance against the loss of all or part of their deposits in all branches of a bank and to provide guarantee support to credits extended by participating institutions viz. commercial banks (including Regional Rural Banks), co-operative banks, state financial corporations and other term lending institutions. Till 31 March 1989, the guarantee support covered certain categories of small borrowers and small scale industries. Effective from 1 April 1989 guarantee cover is extended to entire priority sector (as per Reserve Bank's definition) advances. Since 1990-91, certain categories of priority sector advances which are guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. have been excluded from guarantee cover.

The Corporation maintains two separate funds viz. Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund. They are funded by the premia and guarantee fees received and are utilised exclusively for meeting the respective claims. Besides, one more fund called General Fund, is maintained in which the capital of the Corporation is held and the staff establishment and administrative expenses are met from the investment income out of this fund. The Corporation was granted exemption from payment of income tax till 31 December 1986.

The authorised capital of the Corporation is Rs. 50 crores which is entirely issued and subscribed by Reserve Bank of India.

The management of the Corporation vests in a Board of Directors of which a Deputy Governor, Reserve Bank of India is the Chairman. The Board is assisted by a Claims Committee and an Investment Committee headed by the Reserve Bank's Nominee Director on the Board of the Corporation. The General Manager is the Chief Executive of the Corporation.

The Head Office of the Corporation is at Bombay. It has four branches at Nagpur, Calcutta, Madras and New Delhi. The Corporation has no subsidiaries or affiliates.

# HIGHLIGHTS - PROGRESS AT A GLANCE

(Amount in crores of rupees)

| At year-end | 1962 | 1972 | 1978 | 1982 | 1984 | 1987 | 1988-89 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. **Capital** | 1 | 1.5 | 10 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. **Deposit Insurance** | | | | | | | | | | |
| i) Deposit Insurance Fund | 1 | 25 | 76 | 154 | 219 | @ | @ | @ | @ | @ |
| ii) Insured Banks | 276 | 476 | 1,021 | 1,683 | 1,805 | 1,898 | 1,903 | 1,922 | 1,931 | 1,931 |
| iii) Assessable Deposits | 1,895 | 7,458 | 21,660 | 42,360 | 61,880 | 1,03,044 | 1,26,864 | 1,56,892 | 1,86,307 | 2,44,375 |
| iv) Insured Deposits | 448 | 4,656 | 15,369 | 31,774 | 46,340 | 75,511 | 90,192 | 1,09,316 | 1,27,925 | 1,64,527 |
| v) Accounts (in lakhs) | 77 | 341 | 931 | 1,598 | 2,026 | 2,569 | 2,781 | 3,089 | 3,287 | 3,543 |
| vi) Fully Protected Accounts (in lakhs) | 60 | 328 | 916 | 1,581 | 2,000 | 2,518 | 2,705 | 2,983 | 3,169 | 3,395 |
| vii) Claims paid | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 | 69 | 131 | 139 | 178 |
| 3. **Credit Guarantee** | | | | | | | | | | |
| i) Credit Guarantee Fund | — | — | 27 | 89 | 118 | @ | @ | @ | @ | @ |
| ii) Guaranteed Advances | | | | | | | | | | |
| (a) Small Borrowers | — | 208 | 1,715 | 4,840 | 7,104 | 11,116 | 14,291 | 27,692 | 29,181 | 24,444 |
| (b) Small-Scale Industries | — | — | — | 3,822 | 4,891 | 7,738 | 10,465 | 16,826 | 17,362 | 19,162 |
| iii) Claims Received (for the year) | | | | | | | | | | |
| (a) Small Borrowers | — | — | 9 | 25 | 62 | 255 | 364 | 505 | 410 | 883 |
| (b) Small-Scale Industries | — | — | — | 30 | 71 | 149 | 241 | 247 | 220 | 260 |
| iv) Claims Disposed of (for the year) | | | | | | | | | | |
| (a) Small Borrowers | — | — | 3 | 15 | 32 | 225 | 281 | 427 | 360 | 566 |
| (b) Small-Scale Industries | — | — | — | 27 | 47 | 122 | 177 | 260 | 260 | 243 |

@ In view of the amendments to the forms of Balance Sheet and Revenue Account on account of actuarial valuation of the Corporation's liabilities since 1987, the Credit Guarantee Fund disclosed deficits every year thereafter except for the year 1989-90. The deficits/surplus in the Fund were adjusted against surplus in the Deposit Insurance Fund in the respective years. During 1992-93, the deficit in the Credit Guarantee Fund was Rs. 201.90 crores. As on 31 March 1993, a net sum of Rs. 475.86 crores was due to Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund.

# REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 1993

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors present herewith the 31st Annual Report of the Corporation for the year ended 31 March 1993.

## Economic Scenario

2. During the year 1992-93, there has been a noticeable improvement in the overall economic situation and an abatement of inflationary pressures. The balance of payments situation has also shown improvement. On the basis of expected growth of output in the agricultural sector and industrial sector, the real GDP growth rate may exceed 4.0 per cent in 1992-93 as compared with 1.2 per cent in 1991-92. A deceleration in the rate of inflation in 1992-93 is attributable to better macro-economic management through a reduction in the gross fiscal deficit of the Central Government as a proportion of GDP, moderation in monetary expansion and improved performance of the agricultural sector. In the banking sector, aggregate deposits of scheduled commercial banks during 1992-93 showed an increase of Rs.36,389 crores (15.8 per cent) as compared with an increase of Rs.38,217 crores (19.8 per cent) in 1991-92. The non-food credit showed an unprecedented increase of Rs.23,389 crores (19.3 per cent) as compared with an increase of Rs.9,127 crores (8.2 per cent) in 1991-92. The country has embarked on a cohesive programme of economic reforms. The various components of these reforms — fiscal, industrial, trade and exchange and financial have to move in tandem. In order to strengthen the banking system so as to subserve the functioning of an efficient modern economy, the Reserve Bank of India has prescribed capital adequacy, income recognition and provisioning norms for banks. Greater autonomy will necessarily require transparency of operations. To assist the banks in undertaking these fundamental changes which would impose a strain on them, the Central Government has made a large provision of Rs.5700 crores in the Budget for 1993-94 for contribution to the share capital of the nationalised banks. In respect of their non-performing assets, the banks have lodged an increased number of claims during the year and the same trend is likely to continue in future also thereby placing a burden on the Corporation's resources.

## Advances to priority sector

3. Priority sector advances of public sector banks increased from Rs.42,093 crores as at the end of June 1991 to Rs.44,995 crores as at the end of June 1992. The share of priority sector advances in net bank credit worked out to 39.3 per cent i.e. marginally below the target of 40 per cent. Within the priority sectors, the share of advances to agriculture which stood at 16.4 per cent as at the end of June 1991 declined to 16.1 per cent as at the end of June 1992. While the share of small-scale industries in priority sector advances declined from 16.1 per cent as at the end of June 1991 to 15.5 per cent as at the end of June 1992, the share of other priority sectors declined from 8.4 per cent to 7.7 per cent during the same period. The share of direct finance to agriculture was 14.9 per cent of net bank credit and the share of advances to scheduled castes and scheduled tribes in priority sector advances stood at 8.5 per cent as at the end of June 1992. As regards the private sector Indian Banks, their priority sector advances stood at Rs.1,722 crores constituting 34.7 per cent of their net bank credit as on the last Friday of September 1991. The proportion of priority sector advances of foreign banks operating in India to their net bank credit was just 7.8 per cent at the end of September 1991, which is much below the target of 15 per cent which was to be attained by end March 1992.

## IMPORTANT DEVELOPMENTS

### Deposit Insurance Scheme — Increase in the limit of insurance cover and rate of premium.

4.1 With a view to providing a greater measure of protection to bank depositors, particularly small depositors, the existing limit of insurance cover available under the Corporation's Deposit Insurance Scheme for deposits in an insured bank has been raised from Rs.30,000/- to Rs.1,00,000/- per

depositor in the same right and capacity with effect from 1 May 1993. This step is expected to have a favourable psychological impact on depositors at large and to give a boost to the growth of deposits in banks by arresting the flight of deposits from the banking sector to non-banking sector. (The insurance limit was last raised from Rs. 20,000/- to Rs. 30,000/- in July 1980). The premium payable by the insured banks on their assessable deposits has also been marginally raised from four paise to five paise per Rs. 100/- per annum with effect from 1 July 1993 for which necessary Government Notification is being issued.

### Credit Guarantee Schemes — Hike in guarantee fee rate

4.2 The Corporation, after reviewing the financial viability of its three credit guarantee schemes decided to continue these schemes for one more year i.e. upto 31 March 1994 with enhanced rate of guarantee fee under Small Loans Guarantee Scheme, 1971 at 2.5 per cent per annum with effect from 1 April 1993 for the year 1993-94. The guarantee fee rate in respect of the two other schemes operated by the Corporation, viz. Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 and Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 remains unchanged at 1.5 per cent per annum.

### Operations of the Corporation — An overview

5.1 During the year, the Corporation continued to operate the Deposit Insurance Scheme giving insurance protection to small depositors in banks and Credit Guarantee Schemes relating to non-industrial sector (2 schemes) and small scale industrial sector (1 scheme) providing guarantee support for credit facilities extended to priority sector borrowers by banks and other financial institutions.

5.2 Under the Deposit Insurance Scheme, the insurance coverage per depositor per bank and insurance premium continued to be Rs. 30,000/-and 4 paise per Rs. 100/- per annum, respectively. The number of insured banks as on 31 March 1993 stood at 1931. As at the end of June 1992, the Scheme covered 3,395 lakhs fully protected accounts constituting 95.8 per cent of the total number of deposit accounts at 3,543 lakhs. The insured deposits at Rs. 1,64,527.00 crores represented 67.3 per cent of the total assessable deposits at Rs. 2,44,375.00 crores in banks. The insurance premium received during the year amounted to Rs. 105.97 crores. The Corporation settled claims (including 'on account' payment) for an aggregate amount of Rs. 38.99 crores in respect of deposits of one commercial bank (Rs. 37.00 crores) and two co-operative banks (Rs. 1.99 crores).

5.3 The Corporation has made total provision of Rs. 14.93 crores towards claim liabilities. The Metropolitan Co-operative Bank Ltd., Bombay was taken into liquidation with effect from 20 June 1992. In order to alleviate the hardship to the depositors, particularly the small depositors, the Corporation released Rs. 1.25 crores as 'on account' payment to the Liquidator of the bank.

5.4 The total guaranteed advances covered under the Corporation's three credit guarantee schemes based on the guarantee fee received during the year, decreased to Rs. 43,605.50 crores as at the end of March 1992 from Rs. 46,543.18 crores as at the end of March 1991 recording a fall of 6.3 per cent. Guaranteed advances to small borrowers in non-industrial sector (i.e. farmers and agriculturists, small road and water transport operators, retail traders, small businessmen, professional and self-employed persons and other weaker sections of the society) stood at Rs. 24,443.58 crores as at the end of March 1992 as against Rs. 29,180.82 crores as at the end of March 1991 showing a decrease of 16.2 per cent over the previous year. The guaranteed advances to small scale industrial sector, however, increased from Rs. 17,362.36 crores as at the end of march 1991 to Rs. 19,161.92 crores as at the end of March 1992 and a rise of 10.4 per cent was registered over the position of the previous year.

5.5 The claims received by the Corporation under its credit guarantee schemes during the year under report increased by 120.2 per cent in number and 82.3 per cent in amount. The claims received aggregated 38,11,240 for Rs. 1143.27 crores as against 17,30,523 claims for Rs. 627.23 crores during the year ended March 1992. The increase in claims could be attributed to liberal disbursement of advances in the past coupled with laxity in recovery, expiry of lock-in period of 3 years which was introduced from 1 April 1989 and also due to instructions regarding capital adequacy norms, provisioning for bad and doubtful debts, income recognition etc. issued by the Reserve Bank of India. The Corporation settled 26,10,522 credit guarantee claims for Rs. 809.16 crores as against

16,71,538 claims for Rs.615.81 crores during the previous year. The claims disposal rate went up by nearly 56.2 per cent in number compared to 1991-92. The monthly claims disposal rate during the year has been 2,17,544. The number and amount of claims received and settled during the year under report and the previous year are furnished below:

(Amounts in crores of rupees)

| | During 1991-92 | | During 1992-93 | | Percentage Increase (+) Decrease (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| **I. Claims received** | | | | | | |
| Corporation's Schemes for | | | | | | |
| i) Small borrowers | 16,52,076 | 409,97 | 36,81,272 | 883.29 | (+)122.8 | (+)115.5 |
| ii) SSIs | 78,447 | 217.26 | 1,29,968 | 259.98 | (+) 65.7 | (+) 19.7 |
| Total: | 17,30,523 | 627.23 | 38,11,240 | 1,143.27 | (+)120.2 | (+) 82.3 |
| **II. Claims settled** | | | | | | |
| Corporation's Schemes for | | | | | | |
| i) Small borrowers | 15,91,028 | 360.14 | 24,92,375 | 565.95 | (+) 56.7 | (+) 57.1 |
| ii) SSIs | 80,510 | 255.67 | 1,18,147 | 243.21 | (+) 46.7 | (-) 4.9 |
| Total: | 16,71,538 | 615.81 | 26,10,522 | 809.16 | (+) 56.2 | (+) 31.4 |

5.6 The amounts of claims receipts and guarantee fee receipts since 1982 are as follows:

(Amounts in crores of rupees)

| Year | Guarantee fee receipts | Guarantee claims receipts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1982 | 57.67 | 34.11 | + 23.56 |
| 1983 | 71.17 | 60.42 | + 10.75 |
| 1984 | 87.91 | 115.69 | - 27.78 |
| 1985 | 105.66 | 186.90 | - 81.24 |
| 1986 | 127.25 | 245.86 | -118.61 |
| 1987 | 145.17 | 386.95 | -241.78 |
| 1988-89 (15 months) | 191.89 | 580.97 | -389.08 |
| 1989-90 | 593.83 | 548.33 | + 45.50 |
| 1990-91 | 524.72 | 748.76 | -224.04 |
| 1991-92 | 565.88 | 627.23 | - 61.35 |
| 1992-93 | 702.78* | 1143.27 | -440.49 |

* includes the ploughed back provisions in respect of earlier years.

The scheme-wise details of guarantee fee received are given in *Annexure-XVI*. It may be observed from the above that after enhancement in the guarantee fee rate with effect from 1 April 1989, except in the year 1989-90, the guarantee claims receipts have exceeded the guarantee fee receipts in all the subsequent years. The deficit was as high as Rs.440.49 crores for the year under report and this necessitated a review of the schemes for their viability and subsequent enhancement in the guarantee fee rate.

### Sickness/Failure of SSI Units

6. There has been a continuous increase in the flow of bank credit to the SSI Sector. The total number of sick SSI units increased from 1,86,441 in September 1989 to 2,25,324 in September 1990. The outstanding bank credit of these sick units increased from Rs.2,243.00 crores to Rs.2,610.87 crores during the period. The amount locked up in these units formed 16.4 percent of

the outstanding aggregate advances to the SSI Sector at Rs. 15,944 crores as at the end of September 1990. With a view to finding out the reasons for sickness/failure of small scale industrial units, a study was conducted by the Corporation in the year 1989. A similar study was again conducted during the year and for the purpose of study, 258 high value claims passed by the Claims Committee were studied. A comparison of the findings of the study with those of the earlier one conducted in 1989, showed that the main reasons for failure of the units remain almost the same i.e. Management, Technical, Financial, Marketing, Labour, etc. except that natural calamity and change in Government policy have also resulted in the failure/sickness of some of the units.

## DEPOSIT INSURANCE FUNCTION

7.1 During the year, total number of banks insured with the Corporation under its Deposit Insurance Scheme remained unchanged at 1931 comprising 80 commercial banks, 196 Regional Rural banks and 1655 co-operative banks. A statement of insured banks since 1981 is given in *Annexure-I*. While three co-operative banks were registered (one each in the States of Goa, Maharashtra and Rajasthan), three co-operative banks were de-registered (one each in the States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra) under the Scheme as given in *Annexure-II*.

7.2 The Deposit Insurance Scheme presently covers all commercial banks (including Regional Rural Banks) and co-operative banks in sixteen states and three Union Territories *(Annexure-III)*. The co-operative banks numbering 87 in the remaining nine states and four Union Territories are yet to be brought within the purview of the Scheme. The matter in regard to extending the provisions of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 to the State of Sikkim is under consideration. Similarly, the issue of extension of Deposit Insurance Scheme to the co-operative banks in the States of Assam, Manipur and Bihar is also under consideration. The remaining States have yet to carry out the requisite amendment to their respective State Co-operative Societies Acts.

7.3 The number of accounts and amounts of deposits insured with the Corporation as also the extent of protection aforded to depositors at the end of June 1991 and June 1992 were as follows:

(Amounts in crores of rupees)

| | June 1991 | June 1992 |
|---|---|---|
| 1. Total number of accounts (in lakhs) | 3287 | 3543 |
| 2. Fully protected accounts (in lakhs) | 3169 | 3395 |
| 3. Percentage of 2 to 1 | 96.4 | 95.8 |
| 4. Assessable deposits | 1,86,307 | 2,44,375 |
| 5. Insured deposits | 1,27,925 | 1,64,527 |
| 6. Percentage of 5 to 4 | 68.7 | 67.3 |

(Details are given in *Annexures IV and V*)

The amounts of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 49.16 per cent and 50.84 per cent respectively of the total assessable deposits at the end of June 1992.

7.4 The category-wise break-up of the premia (including interest on overdue premia) collected from insured banks during 1992-93 as compared with the previous year is furnished below:

(Amounts in crores of rupees)

| Category of banks | Premium received | |
|---|---|---|
| | 1991-92 | 1992-93 |
| i) Commercial banks | 82.41 | 95.66 |
| ii) Regional Rural banks | 1.81 | 2.13 |
| iii) Co-operative banks | 9.26 | 8.18 |
| | 93.48 | 105.97 |

7.5 During the year 1992-93, the Corporation settled claims (including 'on account' payment) for an aggregate amount of Rs.38.99 crores as indicated below:

(Rupees in Lakhs)

| Name of the Bank | Amount |
|---|---|
| **Commercial Banks** | |
| Bank of Karad Ltd. (In liquidation) | 3700.00* |
| **Co-operative Banks** | |
| 1. Sardar Nagrik Sahakri Bank Ltd. (in liquidation) | 74.06 |
| 2. Metropolitan Co-op. Bank Ltd. (in liquidation) | 125.00* |
| | 3899.06 |

* Represents 'On Account' payment

Further a provision of Rs.14.93 crores has been made in the accounts towards the following claims liabilities:

(a) Rs.8.43 crores towards balance amount of claim in respect of Bank of Karad Ltd. (in liquidation).

(b) Supplementary claim of Rs.0.01 crore in respect of Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala.

(c) Rs.5.52 crores for the claim submitted by the Liquidator of Navdeep Co-operative Bank Ltd. pending settlement in this regard.

(d) Rs.0.01 crore for claim submitted by the Liquidator of Bhadravathi Co-operative Bank Ltd. which has been kept pending for want of clarification.

(e) Rs.0.33 crore towards balance amount of claim in respect of the depositors of the Metropolitan Co-operative Bank Ltd. which is pending settlement for want of clarifications.

(f) Rs.0.63 crore for claim submitted by Amanath Co-operative Bank Ltd., Belgaum, transferee bank for Belgaum Muslim Co-operative Bank Ltd., which is pending settlement for want of clarifications.

7.6 As on 31 March 1993, the aggregate amount (cumulative) of claims paid in respect of 25 commercial banks (including Rs.37 crores paid during the year) was Rs.172.92 crores. The repayments upto March 1993 aggregated Rs.17.57 crores (including Rs.3.69 crores received during the year). A sum of Rs.0.10 crore was written off in respect of 5 commercial banks till March 1993.

The aggregate amount of claims paid as on 31 March 1993 in respect of 24 co-operative banks (including Rs.1.99 crores paid during the year) was Rs.5.20 crores. The repayments upto March 1993 aggregated Rs.0.82 crore (including Rs.0.06 crore received during the year).

Details of claims paid and provided for and repayments received etc. till 31 March 1993 are given in *Annexure-VI.*

## CREDIT GUARANTEE FUNCTION

### A. Credit Guarantee Schemes for Small Borrowers

8. As decided by the Board last year, the Corporation terminated its following 3 credit guarantee schemes with effect from the close of business on 31 March 1992 on account of nil/negligible participation and persistent default in payment of guarantee fee by participants.

(a) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971
(b) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 and
(c) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982

However, during the year, 24 claims for a sum of Rs.0.10 crore were settled as against 18 claims for Rs.0.08 crore settled in the previous year under the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971. In addition, 229 claims for Rs.1.29 crores were processed under the Scheme but kept pending for want of clarifications.

9. The overall performance of the Corporation's two Credit Guarantee Schemes for small borrowers in operation viz. (1) Small Loans Guarantee Scheme, 1971 and (2) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 is as follows:

(Amounts in crores of rupees)

| Category of borrowers | Guaranteed advances as on 31 March 1992 | Amount of claims received | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Upto March 1992 | During 1992-93 | Upto March 1993 (3+4) | Percentage of 5 to 2 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I) Farmers and Agriculturists | 16,572.80 | 1,085.85 | 329.38 | 1,415.23 | 8.53 |
| II) Other priority sector advances | 7,528.78 | 1,154.88 | 534.66 | 1,689.54 | 22.44 |
| III) Residual category of borrowers under DRI Scheme | 342.00 | 77.41 | 19.25 | 96.66 | 28.26 |
| TOTAL: | 24,443.58 | 2,318.14 | 883.29 | 3,201.43 | 13.10 |

**Small Loans Guarantee Scheme, 1971**

10.1 The Scheme provides guarantee cover for advances granted for agriculture and allied activities, transport, retail trade, small business, etc. by commercial banks including Regional Rural Banks.

10.2 During the year, one commercial bank requested the Corporation to allow it to opt out of the Scheme *(Annexure-VIII)*. Consequently, as on 31 March 1993, the number of participating credit institutions under the Scheme decreased to 248 (comprising 55 commercial banks and 193 Regional Rural Banks) from 249 as on 31 March 1992 *(Annexure VII)*.

10.3 The total advances guaranteed under the Scheme at Rs. 24,429.24 crores as on 31 March 1992 showed decrease of 16.24 per cent over the previous year. This was due to exclusion of certain categories of advances from the purview of credit guarantee schemes of the Corporation. The Scheme continued to cover the bulk of the guaranteed advances to small borrowers forming 99.94 per cent of the total priority sector advances to Non-SSI segment at Rs. 24,443.58 crores. The year-wise and sector-wise break-up of the guaranteed advances is given in *Annexure-IX*. The sector-wise break-up of the guaranteed advances vis-a-vis amount of claims received under the Scheme is given below:

| Category of borrower | Per cent of total | |
|---|---|---|
| | Guaranteed advances | Claims received |
| i) Farmers and agriculturists | 67.84 | 44.21 |
| ii) Other priority sector borrowers | 30.76 | 52.78 |
| iii) DRI advances | 1.40 | 3.01 |
| | 100.00 | 100.00 |

10.4 During the year under report, the Corporation received 36,81,234 claims for Rs. 883.27 crores as against 16,52,074 claims for Rs. 409.96 crores received during previous year registering an increase of 122.82 per cent and 115.45 per cent number-wise and amount-wise respectively. The amount of claims received at Rs. 883.27 crores during the year formed 3.61 per cent of the total guaranteed advances at Rs. 24,429.24 crores under the Scheme. The sector-wise break-up of claims received under all the schemes for small borrowers is given in *Annexure-XI*.

10.5 The Corporation settled 24,92,313 claims for Rs. 565.83 crores as against 15,90,989 claims for Rs. 360.05 crores during the previous year. (The average monthly rate of disposal this year

was 2,07,693 claims as against 1,32,582 claims last year). Besides, 8,86,513 claims for Rs. 395.40 crores had been scrutinised and were awaiting settlement for want of certain clarifications. The number of claims to be processed under the Scheme as on 31 March 1993 was 11,50,902 for Rs. 288.17 crores *(Annexure-X)*.

10.6 The recoveries received during the year under report by virtue of subrogation rights aggregated Rs. 52.97 crores compared to Rs. 38.28 crores received during the previous year. The aggregate amount of recoveries received since inception of the scheme rose to Rs. 242.74 crores forming 10.6 per cent of claims paid at Rs. 2,299.15 crores (cumulative).

10.7 The number of banks submitting claims for amounts not exceeding Rs. 25,000/- each under this Scheme on magnetic tapes for processing on computer has gone up to 78 (including 27 public sector banks) from 30 in the previous year. The number of claims submitted on magnetic tapes has spurted to 26 lakhs during the current year from about 10 lakhs last year. The number of claims lodged on magnetic tapes formed 66.95 per cent of the total number of claims received during the year.

### Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984

11.1 The Scheme covers priority sector advances granted by primary urban co-operative banks for non-agricultural purposes.

11.2 The number of co-operative banks participating in this Scheme decreased from 35 as on 31 March 1992 to 29 as on 31 March 1993 *(Annexures-VII and VIII)*. The guaranteed advances as on 31 March 1992 aggregated Rs. 14.34 crores as against Rs. 13.77 crores as on 31 March 1991.

11.3 The Corporation received 38 claims for Rs. 0.02 crore during the year under report as against 2 claims for Rs. 0.01 crore received during the year ended March 1992. On settlement of 38 claims, an amount of Rs. 0.02 crore was paid during 1992-93. Further, 93 claims for Rs. 0.10 crore were already processed but kept pending for want of clarifications.

## B. CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES

### (a) Government's Credit Guarantee Scheme (since cancelled)

12.1 As mentioned in the last Annual Report, the Corporation finally stopped accepting claims/ representations under this Scheme cancelled with effect from 1 April 1981 and all the pending claims were disposed of by March 1992. However, as an agent of the Government of India, the Corporation's responsibility continues for pursuing with credit institutions in regard to recoveries in claim paid accounts and attending to work relating to proposals received from them for write off, waiver of legal action, compromise, etc. in such accounts.

12.2 The Corporation's proposal to permit it to retain the recoveries received in claim paid accounts under the Scheme during 1991-92 was not accepted by the Government. However, the Government permitted the Corporation to retain the recoveries in claim paid accounts in the same ratio (i.e. 30.5 percent of the total) as for the years 1986 to 1991. Accordingly, out of the total recoveries of Rs. 2.43 crores during the year 1991-92, the Corporation has retained an amount of Rs. 0.74 crore towards the establishment expenditure incurred by it and remitted the balance amount of Rs. 1.69 crores to Government in March 1993. Further, a sum of Rs. 1.42 crores representing the recoveries in claim paid accounts received during the year ended 31 March 1993 has been retained pending receipt of Government instructions regarding the Corporation's share in such recoveries towards administrative expenses for attending to the residual work relating to the Scheme from the year 1992-93 onwards.

### (b) Corporation's Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981

13.1 As on 31 March 1993 there were 344 credit institutions (357 as on 31 March 1992) participating in the above Scheme comprising 54 commercial banks, 149 Regional Rural Banks and 141 co-operative banks *(Annexure-XII)*. During the year, the names of 14 credit institutions were deleted either on account of default in payment of guarantee fee or their decision to opt out of the scheme and one credit institution was reinstated *(Annexure-XIII)*. The guaranteed advances to SSI Sector coming under the priority sector as defined

by Reserve Bank of India amounted to Rs. 19,161.92 crores as on 31 March 1992.

13.2 The Corporation received 1,29,968 claims for Rs. 259.98 crores during the year 1992-93 as against 78,447 claims for Rs. 217.26 crores received during the previous year and disposed of 1,18,147 claims for Rs. 243.21 crores as against 80,510 claims for Rs. 255.67 crores during the year 1991-92 (amount-wise break-up given in *Annexure-XV*). The details of claims received and disposed of year-wise, from 1 April 1981 onwards is given in *Annexure-XIV*. As on 31 March 1993, 23,276 claims for Rs. 54.85 crores were pending.

13.3 The recoveries received under the Scheme during the year under report by virtue of the Corporation's right of subrogation amounted to Rs. 17.52 crores. The recoveries since 1981 aggregated Rs. 59.51 crores as on 31 March 1993 and formed 8.20 per cent of the total amount of claims paid at Rs. 725.66 crores.

13.4 The aggregate amount of claims received till 31 March 1993 under the Scheme at Rs. 1,536.72 crores formed 8.02 per cent of the total guaranteed advances to SSIs under the priority sector at Rs. 19,161.92 crores.

13.5 The settlement of high value claims received under the Scheme continued to be attended to by 'Claims Committee' headed by RBI Nominee Director on the Board of the Corporation. Chief Executives of four public sector banks and an eminent Chartered Accountant are members of the Committee. During the year 1992-93, the Committee met once and settled 37 claims for Rs. 3.49 crores.

### Other Developments

#### Penal interest for delay in payment of insurance premium

14.1 As a deterrent against defaulters, the rate of penal interest payable by insured banks for default in payment of insurance premium has been increased to 8 percent above the Bank Rate (previously Bank Rate) with effect from 1 January 1993 and Regulation 20 of the DICGC General Regulations, 1961 has been suitably amended in this regard.

#### Penal interest for delay in sharing of recoveries in claim paid accounts

14.2 Under the existing instructions, credit institutions participating in the Corporation's Credit Guarantee Schemes are required to share the recoveries made by them in claim paid accounts with the Corporation within one month (for the Scheme for SSIs)/three months (for the Schemes for small borrowers). In case of delay, penal interest on the amount due is charged at Bank Rate for the delayed period. On a review of the position, it has been decided that in order to make the penal rate an effective deterrent against delay/default in remitting the Corporation's share of recoveries beyond a period of one month/three months as the case may be, under its credit guarantee schemes, the concerned credit institutions shall pay penal interest at 8 percent above Bank Rate for the period for which the payment remains outstanding.

## ACCOUNTS

### Balance Sheets and Revenue Accounts

15.1 Revenue Accounts for the year ended March 1993 and Balance Sheets as at 31 March 1993 showing separately the position of Corporation's three funds viz. Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund together with the Auditor's Report thereon are attached.

15.2 Since 1987, the Corporation has adopted the system of valuation of liabilities of the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund on an actuarial basis. Accordingly, the three Funds revealed a net deficit of Rs. 65.44 crores after making all the provisions including the provisions for income-tax, pending claims, etc. as against the net surplus of Rs. 12.13 crores in the previous year. While the Deposit Insurance Fund shows a surplus of Rs. 140.78 crores, there are deficits of Rs. 201.90 crores in Credit Guarantee Fund and Rs. 4.32 crores in General Fund. While the deficit of Rs. 201.90 crores in Credit Guarantee Fund has been set off by transfer of an equivalent amount from Deposit Insurance Fund, the deficit of Rs. 4.32 crores in General Fund has been transferred to its General Reserve.

15.3 A sum of Rs. 273.96 crores was due to the Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund as at the end of last year i.e. 31 March

1992 on account of the surplus/deficits from the year 1987 onwards. The current year's deficit of Rs. 201.90 crores in the Credit Guarantee Fund has been set off by transfer of an equivalent amount from Deposit Insurance Fund, thus increasing the amount due to Deposit Insurance Fund to Rs. 475.86 crores.

### Budgetary Control

15.4 Till the year ended March 1992, budgetary projections and reviews were confined only to the General Fund which accounted for less than 10 percent of the total revenue and expenditure of the Corporation. However, such budgetary control over the Corporation's revenues and expenditure has been extended to all segments of its activities from the year 1992-93.

15.5 In accordance with the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the amounts which are not required for the time being are invested in Central Government Securities including Government of India 91/182/364 Days Treasury Bills. Necessary action has already been initiated for amending Section 25 of the DICGC Act, 1961 to enable the Corporation to invest its surplus funds in other types of approved securities, etc. so as to maximise the yield on investments. Government's approval in principle, in this regard is awaited. Particulars of the investments are furnished in *Annexure-XVII*. The depreciation in the investments of the three funds has been fully provided for.

## GENERAL

### Auditors

16.1 In terms of Section 29(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors appointed, with the prior approval of the Reserve Bank of India, M/s. N. B. Shetty & Co., Chartered Accountants, Bombay as auditors of the Corporation for the fourth consecutive year ended 31 March 1993.

### Promotion of Hindi

16.2 The Corporation continued its efforts for promotion of Hindi in its day to day working. Its circulars and Annual Reports are issued bilingually in Hindi and English. The Official Language Implementation Committee (OLIC) constituted for implementation of various instructions received from Reserve Bank of India/Government of India ensures progressive use of Hindi in the Corporation by reviewing the progress and suggesting ways and means of achieving the objectives in its meetings. The Parliamentary Committee on Official Language visited the Head Office of the Corporation in the month of June 1992. Its suggestions regarding use of Hindi are being implemented. The Corporation deputed its members of staff for various Hindi training programmes conducted by the Reserve Bank of India. Two Senior Officers and two other officers have passed Pragya and Prabodh examinations respectively. As a result of increased use of Hindi, efforts are being made to get additional necessary staff for the Corporation with the approval of the Board. Head Office of the Corporation has been notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976.

### Training & Deputations

16.3 A group of 20 participants from commercial banks and financial institutions in the developing countries attending the International Programme on "Small Industry Financing" conducted by the National Institute of Small Industry Extension Training (NISIET), Hyderabad visited the Corporation to study its working and functions. The Corporation also deputed its officers to various training institutions of commercial banks and Reserve Bank of India to take up sessions on the schemes of the Corporation and settlement of claims thereunder. During the year under report, 27 officers, 15 clerical staff and 9 subordinate staff were deputed for various training programmes conducted by Reserve Bank of India at its various training centres.

### Financial audit by Reserve Bank of India

16.4 The Central Audit Cell of Reserve Bank's Inspection Department carried out four financial audits of the Corporation during the year covering the period from 1 January 1990 to 30 September 1992. While the financial irregularities pointed out/suggestions made in the audit reports have been complied with/rectified by the Corporation, some of the procedural irregularities pointed out in the reports are also being attended to.

### Management

17. Shri D.R. Mehta, Deputy Governor, Reserve Bank of India has been nominated by Reserve Bank of India as Chairman of the Corporation vice Shri R. Janakiraman with effect from 3 December 1992.

Shri R.L. Wadhwa, Chairman and Managing Director, Allahabad Bank resigned from the bank and consequently ceased to be a director on the Board of the Corporation with effect from 25 June 1992. The Government of India have nominated Ms. Mona Sharma, Joint Director, Department of Economic Affairs, (Banking Division), Ministry of Finance as Government Nominee Director in place of Shri T.S. Laschar with effect from 8 April 1993. During the year, the following directors were also nominated on the Board of Corporation, for a period of 3 years.

| Name | Date of Nomination |
|---|---|
| **Nominated under Section 6(1)(d) of the DICGC Act, 1961** | |
| (i) Shri U. Mahesh Rao *Managing Director* General Insurance Corporation of India | 28 August 1992 |
| (ii) Shri N. P. Sarda *Chartered Accountant* | 9 Sept. 1992 |
| (iii) Dr. P. W. Rege *Ex-Chairman* of Saraswat Co-operative Bank Ltd. | 9 Sept. 1992 |
| (iv) Shri S. H. Khan *Managing Director* Industrial Development Bank of India | 28 August 1992 |
| **Nominated under Section 6(1)(e) of the DICGC Act, 1961** | |
| Prof. Gangadhar Gadgil *Economist* | 9 Sept. 1992 |

During the year, 4 meetings of the Board of Directors of the Corporation were held.

Shri S. K. Kapur has taken charge as General Manager of the Corporation with effect from 29 July 1992 consequent on the retirement of Dr. K. K. Mukherjee.

18. The Board records its appreciation of the efforts put in by the General Manager and staff of the Corporation for maintaining its operational efficiency.

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Bomay-400 039

Dated: 18 June 1993

For and on behalf of the Board of Directors

(D. R. Mehta)
*Chairman*

## ANNEXURE - I

## STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME SINCE 1962

| Year | No of registered banks at the commencement of the year | No. of banks registered during the year/period | Number of banks deregistered where Corporation's liability | | | Total No. of registered banks at the end of the year/period (2+3-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | was attracted | was not attracted | Total (4+5) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1962 | 287 | — | 2 | 9 | 11 | 276 |
| 1963 to 1980 | 276 | 1,541 | 21 | 214 | 235 | 1,582 |
| 1981 | 1582 | 69 | 1 | 3 | 4 | 1,647 |
| 1982 | 1647 | 44 | 1 | 7 | 8 | 1,683 |
| 1983 | 1683 | 55 | — | 2 | 2 | 1,736 |
| 1984 | 1736 | 71 | 1 | 1 | 2 | 1,805 |
| 1985 | 1805 | 41 | 5 | 4 | 9 | 1,837 |
| 1986 | 1837 | 27 | 2 | 3 | 5 | 1,859 |
| 1987 | 1859 | 42 | 3 | — | 3 | 1,898 |
| 1988-89 | 1898 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1,903 |
| 1989-90 | 1903 | 19 | 1 | — | 1 | 1,921 |
| 1990-91 | 1921 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1,922 |
| 1991-92 | 1922 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1,931 |
| 1992-93 | 1931 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,931 |

### Break-up of insured banks at the end of 1991-92 and 1992-93

| Year | No. of insured banks | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Commercial Banks | Regional Rural Banks | Co-operative Banks | Total |
| 1991-92 | 80 | 196 | 1655 | 1931 |
| 1992-93 | 80 | 196 | 1655 | 1931 |

ANNEXURE - II

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE BANKS REGISTERED AND DEREGISTERED AS INSURED BANKS DURING THE YEAR ENDED 31 MARCH 1993

(A) Names of banks registered

Co-operative Banks

**GOA**

Bicholim Urban Co-operative Bank Ltd.,
Bicholim.

**MAHARASHTRA**

Suvarna Mangal Mahila Sahakari Bank Ltd.,
Dombivli (East), Thane.

**RAJASTHAN**

Beawar Urban Co-operative Bank Ltd.,
Ajmer.

(B) Names of banks deregistered

Co-operative Banks

**ANDHRA PRADESH**

Khammam Co-operative Urban Bank Ltd.,
Khammam.

**KARNATAKA**

Belgaum Muslim Co-operative Bank Ltd.,
Belgaum.

**MAHARASHTRA**

Metropolitan Co-operative Bank Ltd.,
Bombay.

ANNEXURE - III

SUMMARY OF INSURED BANKS
(As on 31 March 1993)

| | | |
|---|---|---|
| i) | Commercial Banks | 80 |
| ii) | Regional Rural Banks | 196 |
| iii) | Co-operative Banks | 1655 |
| | (Break-up as under) | |
| | | 1931 |

| States | Apex | Central | Primary | Total |
|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 1 | 22 | 60 | 83 |
| Goa | 1 | — | 6 | 7 |
| Gujarat | 1 | 21 | 289 | 311 |
| Haryana | 1 | 13 | 8 | 22 |
| Himachal Pradesh | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Jammu & Kashmir | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Karnataka | 1 | 22 | 203 | 226 |
| Kerala | 1 | 14 | 56 | 71 |
| Madhya Pradesh | 1 | 45 | 41 | 87 |
| Maharashtra | 1 | 31 | 379 | 411 |
| Orissa | 1 | 17 | 14 | 32 |
| Rajasthan | 1 | 27 | 23 | 51 |
| Tamil Nadu | 1 | 19 | 133 | 153 |
| Tripura | 1 | — | 1 | 2 |
| Uttar Pradesh | 1 | 56 | 45 | 102 |
| West Bengal | 1 | 17 | 48 | 66 |
| **Union Territories** | | | | |
| Delhi | 1 | — | 14 | 15 |
| Diu and Daman | — | — | — | — |
| Pondicherry | 1 | — | 1 | 2 |
| TOTAL: | 18 | 309 | 1328 | 1655 |

ANNEXURE - IV

## STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS

(Commercial Banks, Regional Rural Banks and Co-operative Banks)

(As on the last Friday of December 1961 and the last working day of June 1981 to June 1992)

| Year | No. of fully protected accounts@ (in lakhs) | Total No. accounts (in lakhs) | Per-centage of (2) to (3) | Insured deposits @ (Rs. in crores) | Total assess-able deposits (Rs. in crores) | Per-centage of (5) to (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1961 | 55.42 | 70.58 | 78.5 | 392.32 | 1,693.74 | 23.1 |
| 1981 | 1,364.62 | 1,377.07 | 99.1 | 25,859.20 | 35,004.43 | 73.9 |
| 1982 | 1,580.98 | 1,598.24 | 98.9 | 31,773.92 | 42,360.41 | 75.0 |
| 1983 | 1,784.97 | 1,815.82 | 98.3 | 37,746.39 | 50,796.54 | 74.3 |
| 1984 | 2,000.19 | 2,025.94 | 98.7 | 46,339.53 | 61,880.23 | 74.8 |
| 1985 | 2,145.16 | 2,238.37 | 95.8 | 56,211.15 | 76,517.22 | 73.5 |
| 1986 | 2,320.05 | 2,359.60 | 98.0 | 62,878.13 | 86,213.96 | 72.9 |
| 1987 | 2,518.01 | 2,568.51 | 98.0 | 75,511.19 | 1,03,044.16 | 73.3 |
| 1988-89 | 2,704.87 | 2,780.88 | 97.3 | 90,191.69 | 1,26,864.19 | 71.1 |
| 1989-90 | 3,059.11 | 3,141.68 | 97.4 | 1,01,681.96 | 1,40,745.95 | 72.2 |
| 1990-91 | 2,982.52 | 3,089.12 | 96.5 | 1,09,315.52 | 1,56,891.90 | 69.7 |
| 1991-92 | 3,169.18 | 3,287.00 | 96.4 | 1,27,924.91 | 1,86,307.39 | 68.7 |
| 1992-93 | 3,395.03 | 3,543.02 | 95.8 | 1,64,526.57 | 2,44,375.38 | 67.3 |

@ i.e. Number of accounts with balance not exceeding Rs. 1,500 till the end of 1967 and Rs. 30,000 from 1981 onwards.

## ANNEXURE - V

## STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS (CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS 1990-91, 1991-92 AND 1992-93

| Year | Category of banks | Total number of insured banks | Number of reporting banks | Insured deposits (Rs. in Crores) | Total assessable deposits (Rs. in crores) | Percentage of 5 to 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1990-91 | Commercial Banks | 79 | 55 | 94,810.07 | 1,34,939.24 | 70.26 |
| | Regional Rural Banks | 196 | 133 | 2,033.10 | 2,323.56 | 87.49 |
| | Co-operative Banks | 1,647 | 1,122 | 12,472.35 | 19,629.10 | 63.54 |
| | Total | 1,922 | 1,310 | 1,09,315.52 | 1,56,891.90 | 69.68 |
| 1991-92 | Commercial Banks | 80 | 59 | 1,13,252.05 | 1,65,220.12 | 68.55 |
| | Regional Rural Banks | 196 | 120 | 2,358.59 | 2,631.40 | 89.63 |
| | Co-operative Banks | 1,655 | 1,124 | 12,314.27 | 18,455.87 | 66.72 |
| | Total | 1,931 | 1,303 | 1,27,924.91 | 1,86,307.39 | 68.66 |
| 1992-93 | Commercial Banks | 80 | 59 | 1,41,356.73 | 2,12,759.40 | 66.44 |
| | Regional Rural Banks | 196 | 116 | 2,995.59 | 3,430.41 | 87.32 |
| | Co-operative Banks | 1,655 | 1,065 | 20,174.25 | 28,185.57 | 71.58 |
| | Total | 1,931 | 1,240 | 1,64,526.57 | 2,44,375.38 | 67.33 |

ANNEXURE - VI

## DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR AND REIMBURSEMENT RECEIVED AS ON 31 MARCH 1993

(Amount in lakhs of Rs.)

| Sr. No. | Name of the bank (indicating in bracket the year in which the claims were met) | Total insured deposits paid and provided for | Repayments received by the Corporation | Balance (3) - (4) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| **I.** | **COMMERCIAL BANKS** | | | |
| | i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full | | | |
| $ 1. | Bank of China, Calcutta (1963) | 9.25 | 9.25 | — |
| * 2. | Shree Jadeya Shanker Ling Bank Ltd., Bijapur (1965) | 0.12 | 0.12 | — |
| * 3. | Bank of Behar Ltd., Patna (1970) | 46.32 | 46.32 | — |
| | Total 'A' | **55.69** | **55.69** | — |
| | ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been paid in part and balance due has been written off | | | |
| * 4. | Unity Bank Ltd., Madras (1963) | 2.53 | 1.37 | @@ |
| * 5. | Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1946) | 1.08 | 0.31 | @@ |
| * 6. | Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969) | 0.18 | 0.14 | @@ |
| * 7. | Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964) | 8.80 | 4.41 | @@ |
| * 8. | Southern Bank Ltd., Calcutta (1964) | 7.34 | 3.73 | @@ |
| | Total 'B' | **19.93** | **9.96** | @@ |
| | iii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full | | | |
| * 9. | Bank of Alagapuri Ltd., Alagapuri (1963) | 0.28 | 0.18 | 0.10 |
| * 10. | Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964) | 7.10 | 4.15 | 2.95 |
| * 11. | Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964) | 2.08 | 1.14 | 0.94 |
| * 12. | National Bank of Pakistan, Calcutta (1966) | 0.99<br>(0.85) | 0.88 | 0.11<br>(0.85) |
| * 13. | Habib Bank Ltd., Bombay (1966) | 17.26<br>(1.18) | 16.78 | 0.48<br>(1.18) |
| * 14. | National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970) | 9.69 | — | 9.69 |

ANNEXURE - VI (Contd.)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| * 15. | Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986) | 1,162.78 | 417.68 | 745.10 |
| * 16. | Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987) | 146.59 | 30.37 | 116.22 |
| * 17. | Lakshmi Commercial Bank Ltd., Delhi (1987) | 3,340.62 | 630.81 | 2,709.81 |
| * 18. | Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988) | 2,191.67 | 176.56 | 2,015.11 |
| * 19. | United Industrial Bank Ltd., (1990) | 3,501.58 | 38.56 | 3,463.02 |
| * 20. | Traders Bank Ltd., (1990) | 306.34 | 106.99 | 199.35 |
| * 21. | Bank of Thanjavur Ltd. (1990) | 1,078.36 | 135.29 | 943.07 |
| * 22. | Bank of Tamilnad Ltd., (1990) | 764.50 | 61.64 | 702.86 |
| * 23. | Parur Central Bank Ltd. (1990) | 260.92 | 56.73 | 204.19 |
| * 24. | Purbanchal Bank Ltd. (1991) | 725.77 | 13.75 | 712.02 |
| @ 25. | Bank of Karad Ltd. (1992) | 3,700.00 | — | 3,700.00 |
| | Total 'C' | **17,216.53** | **1,691.51** | **15,525.02** |
| | Total 'A'+'B'+'C' | **17,292.15** | **1,757.16** | **15,525.02** |
| **II.** | **CO-OPERATIVE BANKS** | | | |
| | i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full | | | |
| $$ 26. | Malvan Co-op. Urban Bank Ltd., Malvan (1977) | 1.86 | 1.84 | ++ |
| % 27. | Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Bombay (1978) | 10.72 | 10.72 | +++ |
| | Total 'D' | **12.58** | **12.56** | — |
| | ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full | | | |
| @ 28. | Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Bombay (1976) | 5.73 | — | 5.73 |
| @ 29. | Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1977) | 2.76 | — | 2.76 |
| @ 30. | Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd. Bombay (1978) | 0.60 | — | 0.60 |
| * 31. | Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri (1978) | 46.43 | 11.94 | 34.49 |
| * 32. | Vishwakarma Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979) | 11.57 | 5.60 | 5.97 |
| * 33. | Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1979) | 7.02 | 3.06 | 3.96 |
| * 34. | Kalavihar Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979) | 13.17 | 3.31 | 9.86 |
| @ 35. | Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981) | 2.30 | — | 2.30 |
| * 36. | Vysya Co-op. Bank Ltd., Bangalore (1982) | 91.31 | 12.95 | 78.36 |
| @ 37. | Dadhich Sahakari Bank Ltd., Bombay (1984) | 18.51 | 15.87 | 2.64 |

ANNEXURE - VI (Contd.)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| @ 38. | Kollur Parvathi Co-op. Bank Ltd., Kollur (1985) | 13.96 | — | 13.96 |
| @ 39. | Adarsh Co-op. Bank Ltd., Mysore (1985) | 2.74 | 0.65 | 2.09 |
| * 40. | Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd. (1986) | 4.85 | 3.53 | 1.32 |
| @ 41. | Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Gadag (1986) | 22.85 | 7.66 | 15.19 |
| @ 42. | Manihal Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Manihal (1987) | 9.61 | 2.28 | 7.33 |
| @ 43. | Hind Urban Co-op. Bank Ltd., Lucknow (1988) | 10.95 | — | 10.95 |
| @ 44. | Yellamanchili Co-op. Bank Ltd., Yellamanchili (1990) | 4.36 | — | 4.36 |
| @ 45. | Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd., Gurzala (1991) | 3.89 | — | 3.89 |
| @ 46. | Kundara Co-op. Urban Bank Ltd., (1991) | 17.37 | 2.59 | 14.78 |
| @ 47. | Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-op. Bank Ltd. (1991) | 17.44 | — | 17.44 |
| @ 48. | Sardar Nagrik Sahakari Bank Ltd., (1991) | 74.06 | — | 74.06 |
| @ 49. | Metropolitan Co-op. Bank Ltd. (1992) | 125.00 | — | 125.00 |
| | Total 'E' | **506.48** | **69.44** | **437.04** |
| | Total 'D' + 'E' | **519.06** | **82.00** | **437.04** |
| | Total A + 'B' + 'C' + 'D' + 'E' | **17,811.21** | **1,839.16** | **15,962.06** |

$ Licence to carry on banking business cancelled by the Reserve Bank of India

@@ Balance aggregating Rs. 9.97 lakhs have been written off. These include a sum of Rs. 0.10 lakh not paid but only provided for.

* Scheme of amalgamation

@ Banks taken into liquidation

+ Scheme of arrangement

++ Provision of Rs. 0.02 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

+++ Provision of Rs. 2.07 lakhs made in respect of untraceable depositors written back.

$$ The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd. in 1984

% The bank was voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd. in 1987.

Notes: (a) The figures of claims given above are after effecting adjustments.
(b) Figures given within brackets denote prohibited liabilities in respect of Pakistani Nationals.
(c) Amount under column 3 includes 'On A/c' payments made to Bank of Karad Ltd. (Rs. 37 crores) & Metropolitan Co-operative Bank Ltd. (Rs. 1.25 crores) both in liquidation.

## ANNEXURE - VII

## CATEGORY WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE COPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL BOROOWERS AS ON 31 MARCH 1993

| | Name of the Guarantee Scheme | Total number of participants as on 31 March 1992 | | | | | Credit institutions joined (+)/withdrawn (–)/ceased (–) during the period April 1992- March 1993 | | | | | Total number of participants as on 31 March 1993 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Comml. Banks | RRBs | Co-op. Banks | SFCs | Total | Comml. Banks | RRBs | Co-op. Banks | SFCs | Total | Comml. Banks | RRBs | Co-op. Banks | SFCs | Total |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 1. | Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | 56 | 193 | — | — | 249 | (-)1 | — | — | — | (-)1@ | 55 | 193 | — | — | 248 |
| 2. | Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 | — | — | 35 | — | 35 | — | — | (-)6 | — | (-)6 @ | — | — | 29 | — | 29 |

@ Names furnished in Annexure - VIII.

Note: The Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971, Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 and Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 have been terminated with effect from the close of business on 31 March 1992.

ANNEXURE - VIII

NAMES OF CREDIT INSTITUTIONS WITHDRAWN/DELETED FROM THE LIST OF PARTICIPATING CREDIT INSTITUTIONS DURING THE YEAR 1992-93

| Sr. No. | Name of the Institution |
|---|---|
| | **Small Loans Guarantee Scheme, 1971** |
| 1. | Tamilnad Mercantile Bank Ltd., Tuticorin (Tamil Nadu) |
| | **Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984** |
| 1. | Textile Traders Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, (Gujarat) |
| 2. | Punjab & Maharashtra Co-op. Bank Ltd., Bombay, (Maharashtra) |
| 3. | Udyam Vikas Sahakari Bank Ltd., Pune, (Maharashtra) |
| 4. | Sarvodaya Commercial Co-op. Bank Ltd., Mehsana, (Gujarat) |
| 5. | Navodaya Sahakari Bank Ltd., Malleswaram, Bangalore, (Karnataka) |
| 6. | Tirur Urban Co-op. Bank Ltd., Malappuram, (Kerala) |

## ANNEXURE - IX

## SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES

(Amount in crores of rupees)

| Scheme/Category of borrowers | As at the end of June | | | | | | | | As at the end of March | | | | | % to the total in column 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1972 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.£ | 12.£ | 13.£ | 14.£ | 15. |
| **SMALL BORROWERS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(A) SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| I. **Small Loans Guarantee Scheme, 1971** | 205.71 | 3546.24 | 4819.77 | 5736.44 | 7045.38 | 8842.29 | 10345.10 | 10998.22 | 14145.67 | 25562.66 | 27676.73 | 29166.66 | 24429.24 | 99.94 |
| i) Farmers & Agriculturists | 134.67 | 2267.52 | 3041.59 | 3594.84 | 4181.98 | 5057.75 | 6020.34 | 6428.29 | 8504.48 | 10542.04 | 18565.55 | 19788.04 | 16572.80 | (67.84) |
| ii) Transport Operators | 28.29 | 477.56 | 731.31 | 937.68 | 1239.58 | 1510.21 | 1606.00 | 1664.73 | 1665.58 | | | | | |
| iii) Retail Traders | 28.34 | 398.86 | 511.83 | 574.80 | 709.84 | 972.45 | 1191.85 | 1257.99 | 1795.38 | | | | | |
| iv) Professional & Self-employed persons | 9.14 | 165.66 | 199.12 | 240.76 | 326.94 | 484.88 | 656.56 | 700.15 | 964.99 | 14519.56$ | 8727.03$ | 8973.00$ | 7514.44$ | (30.76) |
| v) Business Enterprises | 5.27 | 150.08 | 209.70 | 239.62 | 322.51 | 473.42 | 609.51 | 694.64 | 923.18 | | | | | |
| vi) Residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme | — | 86.56 | 126.22 | 148.74 | 264.53 | 343.58 | 260.84 | 252.42 | 292.06 | 501.06 | 384.15 | 405.62 | 342.00 | (1.40) |
| II. **Small Loans (Financial Corpns.) Guarantee Scheme, 1971** | 2.56 | 10.89 | 18.58 | 35.64 | 52.68 | 69.24 | 85.19 | 92.28 | 108.68 | 2.70 | 4.17 | — | —* | |
| III. **Service Co-op. Societies Guarantee Scheme, 1971** | 0.12 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 0.50 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.84 | 0.20 | 0.44 | 0.39 | —* | |
| IV. **Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984** | — | — | — | — | 5.69# | 10.76 | 14.96 | 25.00 | 35.19 | 20.70 | 10.98 | 13.77 | 14.34 | 0.06 |
| i) Transport Operators | — | — | — | — | 1.84 | 3.63 | 5.49 | 8.54 | 13.31 | | | | | |
| ii) Retail Traders | — | — | — | — | 2.64 | 4.51 | 5.53 | 7.67 | 8.51 | | | | | |
| iii) Professional & Self-employed persons | — | — | — | — | 1.05 | 1.55 | 1.87 | 4.08 | 6.74 | 20.70$ | 10.98$ | 13.77$ | 14.34$ | |
| iv) Business Enterprises | — | — | — | — | 0.16 | 1.07 | 2.07 | 4.71 | 6.63 | | | | | |
| TOTAL OF I, II, III & IV | 208.39 | 3558.45 | 4839.88 | 5773.83 | 7104.25 | 8923.01 | 10445.97 | 11116.22 | 14291.38 | 25586.26 | 27692.32 | 29180.82 | 24443.58 | 100.00 |

## ANNEXURE - IX (Contd.)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.£ | 12.£ | 13.£ | 14.£ | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SSI BORROWERS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(B) SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **V. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981** | | | | | | | | | | | | | | |
| All SSI Units including cottage industries etc. | — | 3716.43@ | 3822.13 | 4153.73 | 4890.86 | 5843.69 | 7497.46 | 7738.03 | 10464.66 | 14094.00 | 16826.21 | 17362.36 | 19161.92 | |
| Grand Total (A+B) | 208.39 | 7274.88 | 8662.01 | 9927.56 | 11995.11 | 14766.70 | 17943.43 | 18854.25 | 24756.04 | 39680.26 | 44518.53+ | 46543.18+ | 43605.50 | |

@ As on 31 March 1981

* As on 31 December 1984

£ Due to non-receipt of statements from several participating credit institutions the figures furnished in these columns have been estimated on the basis of (i) actual receipt of remittances towards guarantee fee during the year (ii) priority sector advances port-folio of Public Sector Banks, as reported to Reserve Bank of India.

$ The sector-wise break-up of guaranteed advances is not available.

+ Consequent on allowing credit institutions to exclude certain categories of advances from priority sector advances for the year 1990-91 and 1991-92, the revised figures of guaranteed advances as at 31 March 1990 and 1991 would be provisionally Rs. 35851.33 and Rs. 37410.16 crores respectively.

≠ Terminated w.e.f. 1 April 1992.

## ANNEXURE - X

## STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of rupees)

| Period | Claims received | | Claims disposed of | | Of the claims disposed of (Vide columns 4 & 5) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Claims paid | | Claims withdrawn | | Claims rejected | |
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 |
| Upto end of 1977 | 21,638 | 6.70 | 12,410 | 3.30 | 11,606 | 2.94 | 423 | 0.13 | 381 | 0.23 |
| During 1978 | 29,925 | 8.76 | 14,623 | 3.34 | 13,825 | 3.03 | 407 | 0.07 | 391 | 0.24 |
| During 1979 | 39,535 | 11.30 | 25,739 | 6.95 | 23,930 | 5.69 | 1,054 | 0.41 | 755 | 0.85 |
| During 1980 | 83,557 | 14.90 | 47,481 | 7.20 | 45,303 | 6 50 | 214 | 0.08 | 1964 | 0.62 |
| During 1981 | 1,00,669 | 16.25 | 74,030 | 11.14 | 72,216 | 9.08 | 582 | 0.28 | 1232 | 1.77 |
| During 1982 | 1,50,926 | 24 71 | 1,05,513 | 14.50 | 1,02,141 | 12.49 | 1369 | 0.59 | 2003 | 1.43 |
| During 1983 | 1,47,474 | 27.84 | 1,27,714 | 19.64 | 1,23,202 | 17.94 | 1,643 | 0.52 | 2,869 | 1.18 |
| During 1984 | 2,54,692 | 61.71 | 2,36,625 | 32.09 | 2,28,419 | 30.99 | 741 | 0.22 | 7,465 | 0.88 |
| During 1985 | 4,53,722 | 114.91 | 4,66,611 | 114.45 | 3,36,663 | 71.80 | 1,19,770 | 41.97 | 10,178 | 0.68 |
| During 1986 | 6,30,365 | 140 94 | 6,44,090 | 176.39 | 4,84,852 | 86.86 | 1,47,419 | 87.18 | 11,819 | 2.35 |
| During 1987 | 10,71,221 | 255.27 | 7,67,080 | 148.41 | 7,42,061 | 141.92 | 25 | 0.07 | 24,994 | 6.42 |
| During 1988-89 (15 months) | 15,28,391 | 364.08 | 12,90,945 | 280.61 | 12,60,266 | 272.29 | 515 | 0.11 | 30,164 | 8.21 |
| During 1989-90 | 15,03,349 | 355.75 | 15,98,791 | 346.58 | 15,72,389 | 338.58 | 1,209 | 0.30 | 25,193 | 7.70 |
| During 1990-91 | 20,87,562 | 505.05 | 19,00,904 | 427.17 | 18,62,697 | 415.35 | 4202 | 1.42 | 34,005 | 10.40 |
| During 1991-92 | 16,52,076 | 409.97 | 15,91,028 | 360.14 | 15,39,574 | 345.06 | 4,421 | 1.58 | 47,033 | 13.50 |
| **Total 'A'** | **97,52,102** | **2318.14** | **89,03,584** | **1951.91** | **84,19,144** | **1760.52** | **2,83,994** | **134.93** | **2,00,446** | **56.46** |
| During 1992-93 | | | | | | | | | | |
| 1. S. L G. Scheme, 1971 | 36,81,234@ | 883.27@ | 24,92,313 | 565.83 | 24,08,024 | 538.51 | 62 | 0.06 | 84,227 | 27 26 |
| 2. S. L (F.C.) G. Scheme 1971 | — | — | 24 | 0.10 | 24 | 0.10 | — | — | — | — |
| 3. S. L (Co-op. Bks) G. Scheme, 1984 | 38 | 0.02 | 38 | 0.02 | 38 | 0.02 | — | — | | |
| **Total 'B' (1+2+3)** | **36,81,272** | **883.29** | **24,92,375** | **565.95** | **24,08,086** | **538.63** | **62** | **0.06** | **84,227** | **27.26** |
| **Grand Total (A+B)** | **1,34,33,374** | **3201.43** | **1,13,95,959** | **2517.86** | **10827230** | **2299.15** | **2,84,056** | **134.99** | **2,84,673** | **83.72** |

@ Includes Provisional figures from April 1992 to March 1993.

| | Break-up Pending Claims | |
|---|---|---|
| | No. | Amount (Rs. in crores) |
| 1. To be processed | 11,50,902 | 288.17 |
| 2. Processed and to be settled for want of clarification | 8,86,513 | 395.40 |
| Total | 20,37,415 | 683.57 |

## ANNEXURE - XI

## SECTOR-WISE BREAK UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of rupees)

| Sr. No. | Category of Borrowers | Total claims received upto 31 March 1992 | | Claims received during 1992-93@ | | % to total amount in column (6) | Total upto 31 March 1993@ | | % to total amount in column (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Number | Amount | Number | Amount | | Number (3+5) | Amount (4+6) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Farmers and Agriculturists | 47,79,155 | 1085.85 | 15,62,700 | 329.38 | 37.29 | 63,41,855 | 1,415.23 | 44.21 |
| 2. | Transport Operators | 3,87,638 | 276.27 | 1,34,366 | 74.55 | 8.44 | 5,22,004 | 350.82 | 10.96 |
| 3. | Retail Traders | 21,15,762 | 555.46 | 11,48,925 | 305.27 | 34.56 | 32,64,687 | 860.73 | 26.89 |
| 4. | Professional & Self Employed Persons | 9,00,899 | 188.11 | 3,17,694 | 79.32 | 8.98 | 12,18,593 | 267.43 | 8.35 |
| 5. | Business Enterprises | 6,20,149 | 135.04 | 3,14,013 | 75.52 | 8.55 | 9,34,162 | 210.56 | 6.58 |
| 6. | Residual category of borrowers under DRI Scheme | 9,29,922 | 74.50 | 1,85,904 | 16.25 | 1.84 | 11,15,826 | 90.75 | 2.83 |
| 7. | Credit facilities for consumption and for purchase or construction of houses or tenaments | 18,577 | 2.91 | 17,670 | 3.00 | 0.34 | 36,247 | 5.91 | 0.18 |
| | **Total** | **97,52,102** | **2318.14** | **36,81,272** | **883.29** | **100.00** | **1,34,33,374** | **3,201.43** | **100.00** |

@ Includes provisional figures from April 1992 to March 1993.

## ANNEXURE - XII

## CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981 AS ON 31 MARCH 1993

| | Category of credit institution | Credit institutions participating as on 31 March 1992 | Credit institutions joined (+), withdrawn or deleted (–) during the year 1992-93(£) | Credit institutions participating as on 31 March 1993 |
|---|---|---|---|---|
| | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | State Bank of India and its subsidiaries | 8 | — | 8 |
| 2. | Nationalised Banks | 20 | — | 20 |
| 3. | Other Scheduled Commercial Banks | 28 | (–)2 | 26 |
| 4. | Non-Scheduled Commercial Banks | — | — | — |
| 5. | Regional Rural Banks | 151 | (–)2 | 149 |
| 6. | State Financial Corporation | — | — | — |
| 7. | Other State Development Agencies | 1 | (–)1 | — |
| 8. | Co-operative Banks | 149 | (–)9<br>(+)1@ | 141* |
| | **Total** | **357** | **(–)14**<br>**(+)1** | **344** |

@ Reinstated vide letter dated 9 March 1993.

£ See Annexure XIII for details.

* State Co-operative banks — 4
Central Co-operative Banks — 78
Primary Urban Co-operative Banks — 59
Total 141

ANNEXURE - XIII

SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

A NAMES OF CREDIT INSTITUTIONS DELETED ON ACCOUNT OF NON PAYMENT OF GUARANTEE FEE DURING THE YEAR 1992-93

I. Scheduled Commercial Banks

Punjab Co-operative Bank Ltd., Amritsar, Punjab

II. Regional Rural Banks

1. Langpi Dehangi Rural Bank, Diphu, Assam
2. Mandla Balaghat Kshetriya Gramin Bank, Mandla, Madhya Pradesh

III. Co-operative Banks

1. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Panna, Madhya Pradesh
2. Kachchh District Central Co-op. Bank Ltd., Bhuj, Gujarat
3. Kasargod Co-op. Town Bank Ltd., Kasargod, Cannanore, Kerala
4. Navsari People's Co-op. Bank Ltd., Navsari, Gujarat
5. Palani Co-op. Urban Bank Ltd., Palani, Tamilnadu
6. Tirupattur Town Co-op. Bank Ltd., Tirupattur, Tamilnadu
7. Ujjain Paraspar Sahakari Bank Ltd., Ujjain, Madhya Pradesh

B NAMES OF CREDIT INSTITUTIONS OPTED OUT OF THE SCHEME DURING THE YEAR 1992-93

I. State Development Agencies

Arunachal Pradesh Industrial Development and Financial Corporation Ltd., New Itanagar, Arunachal Pradesh

II. Scheduled Commercial Banks

Tamilnad Mercantile Bank Ltd.

III. Co-operative Banks

1. Bhilai Nagarik Sahakari Bank Ltd., Bhilainagar, Madhya Pradesh.
2. Vijay Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat

C NAME OF THE CREDIT INSTITUTION REINSTATED

Co-operative Banks

Jalgaon District Central Co-op. Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra

## ANNEXURE - XIV

## STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of rupees)

| Period | Claims received | | Claims disposed of | | Of the claims disposed of | | | | | | Claims pending as at the end of March 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Claims paid | | Claims withdrawn | | Claims rejected | | | |
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13 |
| 1 April 1981 to 31 December 1981 | 1,308 | 1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,308 | 1.74 |
| 1 January 1982 to 31 December 1982 | 4,013 | 9.40 | 3,105 | 2.13 | 1,542 | 0.37 | 1,537 | 1.72 | 26 | 0.04 | 2,216 | 9.01 |
| 1 January 1983 to 31 December 1983 | 9,325 | 32.58 | 7,328 | 12.93 | 5,184 | 3.43 | 2,066 | 9.00 | 78 | 0.50 | 4,213 | 28.66 |
| 1 January 1984 to 31 December 1984 | 18,300 | 53.98 | 9,522 | 13.73 | 7,855 | 9.91 | 1610 | 2.92 | 57 | 0.90 | 12,991 | 68.91 |
| 1 January 1985 to 31 December 1985 | 22,048 | 71.99 | 22,791 | 25.08 | 18,264 | 12.06 | 4,116 | 11.61 | 411 | 1.41 | 12,248 | 115.82 |
| 1 January 1986 to 31 December 1986 | 33,723 | 104.92 | 30,299 | 67.07 | 19,695 | 24.10 | 10,261 | 40.30 | 343 | 2.67 | 15,672 | 153.67 |
| 1 January 1987 to 31 December 1987 | 44,711 | 131.68 | 40,206 | 88.16 | 38,099 | 69.09 | 1580 | 8.26 | 527 | 10.81 | 20,177 | 197.19 |
| 1 January 1988 to 31 March 1989 | 93,716 | 216.90 | 81,351 | 156.56 | 67,002 | 92.78 | 13,542 | 48.54 | 807 | 15.24 | 32,542 | 257.53 |
| 1 April 1989 to 31 March 1990 | 74,894 | 192.58 | 1,01,579 | 368.08 | 82,046 | 169.96 | 16,971 | 126.85 | 2,562 | 71.27 | 5,857 | 82.03 |
| 1 April 1990 to 31 March 1991 | 83,809 | 243.71 | 76,148 | 249.25 | 65,694 | 131.81 | 8,968 | 71.53 | 1,486 | 45.91 | 13,518 | 76.49 |
| 1 April 1991 to 31 March 1992 | 78,447 | 217.26 | 80,510 | 255.67 | 66,728 | 117.23 | 12,825 | 106.83 | 957 | 31.61 | 11,455 | 38.08 |
| 1 April 1992 to 31 March 1993 | 1,29,968 | 259.98 | 1,18,147 | 243.21 | 100751 | 94.92 | 16,261 | 110.35 | 1,135 | 37.94 | 23,276 | 54.85 |
| **Total** | **5,94,262** | **1,536.72** | **5,70,986** | **1,481.87** | **4,72,860** | **725.66** | **89,737** | **537.91** | **8,389** | **218.30** | | |

## ANNEXURE - XV

## STATEMENT SHOWING AMOUNT-WISE RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS DURING THE YEAR 1992-93 UNDER CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of rupees)

| | Claims for amount | Claims pending as on 31 March '92 | | Receipt during the year | | Disposal during the year | | | | | | Total disposal during the year | | Claims pending as on 31 March '93 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Paid | | Withdrawn | | Rejected | | | | | |
| | | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| 1. | Upto Rs. 25,000/- | 10,090 | 6.26 | 1,17,869 | 65.31 | 96,101 | 51.43 | 10,292 | 8.49 | 465 | 0.66 | 1,06,858 | 60.58 | 21,101 | 10.99 |
| 2. | Above Rs. 25,000/- and upto Rs. 1.00 lakh | 791 | 3.70 | 7,809 | 30.58 | 3,493 | 13.09 | 3,603 | 14.32 | 198 | 1.09 | 7,294 | 28.50 | 1,306 | 5.78 |
| 3. | Above Rs. 1.00 lakh and upto Rs. 5.00 lakhs | 352 | 7.70 | 3,283 | 72.35 | 1,043 | 20.84 | 1,808 | 41.99 | 167 | 3.71 | 3,018 | 66.54 | 617 | 13.51 |
| 4. | Above Rs. 5.00 lakhs and upto Rs. 8.00 lakhs | 61 | 3.86 | 414 | 25.96 | 57 | 3.62 | 305 | 19.26 | 38 | 2.33 | 400 | 25.21 | 75 | 4.61 |
| 5. | Above Rs. 8.00 lakhs | 161 | 16.56 | 593 | 65.78 | 57 | 5.94 | 253 | 26.29 | 267 | 30.15 | 577 | 62.38 | 177 | 19.96 |
| | **Total** | **11,455** | **38.08** | **1,29,968** | **259.98** | **1,00,751** | **94.92** | **16,261** | **110.35** | **1,135** | **37.94** | **1,18,147** | **243.21** | **23,276** | **54.85** |

## ANNEXURE - XVI

## STATEMENT INDICATING SCHEME-WISE BREAK-UP OF GUARANTEE FEE RECEIVED DURING THE YEARS 1981 TO 1992-93

(Amount in crores of rupees)

| | Scheme | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988-89 (15 months) | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | 23.29 | 30.50 | 35.70 | 47.69 | 58.66 | 69.00 | 79.56 | 101.51 | 389.32 | 331.90 | 351.44 | 431.74 |
| 2. | Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971@ | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.36 | 0.46 | 0.55 | 0.39 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | — | — |
| 3. | Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971@ | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — |
| 4. | Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 | — | — | — | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.31 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| 5. | Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 | 16.87 | 27.09 | 35.22 | 39.85 | 46.51 | 57.61 | 65.08 | 89.79 | 204.07 | 192.59 | 214.23 | 270.83 |
| | **Total** | **40.21** | **57.67** | **71.17** | **87.91** | **105.66** | **127.25** | **145.17** | **191.89** | **593.83** | **524.72** | **565.88** | **702.78** |

* 1981 — Rs. 39,000/- * 1985 — Rs. 5,000/-

* 1982 — Rs. 73,000/- * 1986 — Rs. 1,000/-

* 1983 — Rs. 14,000/- * 1987 — Rs. 7,000/-

* 1984 — Rs. 25,000/- * 1988-89 — Rs. 58,000/-

@ These schemes have been terminated with effect from 1 April 1992.

## ANNEXURE - XVII

## INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1993

(Amount in crores of rupees)

| Sr. No. | Particulars | RBI Purchase rate % | Deposit Insurance Fund | | | | Credit Guarantee Fund | | | | General Fund | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Face value | Book value | Value as per RBI rates | % of value to Book value | Face value | Book value | Value as per RBI rates | % of value to Book value | Face value | Book value | Value as per RBI rates | % of value to Book value |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **(A)** | **Securities which have depreciated** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6½% Loan 2003 | 64.40 | 2.66 | 2.66 | 1.71 | 64.29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | 6¾% Loan 2006 | 60.90 | 16.72 | 16.71 | 10.18 | 60.92 | — | — | — | — | 2.15 | 2.15 | 1.31 | 60.93 |
| 3. | 6¾% Loan 2007 | 59.75 | 1.12 | 1.12 | 0.67 | 59.82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. | 7% Loan 2009 | 59.35 | 40.63 | 40.67 | 24.11 | 59.28 | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 60.00 |
| 5. | 7½% Loan 2010 | 62.60 | 52.58 | 50.63 | 32.91 | 65.00 | — | — | — | — | 5.88 | 5.84 | 3.68 | 63.01 |
| 6. | 8% Loan 2011 | 65.45 | 129.03 | 119.79 | 84.45 | 70.50 | — | — | — | — | 6.80 | 6.24 | 4.45 | 71.31 |
| 7. | 8¾% Loan 2010 | 71.35 | 3.78 | 3.78 | 2.70 | 71.43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. | 9% Loan 2013 | 71.55 | 93.61 | 91.83 | 66.98 | 72.94 | 7.52 | 7.41 | 5.38 | 72.60 | 15.00 | 15.02 | 10.73 | 71.44 |
| 9. | 9½% Loan 2008 | 77.65 | 6.02 | 5.92 | 4.68 | 79.05 | 17.17 | 17.04 | 13.33 | 78.23 | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 76.92 |
| 10. | 10% Loan 2014 | 78.20 | 45.76 | 45.62 | 35.79 | 78.45 | 33.05 | 33.06 | 25.85 | 78.19 | 12.00 | 12.02 | 9.38 | 78.04 |
| 11. | 10⅛% Loan 2012 | 83.40 | 13.41 | 13.42 | 11.18 | 83.31 | 26.17 | 26.20 | 21.82 | 83.28 | 10.26 | 10.27 | 8.56 | 83.35 |
| 12. | 10½% Loan 2014 | 81.90 | 21.52 | 21.51 | 17.63 | 81.96 | 34.45 | 34.45 | 28.21 | 81.89 | 7.39 | 7.38 | 6.05 | 81.98 |
| 13. | 10½% Loan 1996 | 99.80 | 9.11 | 9.16 | 9.09 | 99.24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. | 11½% Loan 2009 | 89.70 | 109.60 | 109.87 | 98.31 | 89.48 | 102.38 | 102.42 | 91.84 | 89.67 | — | — | — | — |
| 15. | 11½% Loan 2006 | 90.95 | 85.28 | 86.47 | 77.56 | 89.70 | 20.57 | 20.57 | 18.71 | 90.96 | 2.00 | 2.00 | 1.82 | 91.00 |
| 16. | 11½% Loan 2007 | 90.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00 |
| 17. | 11½% Loan 2008 | 91.25 | 3.85 | 3.85 | 3.51 | 91.17 | 8.35 | 7.80 | 7.62 | 97.69 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 91.50 |
| 18. | 11½% Loan 2015 | 90.30 | 87.12 | 87.14 | 78.67 | 90.28 | — | — | — | — | 11.10 | 11.12 | 10.02 | 90.11 |
| 19. | 11½% Loan 2011 | 90.10 | 81.32 | 80.36 | 73.27 | 91.18 | 8.68 | 8.42 | 7.82 | 92.87 | — | — | — | — |
| 20. | 12% Loan 2011 | 93.55 | 77.04 | 76.71 | 72.07 | 93.95 | 348.07 | 325.62 | 325.62 | 94.21 | — | — | — | — |
| 21. | 12% Govt. Stock 1997 unquoted | | — | — | — | — | 14.50 | 14.56 | 14.56 | 100.00 | — | — | — | — |
| | **Total A** | | **880.16** | **867.22** | **705.47** | **81.35** | **620.91** | **617.55** | **560.76** | **90.80** | **75.31** | **74.77** | **58.39** | **78.09** |

## ANNEXURE - XVII (Contd.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(B)** | **Securities which have appreciated** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 5¾% Loan 2002 | 68.15 | 3.00 | 1.86 | 2.04 | 109.68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | 10½% Loan 1996(II) | 100.40 | — | — | — | — | 25.00 | 25.00 | 25.10 | 100.40 | — | — | — | — |
| 3. | 12½% Loan 2007 | 100.70 | 22.90 | 23.00 | 23.06 | 100.26 | 361.10 | 362.57 | 363.63 | 100.29 | — | — | — | — |
| | **Total B** | | **25.90** | **24.86** | **25.10** | **100.97** | **386.10** | **387.57** | **388.73** | **100.30** | — | — | — | — |
| **(C)** | **Investment in Government of India 364 days Treasury Bills** | | | | | | | | | | | | | |
| | Date of Maturity | Purchase rate | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 29 April 1993 | 98.8736 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | 29 April 1993 | 99.0659 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. | 14 May 1993 | 98.6538 | 0.55 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. | 20 August 1993 | 95.9615 | 0.09 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. | 20 August 1993 | 90.0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.41 | 0.37 | — | — |
| 6. | 20 August 1993 | 95.6044 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 | 0.72 | — | — |
| | **Total C** | | **0.92** | **0.91** | — | — | — | — | — | — | **1.16** | **1.09** | — | — |
| | **Total A + B + C** | | **906.98** | **892.99** | **730.57** | **81.81** | **1007.01** | **1005.12** | **949.49** | **94.47** | **76.47** | **75.86** | **58.39** | **76.97** |

(Amount in crores of ruppes)

| | Depreciation in the value of Investments | Existing Provision | Additional Provision made |
|---|---|---|---|
| Deposit Insurance Fund | 161.75 | 84.17 | 77.58 |
| Credit Guarantee Fund | 56.79 | 67.20 | — |
| General Fund | 16.38 | 12.50 | 3.88 |

Rates are as per RBI purchase and sale prices of Government of India Securities lists issued by RBI during the year 1992-93.

# DEPOSIT INSURANCE AND

(Established under the Deposit Insurance

Regulation 18-

Balance Sheet as at the close

## I. — DEPOSIT INSURANCE FUND

| Previous Year | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit Insurance Fund | Credit Guarantee Fund | | LIABILITIES | Deposit Insurance Fund | | Credit Guarantee Fund | |
| Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | | | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
| 12246.00 | 75108.00 | 1. | Fund (Balance at the end of the year) | — | 8958.00 | — | 90749.00 |
| 28278.23 | — | 2. | Surplus Balance (as per Revenue Account Annexed) | — | 22166.60 | — | — |
| 7554.61 | 6100.24 | 3. | Investment Reserve: | | | 6720.21 | — |
| | | | Balance at the beginning of the year | 8416.99 | | | |
| 862.38 | 619.97 | | Add: Amount provided for during the year | 7757.89 | | | |
| 8416.99 | 6720.22 | | | | 16174.88 | | 6720.21 |
| — | 71.63 | 4. | Claims intimated and claims admitted but not paid | | | | 178.23 |
| 5096.62 | 37711.25 | 5. | Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted | | 1493.23 | | 69968.73 |
| 82.64 | — | 6. | Insured deposits remaining unclaimed | | 82.83 | | — |
| | | 7. | Other Liabilities: | | | | |
| 1415.40 | 12633.56 | | i) Sundry Creditors | 2953.55 | | 238.65 | |
| 27396.04 | — | | ii) Credit Guarantee Fund | 47585.83 | | — | |
| 10619.00 | — | | iii) Provision for Income-Tax | 11694.00 | | — | |
| 39430.44 | 12633.56 | | | | 62233.38 | | 238.65 |
| 93550.92 | 132244.66 | | TOTAL | | 111108.92 | | 167854.82 |

**Notes:** 1. The recovery by way of subrogation rights in respect of claims paid will be accounted for as per the Corporation's practice, in the year in which it is received.

**As per our report of even date attached.**
FOR **N. B. SHETTY & CO.**
Chartered Accountants

**(N. B. SHETTY)**
Partner
BOMBAY,
DATED: 18TH JUNE, 1993

**(D. R. MEHTA)**
Chairman

**(N. P. SARDA)**
Director

**(Ms. I. T. VAZ)**
Director

**(P. W. REGE)**
Director

# CREDIT GUARANTEE CORPORATION

and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

Form 'A'

of business on 31 March 1993

AND CREDIT GUARANTEE FUND

| Previous Year | | | ASSETS | Deposit Insurance Fund | | Credit Guarantee Fund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit Insurance Fund | Credit Guarantee Fund | | | | | | |
| Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | | | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
| 27.32 | 405.97 | 1. | Balance with the Reserve Bank of India | — | 19.69 | — | 309.25 |
| 74088.86 | 87627.88 | 2. | Investments in Central Government Securities (at cost) | | 89298.57 | | 100511.54 |
| | | | D.I. Fund / C. G. Fund | | | | |
| | | | Rs. in lakhs / Rs. in lakhs | | | | |
| | | | Face Value 90697.74 / 100701.11 | | | | |
| | | | Market Value 73149.87 / 94948.84 | | | | |
| 2672.69 | 2575.12 | 3. | Interest accrued on investments | — | 3184.78 | | 3009.98 |
| | | 4. | Other Assets | | | | |
| 117.31 | 730.79 | | I) Outstanding Premium Guarantee fees and excess claims paid due from Banks/Credit Institutions | 36.25 | | 104.24 | |
| 6.13 | 78.97 | | ii) Outstanding interest on overdue premium and guarantee fee | 8.74 | | 14.27 | |
| 0.06 | | | iii) Amount paid towards claims remaining undisbursed with the liquidator of a bank | 0.06 | | | |
| | 137.93 | | iv) Government of India Credit Guarantee Scheme (Old) for Small Scale Industries | | | — | |
| — | 27396.03 | | v) Deposit Insurance Fund | — | | 47585.83 | |
| 16638.55 | 13291.97 | | vi) Income-tax deducted at source | 18560.83 | | 16319.71 | |
| 16762.05 | 41635.69 | | | | 18605.88 | | 64024.05 |
| 93550.92 | 132244.66 | | TOTAL | | 111108.92 | | 167854.82 |

2. Sundry Creditors of Rs. 2953.55 lakhs in Deposit Insurance Fund represent premium received pending appropriation for want of statements.

**(Ms. MONA SHARMA)**
Director

**(V. MAHADEVAN)**
Director

**(S. H. KHAN)**
Director

**(GANGADHAR GADGIL)**
Director

**(O. P. ARORA)**
Chief Accountant

**(U. MAHESH RAO)**
Director

**(S. K. KAPUR)**
General Manager

# DEPOSIT INSURANCE AND

(Form

Revenue Account for the

## I. — DEPOSIT INSURANCE FUND

| Previous Year | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit Insurance Fund | Credit Gurantee Fund | EXPENDITURE | Deposit Insurance Fund | | Credit Guarantee Fund | |
| Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
| | | To Claims | | | | |
| 764.10 | 45091.52 | (a) Paid during the year | 3899.06 | | 62549.57 | |
| | 71.63 | (b) Admitted but not paid | — | | 178.23 | |
| | | Add: | | | | |
| 5096.62 | 37711.25 | Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year | 1493.23 | | 69968.73 | |
| 5860.72 | 82874.40 | | 5392.29 | | 132696.53 | |
| | | Less: | | | | |
| 1818.76 | 35557.88 | Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the previous year | 5096.62 | | 37711.25 | |
| 4041.96 | 47316.52 | Net Claims | | 295.67 | | 94985.28 |
| 862.38 | 619.97 | To Provision for depreciation in the value of investment | | 7757.89 | | — |
| 804.26 | 286.95 | To Loss on sale of investment | | — | | 39.01 |
| 12246.00 | 75108.00 | To Balance of Fund at the end of the year (as per actuarial valuation) | | 8958.00 | | 90749.00 |
| 5881.44 | — | To Net Surplus carried down | | 15153.16 | | — |
| 23836.04 | 123331.44 | | | 32164.72 | | 185773.29 |
| — | 1536.54 | To Net Deficit brought down | | — | | 20189.79 |
| 1536.54 | — | To Transfer to Credit Guarantee Fund (per contra) | | 20189.79 | | — |
| 3208.00 | | To Provision for Income-Tax | | 1075.00 | | |
| 28278.23 | — | To Balance carried to Balance Sheet | | 22166.60 | | |
| 33022.77 | 1536.54 | TOTAL | | 43431.39 | | 20189.79 |

Notes: 1. Estimated liability for claims intimated but not admitted pertaining to Credit Guarantee Fund is arrived at after deducting from such claims in respect of Small Loans (Small Borrowers) Guarantee Scheme, 1971; a sum equal to 3.01 per cent and in respect of Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, a sum equal to 30.86 per cent (previous year 2.75 percent and 43.92 percent respectively) on account of usual rejections/withdrawals.

2. In cases where statements of guaranteed advances were not received from the credit institutions, the adhoc payments received from them towards guarantee fee have been taken to the Revenue Account.

3. In respect of Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 provision has not been made either in respect of non-receipt of guarantee fee or in respect of adhoc receipt of guarantee fee where the latter is considered inadequate.

**As per our report of even date attached.**
FOR **N. B. SHETTY & CO.**
Chartered Accountants

**(N. B. SHETTY)**
Partner
BOMBAY,
DATED: 18TH JUNE, 1993

**(D. R. MEHTA)**
Chairman

**(P. W. REGE)**
Director

**(Ms. I. T. VAZ)**
Director

**(V. MAHADEVAN)**
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION

'B')

year ended 31 March 1993

AND CREDIT GUARANTEE FUND

| Previous Year: Deposit Insurance Fund Rs. in lakhs | Previous Year: Credit Guarantee Fund Rs. in lakhs | INCOME | Deposit Insurance Fund Rs. in lakhs | Credit Guarantee Fund Rs. in lakhs |
|---|---|---|---|---|
| 6541.00 | 49514.00 | By Balance of Fund at the beginning of the year | 12246.00 | 75108.00 |
| 9348.44 | — | By Deposit Insurance Premia (including interest on overdue premia) | 10597.06 | — |
| — | 56587.68 | By Guarantee Fee (including interest on overdue guarantee fees) | — | 70278.04 |
| 466.05 | 5285.73 | By Recoveries in respect of Deposit Insurance claims settled/guarantee claims paid | 374.94 | 7049.17 |
| 7480.55 | 10407.49 | By Income from Investments (Gross) | 8946.72 | 13148.29 |
| | | Deposit Insurance Fund (Rs. in lakhs)) / Credit Guarantee Fund (Rs. in lakhs) | | |
| | | Tax deducted at source: 1922.28 / 3027.75 | | |
| | | Previous year: 1248.82 / 1074.19 | | |
| — | — | By Profit/Loss on sale/redemption of investment | — | — |
| — | 1536.54 | By Net Deficit Carried down. | — | 20189.79 |
| 23836.04 | 123331.44 | | 32164.72 | 185773.29 |
| 5881.44 | — | By Net Surplus brought down | 15153.16 | — |
| 27141.33 | — | By Balance brought forward from last year | 28278.23 | — |
| — | 1536.54 | By Transfer from Deposit Insurance Fund (per contra) | — | 20189.79 |
| 33022.77 | 1536.54 | TOTAL | 43431.39 | 20189.79 |

4. As per past practice, provision for depreciation on investments is arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities. However, in Credit Guarantee Fund, there is depreciation of Rs. 5,678.73 lakhs in the value of investments. No provision for the same has been made as the existing Investment Reserve is adequate. Rs. 1455.80 lakhs 12% Government of India Stock 1997 (Face value Rs. 1450.00 lakhs) is not quoted till the date of audit. Hence, the depreciation in the value of said security could not be ascertained.
5. The recovery on account of subrogation rights on settlement of claims under Credit Guarantee Fund which cannot be estimated, will be accounted for, as per the Corporation's past practice, in the year, in which it is received.
6. The Corporation has made necessary provision towards actuarial liability as worked out by an approved Actuary towards Credit Guarantee Fund and Deposit Insurance Fund on the fund balances at the close of the financial year ended 31 March 1993.
7. Necessary provision for Income-tax has been made in respective funds.
8. The Corporation is of the opinion that the provision of Rs. 7676.00 lakhs in respect of refund of guarantee fee is no longer required and hence the same has been written back to Revenue A/C during the year.

(Ms. MONA SHARMA)
Director

(S. H. KHAN)
Director

(U. MAHESH RAO)
Director

(N. P. SARDA)
Director

(GANGADHAR GADGIL)
Director

(S. K. KAPUR)
General Manager

(O. P. ARORA)
Chief Accountant

# DEPOSIT INSURANCE AND

(Established under the Deposit Insurance

Regulation 18-

Balance Sheet as at the close

II. GENERAL

| Previous Year (Rs. in lakhs) | LIABILITIES | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
|---|---|---|---|---|
| | 1. **CAPITAL** | | | |
| 5,000.00 | Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961 | | | 5,000.00 |
| | 2. **RESERVES** | | | |
| | A) **General Reserve** | | | |
| 1,694.03 | Balance at the beginning of the year | 1,770.64 | | |
| 76.62 | Add: Surplus transferred from Revenue Account | — | | |
| — | Less: Deficit transferred from Revenue Account | 431.68 | | |
| 1,770.65 | Balance at the end of the year | | 1,338.96 | |
| | B) **Investment Reserve** | | | |
| 1,199.70 | Balance at the beginning of the year | 1,250.24 | | |
| 50.54 | Add: Amount provided during the year | 388.23 | | |
| 1,250.24 | Balance at the end of the year | | 1,638.47 | |
| 22.51 | C) **Capital Reserve** | | 22.51 | |
| 3,043.40 | | | | |
| | 3. **CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS** | | | 2,999.94 |
| 316.94 | Outstanding expenses | 466.98 | | |
| 0.54 | Sundry Creditors | 0.32 | | |
| 223.00 | Provision for Income-tax | 223.00 | | |
| 540.48 | | | | |
| | | | | 690.30 |
| 8,583.88 | TOTAL | | | 8,690.24 |

Notes: (1) As per past practice, provision for depreciation in investments is arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities.

**As per our report of even date attached.**
FOR **N. B. SHETTY & CO.**
Chartered Accountants

**(N. B. SHETTY)**
Partner
BOMBAY,
DATED: 18TH JUNE, 1993

**(D. R. MEHTA)**
Chairman

**(P. W. REGE)**
Director

**(Ms. I. T. VAZ)**
Director

**(V. MAHADEVAN)**
Director

# CREDIT GUARANTEE CORPORATION

and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

Form 'A'

of business on 31 March 1993

FUND

| Previous Year (Rs. in lakhs) | | ASSETS | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
|---|---|---|---|---|
| | 1. | **CASH** | | |
| 0.12 | | (i) In hand | 0.12 | |
| 4.99 | | (ii) with Reserve Bank of India | 4.43 | |
| 5.11 | | | | 4.55 |
| 7,658.68 | 2. | **INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES** (at cost)<br>(Rs. in lakhs)<br>Face value 7646.49<br>Market value 5955.23 | | 7,586.31 |
| 273.16 | 3. | **INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS** | | 268.38 |
| | 4. | **OTHER ASSETS** | | |
| 23.20 | | (a) Furnitures, Fixture & Equipment less depreciation | 22.31 | |
| 1.49 | | (b) Stock of Stationery | 1.40 | |
| 2.70 | | (c) Pre-paid Expenses | 2.75 | |
| 41.50 | | (d) Advances for expenses, Staff Allowances receivable from Reserve Bank of India and other deposits | 45.69 | |
| 578.04 | | (e) Income tax deducted at source | 758.85 | |
| 646.93 | | | | 831.00 |
| 8,583.88 | | TOTAL | | 8,690.24 |

(Ms. MONA SHARMA)
Director

(GANGADHAR GADGIL)
Director

(S. H. KHAN)
Director

(S. K. KAPUR)
General Manager

(U. MAHESH RAO)
Director

(O. P. ARORA)
Chief Accountant

(N. P. SARDA)
Director

# DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

## Form 'B'

## Revenue Account for the year ended 31 March 1993

## II — GENERAL FUND

| Previous Year (Rs. in lakhs) | EXPENDITURE | Rs. in lakhs | Previous Year (Rs. in lakhs) | INCOME | Rs. in lakhs |
|---|---|---|---|---|---|
| 663.07 | To Salaries and Allowances and Contribution to Staff Provident Fund | 715.87 | 778.62 | By Income from Investment (Gross) (Tax deducted at source Rs. 180.80 lakhs) (Previous Year: Rs. 182.39 lakhs) | 754.22 |
| 17.72 | To Contribution to Staff Pension and Gratuity Fund | 15.63 | | | |
| 0.01 | To Directors' & Committee Members' Fees | 0.02 | | | |
| 0.15 | To Directors' & Committee Members' Travelling & Other Allowances | 0.08 | 304.12 | By Recoveries in claims Paid Account in Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old) | 78.28 |
| 79.49 | To Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc. | 81.94 | | | |
| 11.90 | To Establishment, Travelling & Halting Allowances | 10.23 | | | |
| 5.19 | To Printing and Stationery | 6.64 | | | |
| 4.38 | To Postage, Telegrams & Telephones | 3.54 | 0.63 | By Miscellaneous Receipts | 0.93 |
| 0.35 | To Auditor's Fees | 0.35 | | | |
| 0.59 | To Legal Charges | 1.62 | — | By Balance being excess of expenditure over income for the year carried down | 431.68 |
| 35.94 | To Miscellaneous Expenses | 36.68 | | | |
| 4.42 | To Depreciation | 4.28 | | | |
| 50.54 | To Provision for Depreciation on Investment | 388.23 | | | |
| 133.00 | To Provision for Income-tax | — | | | |
| 76.62 | TO Balance being excess of income over expenditure for the year carried down | — | | | |
| 1,083.37 | TOTAL | 1,265.11 | 1,083.37 | TOTAL | 1,265.11 |
| — | To Balance B/D | 431.68 | — | By Balance being excess of expenditure over income transferred to General Reserve | 431.68 |
| — | To Short provision for Income-tax | — | 76.62 | By Balance B/D | — |
| 76.62 | To Balance being excess of income over expenditure transferred to General Reserve | — | | | |
| 76.62 | TOTAL | 431.68 | 76.62 | TOTAL | 431.68 |

Notes:
1. Government of India permitted the Corporation to retain recoveries in respect of claims paid account under Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old) received/to be received upto 31 March 1986 and such recoveries are being accounted for in the Revenue Account of General Fund under Section 24 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. This year there is no such recovery. However, Government of India have allowed the Corporation to retain with it amounts (Rs. 78.28 lakhs) out of recoveries effected in claims paid account during the period 1 April 1991 to 31 March 1992 towards cost of establishment expenditure for managing the residual work for their scheme for Small Scale Industries (Old) (Rs. 304.12 lakhs for the previous period 1 April 1986 to 31 March 1991).
2. Employees' cost such as Salaries, Allowances, Contribution to Provident Fund and Gratuity Fund has been incurred in accordance with an arrangement with Reserve Bank of India since all the staff of the Corporation are on duty from Reserve Bank of India.
3. The Corporation has a contingent liability in respect of Income-Tax demand amounting to Rs. 4,86,09,388/- for the Assessment Year 1989-90, which is under appeal. However, the same has been adjusted by the Department against the Income-Tax refund for the Assessment Year 1988-89.

**As per our report of even date attached.**

FOR **N. B. SHETTY & CO.**
Chartered Accountants

**(N. B. SHETTY)**
Partner

BOMBAY,
DATED: 18TH JUNE 1993

**(D. R. MEHTA)**
Chairman

**(U. MAHESH RAO)**
Director

**(GANGADHAR GADGIL)**
Director

**(Ms. I. T. VAZ)**
Director

**(N. P. SARDA)**
Director

**(S. K. KAPUR)**
General Manager

**(Ms. MONA SHARMA)**
Director

**(P. W. REGE)**
Director

**(O. P. ARORA)**
Chief Accountant

**(S. H. KHAN)**
Director

**(V. MAHADEVAN)**
Director

# AUDITOR'S REPORT

**N. B. SHETTY & CO.**
*Chartered Accountants*
14/2, Western India House,
Sir P. M. Road,
Bombay 400001

We have audited the attached Balance Sheets of (i) the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) the General Fund of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation as at 31st March 1993 and also the Revenue Accounts of the said Funds annexed thereto for the year ended on that date and report that:

i) we have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii) the said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounts read with the notes thereon give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 in the manner as required and exhibit a true and fair view:

a) in the case of the Balance Sheets of (i) Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) General Fund of the State of Affairs of the said Funds of the Corporation as at 31st March 1993 and,

b) in the case of the Revenue Accounts (i) of the surplus in the case of Deposit Insurance Fund and (ii) of the deficit in the case of Credit Guarantee Fund and General Fund. of the Corporation for the year ended on that date.

For **N. B. SHETTY & CO.**
*Chartered Accountants*

sd/-
(N. B. Shetty)
(*Partner*)

BOMBAY,
DATED: 18th June 1993

# AN OUTLINE OF FUNCTIONS AND ACTIVITIES

## INTRODUCTION:

1.1 Insurance of bank deposits is intended to give a measure of protection to depositors, particularly small depositors, from the risk of loss of their savings arising from bank failures. Such protection by infusing confidence in the minds of the public, contributes to the growth of banking system by assisting in development of banking habits and mobilisation of resources by the banks which in turn can be utilised for purposes accorded national priority. Establishment of the Deposit Insurance Corporation came in the wake of certain bank failures in the fifties and early sixties and consequent efforts to restore the confidence of the depositing public in the banking system by safeguarding their interests.

1.2 The introduction of credit guarantee schemes by the erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was part of a series of measures taken since the late sixties aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit requirements of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of society. In the wake of the social control measures initiated in 1968 followed by nationalisation of major commercial banks, the banks were required to ensure an increased flow of credit to smaller borrowers who found it difficult to have access to institutional credit. While there was an increasing awareness among banks of the need to provide more credit to such borrowers, certain practical difficulties, largely stemming from hesitation on the part of the credit institutions to venture into new and riskier fields of lending as also their inhibition, particularly at the grassroot level, to lend except against easily realisable security, were encountered. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was thus visualised as an agency to provide a simple but wide-ranging system of guarantees for loans granted by credit institutions to such small and needy borrowers.

1.3 With a view to integrating the above twin and cognate functions the two organisations were merged in July 1978 and the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

## DEPOSIT INSURANCE SCHEME:

### Institutional coverage

2 The Deposit Insurance Scheme was introduced with effect from 1 January 1962. The Scheme provides automatic coverage for deposits with all commercial banks (including Regional Rural Banks) received in India. Following an amendment to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act in 1968, similar coverage is also extended in respect of deposits with co-operative banks in such of the States as have passed the necessary enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. In terms of geographical coverage, the benefit of deposit insurance now stands extended to the entire banking system leaving uncovered only 87 co-operative banks in such of the States as have yet to pass the necessary legislation.

### Extent of Insurance Cover

3. Under the Scheme, in the event of liquidation, reconstruction or amalgamation of an insured bank, every depositor of that bank is entitled to repayment of his deposits held by him in the same right and capacity in all branches of that bank upto a monetary ceiling of Rs. 1,00,000/- (Rs. 30,000/- till 30 April 1993).

### Insurance Premium

4. The consideration for extension of insurance coverage to banks is payment of an insurance premium. The premium at the rate of 5 paise (4 paise till 30 June 1993) per annum per hundred rupees is collected at half yearly intervals. The banks are required to bear this fee so that the protection of insurance is available to the depositors free of cost. Penal interest @8% above Bank Rate is charged on overdue premium.

### Payment of Insurance Claims

5.1. When a bank goes into liquidation the Corporation pays to every depositor, through the liquidator, the amount of deposits upto Rs. 1,00,000/-. When a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle the depositor to get credit for the full amount of his deposit, the Corporation pays to each depositor the difference between the full amount of his deposit (or Rs. 1,00,000/- whichever is less) and the amount actually received by him under the scheme of reconstruction/amalgamation.

5.2 After settling a claim, the liquidator/transferee bank is required to repay to the Corporation, by virtue of the rights of subrogation, recoveries effected by it from out of the assets of the insured bank in liquidation/amalgamation.

## CREDIT GUARANTEE SCHEMES:

### Extention of guarantee support

6.1 The erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was operating three credit guarantee schemes pertaining to advances to certain specified categories of small borrowers and with the transfer of this undertaking to the Deposit Insurance Corporation in July 1978, the Deposit Insurance Corporation took over those credit guarantee functions also. The three credit guarantee schemes which were formulated by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. and continued by the Corporation, were intended to provide the necessary incentive to financial institutions for extending needbased credit to small borrowers (including farmers) engaged in non-industrial activities.

6.2 A credit guarantee scheme for small-scale industries sponsored and formulated by the Government of India and administered by the Credit Guarantee Organiation (Reserve Bank of India) had been in operation since July 1960. In pursuance of the recommendations of a Working Group constituted by the Government in 1979, it was decided to integrate all credit guarantee schemes under one organisation. Accordingly, this scheme was cancelled by the Government of India in March 1981 and the Corporation, in its place introduced a new scheme with effect from 1 April 1981 covering advances to small scale industries by commercial banks and other financial institutions. The Corporation was also entrusted with the responsibility of discharging the obligations arising out of or accruing under the cancelled scheme, upto the date of cancellation, as an agent of the Government. With the integration of the credit guarantee functions relating to small scale industries, the Corporation has been providing guarantee support to a substantial amount of credit granted to the priority sectors.

6.3 Effective from 1 April 1989 and pursuant to the recommendations of the Expert Committee, 1987, the scope of the credit guarantee schemes has been enlarged to cover the entire gamut of priority sector advances as defined by the Reserve Bank of India. However, since 1990-91, at the request of some participating credit institutions, the Corporation has allowed exclusion of certain categories of advances guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. from total priority sector advances for the purpose of payment of guarantee fee and consequently these advances ceased to get Corporation's guarantee cover.

### Aims, Description and Coverage

7.1 Corporation's various credit guarantee schemes in operation till end March 1992 were as indicated below:

(i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971
(ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971
(iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971
(iv) Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.
(v) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982.
(vi) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

7.2 With the termination of the schemes at (ii), (iii) & (v) above with effect from 1 April 1992, the Corporation presently operates the following three Schemes:

i) The Small Loans Guarantee Scheme, 1971, which came into force on 1 April 1971, covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks to the priority sector (other than small scale industries) as defined by Reserve Bank and this includes farmers and agriculturists, small road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans.

ii) The Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 was introduced from 1 April 1981 and it covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks, Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies to small-scale industrial units for acquisition of or repairs to or replacement of fixed assets or equipment and for working capital requirements for production and marketing of products.

iii) The Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 covers credit facilities granted by eligible primary (urban) co-operative banks to the priority sector as defined by Reserve Bank, including activities allied to agriculture, road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans. All eligible licensed primary (urban) co-operative banks are as defined in clause (gg) of Section 2 of the DICGC Act, 1961 as well as eligible unlicensed primary (urban) co-operative

banks recommended by the Reserve Bank of India as eligible, can participate in the Scheme.

The salient features of various schemes in operation are tabulated in the Annexure.

Guarantee Fee:

8. The consideration for extension of the guarantee cover is the payment of guarantee fee at the stipulated rates calculated on the balances outstanding under the priority sector advances (except certain specified categories) and paid yearly in advance by the credit institutions. The fee rate which was 1.50 per cent per annum for all schemes since 1 April 1989 has been enhanced to 2.50 per cent per annum with effect from 1 April 1993 for the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 only. The Regional Rural Banks are, however, allowed to pay the fee at half the normal rate (i.e. @1.25 per cent per annum) for first five years from the date of their joining the Scheme. The guarantee fee rate for two other schemes viz Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 and Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 remains unchanged at 1.50 per cent per annum. The fee is required to be paid regularly and in advance on an annual basis in order to keep the guarantee in force. Penal interest @8% above Bank Rate is charged on overdue guarantee fee.

GUARANTEE COVER - KEY CHARACTERISTICS

Automatic Bulk Coverage

9.1 The guarantee cover is available to those credit institutions which join the schemes by entering into necessary agreements with the Corporation and paying the fee regularly at the prescribed rates. The schemes are operated on an automatic bulk coverage basis under which all eligible advances get automatically covered right from the date of their first disbursal without requiring the credit institutions to make a prior application to the Corporation for covering each credit facility. Therefore, it is not open to participating credit institutions to exclude any eligible credit facility from the purview of guarantee cover.

Benefit confined to "Priority Sector" borrowers

9.2 The guarantee schemes are meant to provide cover for advances granted to small borrowers in the priority sector who without such support may find it difficult to have access to institutional credit. To ensure that the benefits thereof do not gravitate to more affluent persons, several stipulations have been made in the guarantee schemes, such as ceilings on amount of credit as in the case of retail traders, the value of equipment as in the case of business enterprises and of plant and machinery in the case of small-scale industrial units. Besides, absolute limits have been placed on the Corporation's claim liability.

Invocation of Guarantee

10. Five conditions have to be complied with before a claim under the guarantee can be preferred by a credit institution. These are (i) minimum period of 3 years has elapsed after grant of an eligible advance; (ii) the guarantee fee has been paid on the entire priority sector advances outstanding as and when it became due; (iii) the advance under guarantee has not been repaid within one month from the date on which a notice of demand for repayment of the entire dues has been served on the borrower; (iv) the advance is treated by the credit institution as bad or doubtful of recovery and (v) it is provided or accounted for as such in the books of the credit institution. The Corporation would expect the credit institution to take effective steps against the borrowers, sureties and the securities wherever realisable before invoking the guarantee. The Corporation pays 60% or 50% of the 'amount in default' as the case may be, subject to certain absolute limits stipulated in the schemes in regard to different categories of eligible activities. To smaller borrowers, relatively higher cover is provided by the Corporation. After payment of the claims, the claimant institutions are required to continue effective steps to recover the dues and remit to the Corporation its share of the recoveries effected less expenses incurred for such recoveries, by virtue of the right of subrogation. Credit institutions have been delegated the power to take decisions in matters like change/release of security/surety, waiver of legal action, compromise and scaling down of dues and write-off in respect of cases falling below specified cut-off points. In all other cases, they are required to obtain the Corporation's prior approval. On invocation of a guarantee and payment of a claim in respect of a borrower, the Corporation's guarantee cover is not available for any other credit extended to that borrower till the amount due to the Corporation on account of the claim already settled has been repaid.

ANNEXURE

CREDIT GUARANTEE SCHEMES - SALIENT FEATURES

| Schemes | Eligible participants | Category of Borrowers | Guarantee fee | Guarantee cover |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **A) SMALL BORROWERS** | | | | |
| **I) Small Loans Guarantee Scheme, 1971** | Commercial Banks (including Regional Rural Banks) | (i) **Transport Operators** | 2.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually (in case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme) | 60% of the amount in default or Rs. 1,50,000/- whichever is lower. |
| | | (ii) **Retail Traders** | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 25,000/- whichever is lower. |
| | | (iii) **Professional & self employed persons & Business Enterprises** | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 50,000/- whichever is lower. |
| | | (iv) **Farmers & Agriculturists — Direct Finance** | | |
| | | 1) For raising crops | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 10,000/- whichever is lower. |
| | | 2) For developmental activities | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 20,000/- whichever is lower. |
| | | 3) For conversion of crop loans upto a maximum of 3 conversions under special circumstances | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 30,000/- (i.e. Rs. 10,000x3) whichever is lower. |
| | | 4) For allied activities | | |
| | | i) Pisciculture | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 37,500/- whichever is lower. |
| | | ii) Sericulture | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 18,750/- whichever is lower. |
| | | iii) Animal Husbandry | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower. |
| | | iv) Poultry Farming | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 22,500/- whichever is lower |
| | | v) Dairy Farming | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower. |
| | | (With overall ceiling of Rs. 60,000/- for more than one activity) | | |

ANNEXURE (Contd.)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | (v) **Indirect Finance to agriculture** (As per RBI definition of priority sector except advances for construction and running of cold storage and to custom service units which will be covered under Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981) | 2.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually (in case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme) | 60% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/institution. |
| | | (vi) **Education** Credit facilities to individuals for educational purposes granted by eligible credit institutions under special schemes introduced by them for the purpose. | —do— | 60% of the amount in default. |
| | | (vii) **State Sponsored Organisations for SCs/STs** Advances sanctioned to State Sponsored Organisations for SC/ST for the specific purpose of purchase and supply of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries of these organisations. | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/institution.) |
| | | (viii) **Housing-Direct Finance** Loans upto Rs. 5,000/- for construction of houses granted to SC/ST and the weaker sections of the society. | —do— | 60% of the amount in default. |
| | | (ix) **Housing-Indirect Finance** i) Assistance given to any governmental agency for the purpose of constructing houses exclusively for the benefit of SC/ST and low-income groups and where loan component does not exceed Rs. 5,000/- per unit. | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/institution). |
| | | ii) Assistance to any government agency for slum clearance and rehabilitation of slum dwellers subject to other conditions specified. | —do— | —do— |
| | | (x) **Consumption** Pure consumption loans granted under the Consumption Credit Scheme. | —do— | 60% of the amount in default. |

ANNEXURE (Contd.)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| II) **Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984** | Primary Urban Co-operative Banks | i) **Transport Operators** | 1.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually. | 60% of the amount in default or Rs. 1,50,000/- whichever is lower. |
| | | ii) **Retail Traders** | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 25,000/- whichever is lower. |
| | | iii) **Business Enterprises & Professional & Self-employed persons** | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 50,000/- whichever is lower. |
| | | iv) **Educational Loans** | —do— | 60% of the amount in default. |
| | | v) **Consumption Loans to Individuals upto Rs. 500/-** | —do— | —do— |
| | | vi) **Housing Loans not exceeding Rs. 25,000/- to** | | |
| | | a) Individuals | —do— | 60% of the amount in default. |
| | | b) Government Agency | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/institution. |
| | | vii) **Activities allied to Agriculture** | | |
| | | i) Pisciculture | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 37,500/- whichever is lower. |
| | | ii) Sericulture | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 18,750/- whichever is lower. |
| | | iii) Animal Husbandry | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower. |
| | | iv) Poultry Farming | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 22,500/- whichever is lower. |
| | | v) Dairy Farming | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower. |
| | | vi) Purchase of bullock carts, camel carts, pack animals etc. | —do— | 60% of the amount in default or Rs. 10,000/- whichever is lower. |
| | | (With overall ceiling of Rs. 60,000/- for more than one activity) | | |

ANNEXURE (Contd.)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| B) **SMALL SCALE INDUSTRIES** | | | | |
| **Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981** | Commercial Banks (including RRBs), Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies. | i) Small Scale Industrial units (including ancilliary units) to whom credit facilities not exceeding Rs. 2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate extended. | 1.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually. | 60% of the amount in default or Rs. 20 lakhs (apportioned separately and equally viz. Rs. 10 lakhs for term loans and Rs. 10 lakhs for working capital) whichever is lower. |
| | | ii) Small Scale industrial units in backward areas with credit facilities without any limit. | —do— | —do— |
| | | iii) Small Scale Industrial units (including ancilliary units) in other than backward areas having total credit facilities exceeding Rs. 2.00 lakhs. | —do— | 50% of the amount in default or Rs. 20 lakhs (apportioned separately and equally viz. Rs. 10 lakhs for term loans and Rs. 10 lakhs for working capital) whichever is lower. |
| | | **Indirect Finance to SSI** | | |
| | | i) Agencies involved in assisting the decentralised sector in the supply of inputs and marketing of outputs of artisans, village and cottage industries. | —do— | (a) 60% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities not exceeding Rs. 2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate.<br>(b) 50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities exceeding Rs. 2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate. |
| | | ii) Government sponsored Corporation/organisations providing funds to the weaker section in the priority sector (provided they are not covered by Government or any other guarantee) | —do— | —do— |
| | | iii) Loans for construction and running of cold storage. | —do— | 60%/50% (as stated above) of the amount in default or Rs. 20 lakhs (Rs. 10 lakhs each for working capital and term loans) whichever is lower. |
| | | iv) Advances to custom service units managed by individuals, institutions or organisations who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well boring equipment, threshers, combines etc. and undertake work from farmers on contract basis. | —do— | —do— |
| | | v) **Industrial Estates** Loans for setting up industrial estates. | —do— | —do— |

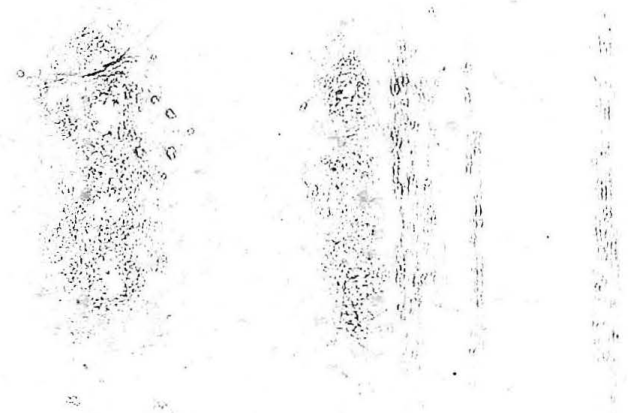

MONA PRINTERS, BOMBAY - 23.